रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2018/आषाढ़ 28, 1940
No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2018/ASHADHA 28, 1940

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 19 जुलाई, 2018

सं. भा.स.वि/ मुख्यालय / प्रशा. /अधिसूचना / 2017.–भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, (2008 का 22वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :

सं	अध्यादेश	*उल्लेख*	कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी
1	अध्यादेश 04 / 2014	स्कूल बोर्डों से संबंधित अध्यादेश	*ईसी 2014–.28–14 दि 26.06.2014 तथा ईसी 2014–29–30 दि 31–10–2014 और ईसी 2017–38–08 दि 28–03–2017 के अनुसार संशोधित*
2	अध्यादेश 10 / 2015	''निजी सचिव पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी 2015–30–24 दि 25.02.2015 और सं.ईसी 2017–38–33 दि 28.03. 2017 के तहत संशोधित
3	अध्यादेश 17 / 2015	विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक उपस्थिति और अध्ययन में ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए नियम	*ईसी 2015-31-28* दि *26-06-2015 तथा ईसी 2016-37-05* दि *22.12.2016* और ईसी *2017-41-17* दि *21.12.2017* के तहत संशोधित
4	अध्यादेश 18 / 2015	भा स वि परिसर के विद्यार्थियों द्वारा देय सत्रांत शुल्क व जुर्माना	.ईसी 2015–31–29 दि 26.6.2015 और . ईसी 2017–38–21 दि 28.3.2017 और ईसी 2017–40–15 दि 15.09.2017 के

			तहत संशोधित
5	अध्यादेश 19/2015	परीक्षाओं, पदवीदान तथा अन्य विभिन्न प्रकार्यों के लिए पारिश्रमिक व शुल्क	ईसी 2015–31–30 दि 26.06.2015 और सं.ईसी 2016–34–18 दि 23.05.2016 तथा ईसी 2017–38–23 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित
6	अध्यादेश 28/2015	परिसर निदेशक पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी 2015–31–36 दि 26.06.2015 और . ईसी 2018–43–06 दि 29.01.2018 के तहत संशोधित
7	अध्यादेश 34/2015	कुलसचिव पद के लिए नियुक्ति नियम निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	ईसी 2015–31–42 दि 26.06.2015 और .ईसी 2016–36–28 दि 28.09. 2016 तथा ईसी 2017–38–31 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित
8	अध्यादेश 80/2015	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए निष्पादन–आधारित पुरस्कार	ईसी 2015–33–27 दि 23.12.2015 और सं.ईसी 2016–36–18 दि 28.9.2016 तथा ईसी 2017–38–22 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित
9	अध्यादेश 07/2017	"विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियंत्रण तथा अपील को व्यवस्थित करनेवाले अध्यादेश	ईसी 2017–38–20 दि 28.03.2017
10	अध्यादेश 08/2017	समकुलपति पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी 2017–38–32 दि 28.03.2017
11	अध्यादेश 09/2017	सिफारिश करते वक्त चयन समिति द्वारा अनुपालन किये जाने योग्य प्रक्रिया को निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	ईसी 2017–39–04दि 14.06.2017
12	अध्यादेश 10/2017	विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजित के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिकाएँ, दायित्व व जिम्मेदारियों को निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	ईसी 2017–39–09 दि 14.06.2017
13	अध्यादेश 11/2017	परीक्षा समिति	ईसी 2017–39–10 दि 14.06.17
14	अध्यादेश 12/2017	पीएच.डी नियमों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश	*ईसी 2017–40–16 दि* 15.09.2017
15	अध्यादेश 13/2017	भा स वि द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रायोगित तथा सैद्धांतिक पत्रों के आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	ईसी *2017.37.08 दि* 22.12.2016 और ईसी *2017.40.38 दि 15.09.2017 और ईसी 2017-41-17 दि 22.12.2017* के तहत संशोधित
16	अध्यादेश 14/2017	"एम.एस (अनुसंधान द्वारा) के लिए नियम निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	ईसी *2017-38-07* दिनांक 28.03.2017
17	अध्यादेश 01/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद में	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018

		नियुक्ति संबंधित नियम	
18	अध्यादेश 02/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद में नियुक्ति संबंधित नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
19	अध्यादेश 03/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर (एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) पद में नियुक्ति संबंधित नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
20	अध्यादेश 04 / 2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
21	अध्यादेश 05/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
22	अध्यादेश 06/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
23	अध्यादेश 07/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
24	अध्यादेश 08/2018	मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
25	अध्यादेश 09/2018	नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफसर (नॉटिकल विज्ञान) पद में नियुक्ति हेतु नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
26	अध्यादेश 10/2018	नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफसर (एलक्ट्रानिक्स व संचार) पद में नियुक्ति हेतु नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
27	अध्यादेश 11/2018	नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफसर (गणित) पद के लिए नियुक्ति नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
28	अध्यादेश 12/2018	नॉटिकल अध्ययन स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (नॉटिकल विज्ञान) पद में नियुक्ति के लिए नियम	ईसी *2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
29	अध्यादेश 13/2018	नॉटिकल अध्ययन स्कूल में प्रोफसर (नॉटिकल विज्ञान) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
30	अध्यादेश 14/2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (नौसेना वास्तुकला) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018

31	अध्यादेश 15 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
32	अध्यादेश 16 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
33	अध्यादेश 17 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
34	अध्यादेश 18 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (नौसेना इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
35	अध्यादेश 19 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
36	अध्यादेश 20 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (ड्रेडजिंग तथा बंदरगाह इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
37	अध्यादेश 21 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में प्रोफसर (नौसेना वास्तुकला) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
38	अध्यादेश 22 / 2018	नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
39	अध्यादेश 23 / 2018	समुद्री प्रबंधन स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (लॉजिस्टिक व आपूर्ति चेइन प्रबंधन / बंदरगाह और जहाज प्रबंधन) पद के लिए नियुक्ति नियम	*ईसी 2018-43-06* दिनांक 29.01.2018
40	अध्यादेश 24 / 2018	संबद्धता शुल्क निर्धारित करनेवाले अध्यादेश	*ईसी* 2014–28–12 दि 26.6.2014 के तहत
41	संशोधित कानून–18	अध्ययन स्कूल तथा विभागें	ईसी *2017-38-08* दि 28.03.2017
42	संशोधित कानून 19	अनुसंधान अध्ययन बोर्ड	ईसी *2017-38-08* दि 28.03.2017
43	संशोधित कानून 11(1)(l)	कार्यकारिणी परिषद का गठन	ईसी *2017-41-04* दि *21.12.2017*

(टिप्पणी : यदि उपर उल्लेख किए गए दस्तावेजो के हिंदी और इंग्लीश संस्करण मे विसंगती हो, तो इंग्लीश संस्करण को सही माना जायेगा)

अध्यादेश 04 / 2014

[कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2014—.28—14 दि 26.06.2014 तथा ईसी 2014—29—30 दि 31—10—2014 और ईसी2017—38—08 दि 28—03—2017 के अनुसार संशोधित]

"स्कूल बोर्डों से संबंधित अध्यादेश

1. प्रत्येक स्कूल का एक स्कूली बोर्ड उपलब्ध रहेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

   (i) स्कूल का डीन (पदेन)

   (ii) स्कूल का विभागाध्यक्ष (पदेन)

   (iii) कुलपति द्वारा भा स वि से नामांकित एक प्रोफसर, एक एसोसियेट प्रोफसर तथा एक सहायक प्रोफसर

   (iv) संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं से कुलपति द्वारा नामांकित चार विषय विशेषज्ञ जिनकी संख्या 4 से अधिक नहीं होगी ।

   (v) महानिदेशालय (पोत) द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ (मात्र नॉटिकल अध्ययन स्कूल तथा समुद्री अध्ययन स्कूल से संबंधित)

   (vi) मेराइन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्कूल तथा नॉटिकल अध्ययन स्कूल के प्रकरण में, छ से अधिक विषय विशेषज्ञ नहीं होंगे, जो विश्वविद्यालय या उससे संबद्धता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी नहीं होंगे और जिनका कुलपति द्वारा प्रस्तावित बारह नाम के पेनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामांकन किया जाएगा और नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग और समुद्री प्रबंधन स्कूल के प्रकरण में नौ से अधिक विषय विशेषज्ञ नहीं होंगे, जो विश्वविद्यालय या उससे संबद्धता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी नहीं होंगे और जिन्हें कुलपति द्वारा प्रस्तावित पंद्रह नाम के पेनल में से शिक्षा परिषद द्वारा नामांकन किया जाएगा।

2. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की कार्यालयीन अवधि तीन वर्ष होगी और वे पुनः नामांकन के लिए अर्ह होंगे।

3. स्कूल का डीन बोर्ड का अध्यक्ष रहेंगे और बोर्ड बैठक का आयोजन करेंगे। जहॉ डीन पद रिक्त है, अध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी।

4. स्कूल बोर्ड गतिविधियॉ, शिक्षा परिषद को सिफारिश करना है।

   (a) स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन का पाठ्यक्रम, और उसके पाठ्य विवरण, सिलबी व नियम

   (b) अन्य विश्वविद्यालय / संस्थाओं से प्रदत्त पाठ्यक्रमों की समतुल्यता / मान्यता से संबंधित सभी विषय

   (c) स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्यापक मानक को वृद्धि करने के लिए कदम

   (d) अध्यादेश से निर्धारित ऐसे अन्य गतिविधियॉ

5. बोर्ड बैठकें साधारण या विशेष हो सकता है। साधारण बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी जिसमें से एक को शैक्षिक सत्र के प्रथम त्रैमासिक में आयोजित किया जाएगा।

6. स्वतः या कुलपति के सुझाव पर या बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम 1 / 5 सदस्यों से लिखित प्रार्थना पर विशेष बैठकों का आयोजन डीन द्वारा किया जा सकता है।

7. बोर्ड बैठक के लिए कोरम, कुल सदस्या की1 / 3 होगा।

8. बोर्ड के साधारण बैठक के लिए सूचना, बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व जारी किया जाएगा और विशेष बैठक के विषय में इसे बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम पांच दिनों के पूर्व जारी किया जाएगा।

9. बैठक आयोजन संबंधित नियम इस संबंध में निर्मित नियंत्रणों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी। ''

अध्यादेश 10/2015

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2015–30–24 दि 25.02.2015 और सं.ईसी 2017–38–33 दि 28.03.2017 के तहत संशोधित)

''निजी सचिव पद के लिए नियुक्ति नियम

1	पद का नाम	निजी सचिव
2.	पदों की संख्या	4
3.	वर्गीकरण	'सचिवीय पद, दल 'बी '
4.	वेतनमान	ग्रेड वेतन रु.4800 के साथ वेतन बैंड 9300–34800
5.	चयन पद है कि गैर–चयन पद	सीधे नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं होगी। पदोन्नति के प्रकरण में चयन के द्वारा
6.	सीधे नियुक्ति के लिए आयु सीमा	आयु : 45 वर्ष से अधिक नहीं (उचित प्रकरणों में कुलपति द्वारा 2 वर्ष का छूट दिया जा सकता है।)
7.	सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	आवश्यकताएँ : – शैक्षिक व तकनीकि योग्यताएँ (i) स्नातक उपाधि (ii) अंग्रेजी टंकण में उच्च/ सीनियर ग्रेड (प्रति मिनट 45 शब्द) (iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में दक्षता सेवा योग्यताएँ : नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष के साथ निजी सहायक या समतुल्य। आवश्यक अनुभव के साथ गैर–सरकारी संगठनों में कार्य करनेवाले व्यक्ति भी अर्ह होंगे। वांछनीय (i) अंग्रेजी में आशुलिपि उच्च / सीनियर श्रेणी (प्रति मिनट 120 शब्द) (ii) हिन्दी टंकण
8.	पदोन्नति प्राप्त करनेवाले/ प्रतिनियुक्तिकार/समामेलनं के प्रकरण मे, क्या सीधे नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी?	**पदोन्नति** आयु : नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ : हॉ **प्रतिनियुक्ति** आयु : 45 से अधिक न हो शैक्षिक योग्यताएँ और अन्य योग्यताएँ : हॉ **समामेलन**: आयु : 48 वर्ष से अधिक न हो शैक्षिक योग्यताएँ और अन्य योग्यताएँ : हॉ

		(उपयुक्त प्रकरणों में कुलपति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ समामेलन के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष छूट दी जा सकती है)
9	परीवीक्षणावधि की अवधि, अगर कुछ हो	सीधे नियुक्ति मात्र के लिए दो वर्ष
10	नियुक्ति की तरीका, सीधे नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थान परिवर्तन और विभिन्न तरीकों से नियुक्ति के रिक्तियों का प्रतिशत	सीधे नियुक्ति/ पदोन्नति/ समामेलन के जरिये सीधे नियुक्ति एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा तथा टंकण में क्षमता परीक्षा के जरिये की जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को मात्र ही क्षमता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। (कोई साक्षात्मक नहीं होगी) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समामेल के प्रकरण में स्क्रीनिंग परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थान परिवर्तन के द्वारा नियुक्ति के प्रकरण में, वर्ग जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समामेलन/ स्थान परिवर्तन किया जाएगा	पदोन्नति : नियमित सेवा मेंकम से कम 8 वर्ष के साथ निजी सहायक या समतुल्य में से, **प्रतिनियुक्ति** : एक व्यक्ति, जो अनुरूप पद का नियमित तौर पर वहन करता है या जिनका किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में ग्रेड वेतन रु.4200/— के साथ वेतन बैंड 9300—34800 में निजी सहायक या समान पद में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव हो। समामेलन : मूल संगठन से सहमति के तहत, प्रतिनियुक्तिकार, जिन्होंने भा स वि में निजीसचिव के रूप में नित्नतम 3 वर्ष अवधि के लिए संतुष्टजनक कार्य किया है अगर रिक्तियों में नियुक्ति हेतु पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो, सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का हक कार्यकारिणी परिषद आरक्षित रखता है।
12	अगर एक विभागीय पदोन्नति समिति/ नियुक्ति समिति उपलब्ध है तो उसका गठन कैसे किया जाता है	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव (ii) कुलपति द्वारा नामित एक परिसर निदेशक (iii) कुलपति का दो नामिति
13.	सेवानिवृत्ति आयु	सेवानिवृत्ति आयु : 60 वर्ष प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी का संबंधित आयु लागू होगी।
14.	टिप्पणी	(1) समय समय पवर भारत सरकार द्वारा जारी किये जानेवाले आदेशों के अनुपालन में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे जाति/ पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा।

		(2) अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि, अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। उपयुक्त कम्प्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा संबंधित योजना तैयार करने कुलपति को प्राधिकृत किया गया है।

अध्यादेश 17 / 2015

[कार्यकारिणी समिति संकल्प सं. काका 2015-31-28 दि 26-06-2015,

काका 2016.37.05 दि 22.12.2016 और 2017-41-17 दि 21.12.2017 के तहत]

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक उपस्थिति और अध्ययन में ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए नियम

1. एक सत्र में कुल संपर्क घंटे
   a) डीजी (एस) / एसटीसीडब्ल्यू के परिधि के अधीन कार्यक्रमों के लिए यह डीजी (एस) / एसटीसीडब्ल्यू द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी और
   b) अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए, यह प्रति सत्र के लिए 520–540 घंटे के बीच रहना चाहिए। (दोनों अध्यापन तथा प्रायोगिक सम्मिलित करके)
2. विद्यार्थियों को नियमित तौर पर और समय पर वर्ग में तथा अन्य गतिविधियों में उपस्थित होना है।
3. प्रत्येक वर्ग के प्रारंभ में उपस्थित को दर्ज की जाएगी। किसी वर्ग में 10 मिनट से अधिक विलंब से आनेवाले विद्यार्थी को उस वर्ग में अनुपस्थित अंकित की जाएगी।
4. सही वर्दी के बिना वर्ग / प्रायोगिक में आनेवाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित अंकित की जाएगी। (जहॉ भी वर्दी को निर्धारित किया गया हो)
5. प्रत्येक कार्यकारी दिन को दो सत्रों में विभाजित किया जाएगा जैसे एक पूर्वान्ह सत्र तथा अपरान्ह सत्र। अगर एक विद्यार्थी एक मात्र भाषण में या प्रायोगिक वर्ग में या पेरेड में या फॉल इन लायन में अनुपस्थित होने पर उन्हें संपूर्ण सत्र में अनुपस्थित अंकित की जाएगी जैसे वह आधादिन उपस्थित खो देंगे।
6. भारतीय समद्री विश्वविद्यालय के सत्रांत परीक्षाओं में बैठने के लिए सभी विद्यार्थियों को कम से कम 85 प्रतिशत की उपस्थिति की जरूरत है। (सिद्धांत व प्रायोगिक)। उपस्थिति आकलन के लिए कट–आफ तारीख, सत्रांत सैद्धांतिक पत्र परीक्षाओं की शुरूआत की तारीख के पूर्व 15 दिन होगी।
7. उपस्थिति की निम्नतम औसतम को सत्र में कुल कार्यकारी दिनों के शर्तों में ही आकलन करनार है और उसका आकलन वर्ग या विषयवार नहीं करना है।
8. छात्रवृत्ति या अन्य सहायता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपस्थिति औसतम की आवश्यकता हो सकती है।
9. संबंधित परिसर के निदेशक / प्राध्यापक से पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए, पाठयेतर गतिविधि मीठ / प्रतियोगिताओं, खेल प्रतियोगिताओं, सेमिनार आदि में संबद्धता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय / राज्य / देश को प्रतिनिधित्व करनेवाले विद्यार्थियों को अनुपस्थिति अंकित नहीं की जाएगी, ऐसे विद्यार्थियों को सत्र के कुल कार्यकारी दिनों में से 10 प्रतिशत सीमा के तहत वर्गों में उपस्थित माना जाएगा।
10. अगर विद्यार्थी का चिकित्सा, वियोग अया किसी और कारण से, 85 प्रतिशत से कम पर 75 प्रतिशत से अध्धिक या समतुल्य उपस्थिति हो तो परिसर निदेशक / प्राचार्य द्वारा उपस्थिति में कमी को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि उपस्थिति के लिए निर्धारित माफी शुल्क वसूल किया गया हो।

11. किसी भी परिस्थिति में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति को माफ नहीं की जाएगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के साथ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के सत्रांत परीक्षा देने अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अगले सत्र में चलने अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे 'ब्रेक—इन—स्टडीज ' के रूप में माना जाएगा और उस विद्यार्थी को अगले शैक्षिक वर्ष में इस अपूर्ण सत्र को दोहराना पडेगा। इस कार्यक्रम में पुनःजुडने के पूर्व, उन्हें 1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ब्रेक इन स्टडीज के लिए माफी शुल्क जमा करना पडेगा 2. जहॉ वह अपूर्णसत्र को पुनः पढ रहा है वहॉ संबंधित सत्र. के लिए फिर से सत्र शुल्क भुगतान करें और 3 कुलपति से पूर्व अनुमति प्राप्त करें। संशोधन के लिए किसी भी विनती पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. पर भी, ऐसे विद्यार्थीं पूर्व सत्रों के परीक्षाओं में एरियर परीक्षाओं को मात्र लिख पाऍंगे।

13. निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक को निम्न विवरण भेजने की जिम्मेदारी परिसर निदेशक/ प्राचार्य की होगी। 1. सभी विद्यार्थीयों से संबंधित उपस्थिति विवरण और 2. उन विद्यार्थियों की उपस्थिति विवरण, जो माफी के लिए अर्ह है और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग तौर पर — परीक्षाओं की शुरूआत के कम से कम 14 दिनों के पूर्व या ऐसे निर्धारित किये गये अन्य किसी तारीख के पूर्व — उपस्थिति के लिए माफी शुल्क जमा किया हो। विद्यार्थी जिन्हें माफी शुल्क भगतान करना हो पर अब तक नहीं किया है के संबंध में हॉल टिकल जारी नहीं की जाएगी या उनकी परीक्षफल स्थगित की जाएगी।

14. जहॉ विद्यार्थी परीक्षा नियत्रक को प्रति अंकित करते हुए संबंधित परिसर निदेशक/ प्राचार्य को लिखित सूचना देकर, शैक्षिक वर्ष के मध्य में, 'ब्रेक इन स्टडीज ' लेने हेतु, किसी कारण से, स्वयं बिछुडेंगे तो उनके बिछुडने के समय जिस सत्र को अपूर्ण छोडा था उसके प्रारंभ में या अगर उस सत्र को पूर्ण किया गया हो तो अगले सत्र में, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अन्दर, उसी परिसर/ संबंधदता प्राप्त संस्था में पुनःप्रवेश लेने अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में फिर पुनः प्रवेश लेने के पूर्व, उन्हें निम्न शुल्क को भुगतान करना पडेगा 1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ब्रेक इन स्टडीज के लिए माफी शुल्क 2. संबंधित सत्र के सत्र शुल्क को फिर से भुगतान करना जहॉ वह अपूर्ण सत्र पर पुनःप्रवेश ले रहा है और 3. कुलपति से पूर्व अनुमति लें। बशर्ते कि जहॉ भा स वि परिसर या संबंध्ता प्राप्त संस्था या संबंधित पाठ्यक्रम अनुपलब्ध है, ब्रेक इन स्टडीज के बाद पुनः प्रवेश लेने अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुसमर्थन के लिए प्रार्थना पर विचार नहीं की जाएगी।

अध्यादेश 18/2015

*[*कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2015—31—29 दि 26.6.2015 और कार्यकारिणी परिषद सं.ईसी 2017—38—21 दि 28.3. 2017 और ईसी *EC 2017-40-15* दि *15.09.2017* के तहत संशोधित*]*

भा स वि परिसर के विद्यार्थियों द्वारा देय सत्रांत शुल्क व जुर्माना

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिसरों के विद्यार्थियों द्वारा देय सत्रांत शुल्क समय—समय पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शैक्षिक वर्ष 2017—18 से भा स वि में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों के लिए लागू सत्रांत शुल्क निम्न है

भा स वि में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	आवासीय/ गैर—आवासीय	एक शैक्षिक वर्ष के लिए कुल शुल्क (रु.)	प्रत्येक सत्र के लिए देय शुल्क		
				विषम सत्र		सम सत्र
				पाठ्यक्रम शुल्क (रु.)	सत्र शुल्क (रु.)	सत्र शुल्क (रु.)
1.	बी.टेक (मेराइन इंजीनियरिंग)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
2.	बी.टेक (नौसेना वास्तुकला व महासमुद्री इंजीनियरिंग)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/	1,00,000/-	1,00,000/-

3.	बी.एससी (नॉटिकल विज्ञान)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	100,000/-	100,000/-
4.	बी.एससी (समुद्री विज्ञान)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	100,000/-	100,000/-
5.	बी.एससी (जहाज निर्माण व मरम्मत)	आवासीय	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/
6.	बीबीए (लॉजिस्टिक्स, रीटेइलिंग और ई–कामर्स)	गैर–आवासीय	1,00,000	25,000/-	25,000/-	50,000/-
7.	बीएससी की ओर ले चलनेवाले डीएनएस (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
8.	एम.टेक (नौसेना वास्तुकला व महासमुद्री इंजीनियरिंग)	आवासीय	2,25,000/	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
9.	एम.टेक (ड्रेडजिंग व बंदरगाह इंजीनियरिंग)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
10.	एम.टेक (समुद्री प्रौद्योगिकी और प्रबंधन)	आवासीय	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
11.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और लाजिस्टिक्स)	गैर–आवासीय	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
12.	एमबीए (बंदरगाह व पोत प्रबंधन)	गैर–आवासीय	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
13.	एम.एससी (वाणिज्यिक पोत लॉजिस्टिक्स)	गैर–आवासीय	1,25,000/-	25,000/-	50,000/-	50,000/-
14.	पीजीडीएमई	आवासीय	3,50,000/-	25,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
15.	एम.एस. (अंनुसंधान द्वारा)	गैर–आवासीय	1,75,000/-	25,000/-	1,50,000 प्रत्येक वर्ष	

टिप्पणी : अगर 'गैर–आवासीय पाठ्यक्रम ' में अध्ययनरत विद्यार्थी भा स वि परिसर में रहना चाहता है तो (भा स वि के विवेक तथा उपलब्धता पर आधारित करके), उन्हें शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में एक किश्त में रु.60000/– अतिरिक्त रकम भुगतान करना पडेगा।

2. सत्र शुल्क – पाठ्यक्रम पर आधारित करके – इसमें निम्न सभी या कुछ शामिल हो सकती है : ट्यूशन शुल्क (ग्रन्थालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कार्यशाला शुल्क, औद्योगिक दौरा शुल्क, पाठ्येतर गतिविधि शुल्क, चिकित्सा शुल्अ आदि सम्मिलित करके), मेस

प्रभार, लॉड्जिंग प्रभार, बाल ठीक करने प्रभार, लॉडरी प्रभार, वर्दी लागत, पुस्तकों का लागत और ऐसे ही। इसमें प्रवेश के समय वसूल किये जाने वाले ब्याज रहित, एकमुश्त सावधानी जमा रु. 20,000/– सम्मिलित नहीं है।

3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय आरिजिन के व्यक्ति/ विदेशी नागरिक के अधीन प्रवेश दिये गये विद्यार्थियों के लिए उच्च सत्र शुल्क निर्धारित करने का हक विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।

4. भारतीय स्टेट बैंक के आई–कलेक्ट के जरिये या किसी एलक्ट्रानिक/ ऑनलाइन निधि अंतरण के जरिये या ऐसे तरीके से जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी तरीके से सत्र शुल्क को जमा करना है।

5. विद्यार्थी को प्रवेश दिये जाने से पूर्व, किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र के लिए, सत्र से संबंधित पूर्ण सत्र शुल्क वसूला जाएगा। जब तक कि प्रथम सत्र से संबंधित सत्र शुल्क को पूर्ण रूप से जमा करेंगे, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी परिसर में, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दी जाएगी।

6. द्वितीय सत्र से, सत्र शुल्क, सत्र की प्रारंभ दिवस को देय होगी।

7. अगर सत्र के प्रारंभ दिवस से 15 दिनों के अन्दर सत्र शुल्क को पूर्ण रूप से अदा की जाएगी तो कोई जुर्माना नहीं होगी।

8. सत्र के प्रारंभ दिवस से 16वें दिन से 45वें दिन के बीच, सत्रीय शुल्क को विलंब से अदा करने के लिए जुर्माना, 15 दिनों के अन्दर सत्रीय शुल्क आंशिक तौर पर अदा किया जाएगा तो भी, प्रत्येक दिन के लिए रु. 200/– होगी।

9. विद्यार्थियों से सत्र शुल्क, पूर्ण रूप से तथा समय पर वसूली सुनिश्चित करना परिसर निदेशक की जिम्मेदारी होगी। वह विभाग के सूचना पट् तथा छात्रावास में, 15 दिनों के अन्दर सत्र शुल्क को पूर्ण रूप से अदा न किये डिफाल्टरों की सूची को प्रदर्शन करेगा। आगे, वह लिखित तौर पर, डिफाल्टरों को मात्र व्यक्तिगत सूचना नहीं देगा, बल्कि उनकी मॉ–बाप को भी चेतावनी देगा कि विश्वविद्यालय के रोल से डिफाल्टरों के नामों को निकाला जा सकता है और सत्र के प्रारंभ दिवस से 45 दिनों के पूर्व पूर्ण रूप से देय जुर्माना के साथ सत्र शुल्क जमा नहीं करेंगे तो उन्हें छात्रावास से निकाला जा सकता है।

10. अगर सत्र के प्रारंभ दिवस से 45 दिनों के बाद भी देय जुर्माना के साथ सत्र शुल्क का किसी अंश निलंबित रहेगी तो, विश्वविद्यालय के रोल से डिफाल्टरों का नाम निकाला जाएगा और उन्हें 46वें दिवस से छात्रावास से भी बाहर किया जएगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदीर परिसर निदेशक की है।

11. सत्र के प्रारंभ दिवस से 46वें दिन से 75वें दिन के बीच देय जुर्माना के साथ व पुनःप्रवेश शुल्क के रूप में रु.10000/– के साथ पूर्ण रूप से सत्र शुल्क को अदा करेगा तो डिफाल्ट करने वाले विद्यार्थी को पुनः प्रवेश लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इस ब्रेक के कारण से उपस्थिति में कोई कमी आ जाए तो उसके लिए विद्यार्थी ही जिम्मेदार है।

12. अगर डिफाल्ट करनेवाले विद्यार्थी इस अवसर का भी उपयोग करने से चूकेगा और देय जुर्माना के साथ सत्र शुल्क को तथा सत्र के प्रारंभ दिवस से 75 दिनों के अधीन पुनःप्रवेश शुल्क रु.10000/– अदा नहीं करेगा तो उस विद्याथी अध्ययन में ब्रेक का सामना करेगा और विश्वविद्यालय से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, बशर्ते कि सभी निलंबित देयताओं को चुकाएँगे, अगले शैक्षिक वर्ष में उसी सत्र में पुनः प्रवेश प्राप्त कर पाएगा।

13. मॉ–बाप तथा विद्यार्थियों से निलंबित देयों की पुनःवसूली हेंतु कानूनी कार्यवाही अपनाने तथा ऐसे देयों के पूर्ण रूप से अदा किये जाने तक मूल प्रमाण पत्रों को स्थगित करने का हक विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

14. अगर एक विद्यार्थी, प्रवेश पंजीकरण शुल्क तथा पाठ्यक्रम शुल्क अदा करने के बाद, निर्धारित समय के अन्दर प्रथम सत्र में पाठ्यक्रम में भर्ती होने के लिए परिसर में नहीं आएँगे तो किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पंजीकरण शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क वापस लेने के लिए हकदार नहीं होंगे।

15. अगर अपने प्रवेश पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क तथा प्रथम सत्र के लिए सत्र शुल्क जमा करने के बाद, विशविद्यालय से हट जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उनसे जमा किये गये प्रवेश पंजीकरण शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क तथा सत्र शुल्क वापस लेने के लिए हकदार नहीं होंगे।

16. अगर विद्यार्थी, किसी अन्य सत्र के बीच में विश्वविद्यालय से हट जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम शुल्क तथा सत्र शुल्क वापस लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। पर भी, लिखित आवेदन पर, विद्यार्थी से प्राप्य सभी देयों को काटने के बाद, सावधानी जमा वापस देय होगी।

17. ऊपर अभिव्यक्त विषयों के बावजूद, जब तक कि उनसे देय सभी शुल्कों को, परीक्षा शुल्क को अदा करेंगे और 'कोई देय नहीं' प्रमाण पत्र पेश करेंगे, किसी भी विद्यार्थी को अंतिम–सत्र परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यादेश 19 / 2015

(कार्यकारिणी परिषद् संकल्प सं.ईसी 2015–31–30 दि 26.06.2015 और सं.ईसी 2016–34–18 दि 23.05.2016 तथा ईसी 2017–38–23 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित)

परीक्षाओं, पदवीदान तथा अन्य विभिन्न प्रकार्यों के लिए पारिश्रमिक व शुल्क

क्रम सं	विवरण	प्रस्तावित रकम
A) सीईटी / सीआरटी संबंधित शुल्क		
(i)	सामान्य विद्यार्थियों के लिए स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ऑन लाइन सीईटी	रु. 1,000
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए स्नातक / स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन सीईटी	रु. 700
(iii)	सामान्य विद्यार्थियों के लिए पी.एचडी पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन सीईटी	रु. 1,500
(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पी.एचडी पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन सीईटी	रु. 1,000
(v)	सामान्य विद्यार्थियों के लिए ग्रूप 'ए' पद में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन सीआरटी	रु. 1,500
(vi)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए दल 'ए' पद में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन सीआरटी	रु. 1,000
(vii)	सामान्य विद्यार्थियों के लिए गैर–दलीय 'ए' पदों में नियुक्ति हेतु ऑनलाइन सीआरटी	रु. 1,200
(viii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए गैर–दलीय 'ए' पदों हेतु नियुक्ति के लिए ऑनलाइन सीआरटी	रु. 800
(ix)	सामान्य विद्यार्थियों के लिए बीबीए (लॉजिस्टिक्स, रीटेइलिंग व ई–कामर्स) में प्रवेश हेतु आवेदन करनेवाले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क	रु. 200

(x)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए बीबीए (लाजिस्टिक्स, रीटेइलिंग व ई—कामर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क	रु. 140
B) परीक्षा और अन्य संबंधित शुल्क		
1) स्नातक पाठ्यक्रम (सत्र और गैर—सत्र प्रणाली)		
(i)	प्रत्येक लिखित पत्र	रु. 300/— रु. 500 (अरियर के लिए) पत्र
(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक — 3 घंटे	रु. 200/— रु. 300 (अरियर के लिए) पत्र
(iii)	परियोजना कार्य	रु. 500
2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
(i)	प्रत्येक लिखित पत्र	रु. 400/— रु. 500 (अरियर के लिए) पत्र
(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक	रु. 200/— रु. 300 (अरियर के लिए) पत्र
(iii)	शोध निबंध/ परियोजना	रु. 500
(iv)	मौखिक	रु. 250
3) पीएच.डी पाठ्यक्रम		
(i)	पूर्ण कालीन पीएच.डी विदवानों के लिए वार्षिक शुल्क	
	प्रथम 3 वर्षों के लिए	रु. 30,000
	डॉक्टरल समिति द्वारा चौथे और पांचवीं वर्षों के लिए विस्तार	रु. 40,000
	कुलपति द्वारा छठे वर्ष विस्तार के लिए	रु. 50,000
(ii)	अंशकालीन पीएच.डी विद्वानों के लिए वार्षिक शुल्क	
	प्रथम 4 वर्षों के लिए	रु. 60,000
	डॉक्टोरल समिति द्वारा पॉचवें तथा छठे वर्षों के विस्तार के लिए.	रु. 75,000

	कुलपति द्वारा 7वें वर्ष के विस्तार के लिए	रु. 1,00,000
(iii)	पूर्व–सार सेमिनार प्रदर्शन शुल्क	रु. 10,000
(iv)	सार समर्पण शुल्क	रु. 10,000
(v)	शोध समर्पण शुल्क	रु. 30,000
(vi)	मौखिक शुल्क	रु. 20,000
पीएच.डी अभ्यर्थी जो अधिकतम अनुमत्य अवधि के अधीन शोध समर्पण करने में चूकता है और जिन्हें नए सिरे से पुनः पंजीकरण कर लेने की आवश्यकता होगी द्वारा पूर्ण रूप से फिर सभी शुल्क (1) अदा करना पडेगा।		
4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम		
प्रत्येक लिखित / प्रायोगित पत्र		रु. 200 रु. 300 (अरियर)
5) प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम		
प्रत्येक लिखित पत्र		रु. 150 रु. 200 (अरियर पत्र के लिए)
C) परीक्षाओं से संबंधित अन्य शुल्क		
(i)	उत्तर–पुस्तिका की फोटो कॉपी प्राप्त करने के लिए	रु. 80
(ii)	किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के प्रत्येक पत्र में अंक की जोड को जॉच करने के लिए (प्रत्येक पत्र के लिए) – पुनः जॉच	रु. 250
(iii)	प्रत्येक पत्र पुनःमूल्यांकन शुल्क	रु. 500
(iv)	प्रत्येक बार प्रत्येक परीक्षा लिखने पर अंक तालिका जारी करने के लिए	रु. 150
(v)	प्रत्येक बार प्रत्येक परीक्षा लिखने पर अंक तालिका प्रतिलिपि जारी करने के लिए	रु. 200 + रु. 100 प्रत्येक वर्ष के लिए अन्वेषण शुल्क
(vi)	अंकों की समेकित तालिका	रु. 500
(vii)	तात्कालिक प्रमाण पत्र	रु. 250
(viii)	तात्कालिक प्रमाण पत्र प्रतिलिपि	रु. 500

(ix)	ट्रान्सक्रिप्ट शुल्क	
	- एक प्रति	रु. 1000
	- प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिलिपि	रु. 500
D) पदवीदान और अन्य संबंधित शुल्क		
(i)	स्नातक उपाधि	
	- हाजिरी में	रु. 500
	- गैर—हाजिरी	रु. 500
(ii)	स्नातकोत्तर उपाधि	
	- हाजिरी में	रु. 1,000
	- गैर—हाजिरी	रु. 1,000
(iii)	पीएच.डी.	
	- हाजिरी में	रु. 2,000
	- गैर'—हाजिरी में	रु. 2,000
(iv)	किसी अन्य स्नातक उपाधि/डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र	
	- हाजिरी में	रु. 500
	- गैर—हाजिरी में	रु. 500
(v)	स्नातक उपाधि प्रतिलिपि	पदवीदान शुल्क + प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए रु. 100 अन्वेषण शुल्क
E) प्रवेश पजींकरण/ काउन्सलिंग शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क		
(i)	मैनेजमेंट/ प्रायोजित अभ्यर्थियॉ, लेटरल प्रवेश के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले तथा पीएच.डी सम्मिलित करके भा स वि परिसर तथा संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा देय एक—बार प्रवेश पंजीकरण/ काउन्सलिंग शुल्क	रु. 10,000
(ii)	मैनेजमेंट/ प्रायोजित अभ्यर्थियों को सम्मिलित करके भा स वि परिसर तथा संबद्ध संस्थाओं में लेटरल प्रवेश के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेनेवाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा देय प्रत्येक वर्ष देय पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 25,000.

F) अन्य शुल्क		
i)	उपस्थिति में कमी के लिए माफी शुल्क	85 प्रतिशत से कम पर 80 प्रतिशत से अधिक या समान उपस्थिति रखनेवाले विद्यार्थियो के लिए रु. 5,000 और 75 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए रु. 10000/–
(ii)	ब्रेक–इन–स्टडीज़ के लिए माफी शुल्क	1 वर्ष ब्रेक के लिए रु. 2000/– 2 वर्ष ब्रेक के लिए रु. 5000 और 3 वर्ष ब्रेक के लिए रु. 9000/–
(iii)	विश्वविद्यालय के अभिलेखों में तथा प्रमण पत्र/ डिप्लोमा में अभ्यर्थियों के नाम या जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के लिए	रु. 500
(iv)	प्रवासन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए	रु. 200
(v)	प्रवासन प्रमाण पत्र प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए	रु. 300
(vi)	प्रमाण पत्र की सहीपन को जॉच करने के लिए	रु. 1000
G) प्रश्न पत्र सेट करने वाले तथा संबंधित गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक		
(i)	प्रश्न पत्र सेटिंग	
	सामान्य नियुक्ति परीक्षा (सीआरटी)	रु. 5,000
	सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	रु. 2,500
	विश्वविद्यालय परीक्षाएँ	रु. 1,500
(ii)	उत्तर कुंजी की तैयारी	
	सामान्य नियुक्ति परीक्षा (सीआरटी)	रु. 5,000
	सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	रु. 2,500
	विश्वविद्यालय परीक्षाएँ	रु. 1,500
H) परीक्षा दायित्वों के लिए पारिश्रमिक		
(i)	फलायिंग स्कवाड्	प्रत्येक दिन रु. 1,500
(ii)	मुख्य अधीक्षक	रु.1500*
(iii)	अब्सर्वर (दल ए)	प्रत्येक दिन .रु. 1500*
(iv)	अब्सर्वर (दल बी और सी)	प्रत्येक दिन रु. 1250*

(v)	निरीक्षण/ हॉल सूपरिटेन्डेन्ट (प्रत्येक सत्र) – प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए	प्रत्येक सत्र रु. 500
(vi)	समर्थित लिपिकीय – प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के लिए	प्रत्येक दिन रु. 200
(vii)	अटेन्डर– प्रत्येक 100 विद्यार्थी के लिए	प्रत्येक दिन.रु. 100
(viii)	प्रायोगिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक (अभिलेख व मौखिक सम्मिलित करके)	प्रत्येक विद्यार्थी रु. 15 – प्रत्येक आंतरिक तथा बाह्य परीक्षकों के लिए
(ix)	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शोध प्रबंध/ डिसर्टेशन के लिए परीक्षकों को पारिश्रमिक	डिसर्टेशन हेतु प्रत्येक विद्यार्थी रु. 150/– और मौखिक हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रु.50/– प्रत्येक आंतरिक तथा बाह्य परीक्षकों के लिए
I) मूल्यांकन व संबंधित दायित्वों के लिए पारिश्रमिक		
(i)	सह–समन्वयक/अध्यक्ष	प्रत्येक दिन रु.1000/– (प्रत्येक सत्र अधिकतम रु.5000/– के तहत)
(ii)	मूल्यांकन पारिश्रमिक	रु. 50/–' प्रत्येक उत्तरपुस्तिका (प्रत्येक सत्र 25 उत्तर पुस्तिका की सीमा या प्रत्येक दिन 50 उत्तर पुस्तिकाएँ)
(iii)	समर्थन देने वाले लिपिक कर्मचारी	प्रत्येक दिन रु. 200/–
(iv)	अटेन्डर	प्रत्येक दिन रु. 100/–
J) पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त मार्गदर्शक, सह–मार्गदश्रक, भा स वि संकाय सदस्य, विशेषज्ञ और परीक्षकों को देय पारिश्रमिक		
(1)	**डॉक्टोरल समिति**	
(i)	मागदर्शक (भारतीय)	सार समर्पित करने पर रु.5000/– भुगतान करना है मौखिक पूर्ण करने के बाद और रु.5000/– भुगतान करना है।
(ii)	सह–मार्गदर्शक (भारतीय)	सार समर्पित करने पर रु.4000/– भुगतान करना है मौखिक पूर्ण करने के बाद और रु.4000/– भुगतान करना है।
(iii)	मार्गदर्शक या सह–मार्गदर्शक (विदेशी)	जैसे आपस में सहमति दिया गया हो

(iv)	डॉक्टोरल समिति में भा स वि संकाय सदस्य (मार्गदर्शक या सह–मार्गदर्शक के अलावा)	सार समर्पित करने के बाद रु. 3000/–, मौखिक पूर्ण करने के बाद और रु. 3000/–
(v)	डॉक्टोरल समिति में भा स वि से बाह्य विशेषज्ञ	प्रत्येक सिट्टिंग के लिए रु. 2500/–
(2)	**शोध का अधिनिर्णय**	
(i)	बाह्य परीक्षक (भारतीय)	रु. 5,000
(ii)	बाह्य परीक्षक (विदेशी)	यूएस $ 500
(3)	**मौखिक परीक्षक (भारतीय)**	रु. 2,500

(*) अगर एक विशिष्ट परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है तो देय पारिश्रमिक को 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

अध्यादेश 28/2015

*[*कार्यकारिणी परिषद् संकल्प सं.ईसी 2015–31–36 दि 26/06/2015 और ईसी 2018–43–06 दि 29/01/2018 के तहत संशोधित*]*

परिसर निदेशक पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	पद का नाम	परिसर निदेशक
2.	वर्गीकरण	शैक्षिक पद
3.	वेतनमान	वेतन बैंड 4 – रु.37400–67000 एजीपी रु.10000 के साथ
4.	चयन पद है कि गैर–चयन पद	चयन पद आंतरिक अभ्यर्थी जिन्हें सीधे नियोजन के अधीन चयन किया गया, वह विशिष्ट अवधि के पूर्ण होने पर पूर्व पद में वापस आ जाएँगे।
5.	आयु/सीमा	62 वर्षों से अधिक नहीं
6.	सीधे नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	वर्ग 1 : शैक्षिक 1. भा स वि में किसी भी स्कूल में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी 2. पर भी, उपयुक्त अधिकतम उम्र 62 होगी। वर्ग 2 : अनुसंधान संस्थाएँ 1. इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड 2. इंजीनियरिंग – पी.एचडी 3. अभ्यर्थी का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना है जिसमें से अनुसंधान संस्था में वैज्ञानिक एफ या समतुल्य रैंक में 5 वर्ष का अनुभव रहना है।

		या अनुसंधान संसथा में वैज्ञानिक जी या समतुल्य रैंक का रहना है। **वांछनीय** : सहकर्मी की समीक्षा की हुई पत्रिकाओं में प्रकाशनों का गवाह वर्ग 3 : नाविक 1. महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1/लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में 2 वर्षों के अनुभव के साथ मास्टर नाविक (एफजी) 2. पोत उद्योग (नौकायन, अपतटीय, शैक्षिक, वर्गीकरण सोसाइटी और अन्य संबंधित क्षेत्र) में कम से कम 20 वर्षों का कुल कार्य अनुभव। कुल कार्य अनुभव आकलन के विषय के लिए, नौकायन को दो के कारक से गुणा किया जाएगा। या कम से कम 10 वर्षों का नौकयान अनुभव, जिसमें उपरोक्त अनुच्छेद 1 में संदर्भित प्रबंधन स्तर में 2 वर्षों का नौकायन अनुभव वांछनीय : a. सहकर्मी की समीक्षा की हुई जर्नलों में प्रकाशन का गवाह b. 2014 के पूर्व प्राप्त पीजीडीएमओएम या अतिरिक्त मास्टर्स या अतिरिक्त प्रथम श्रेणी या पीएच.डी वर्ग 4 : नौसेना अधिकारी 1. सेवारत/ सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी जिनका कोमोडार या समतुल्य/ उससे ऊपर के श्रेणी में 5 वर्ष का अनुभव हो तथा नौकायन/ समुद्री या विद्युत इंजीनियरिंग/ नौसेना वास्तुकला शाखा में अनुभव हो **वांछनीय** a. सहकर्मी की समीक्षा की हुई जर्नलों में प्रकाशन का गवाह b. नौसेना प्रशिक्षण संस्थाएँ/ मुख्यालय में अनुभव
7.	सेवानिवृत्ति का उम्र	65 वर्ष
8.	नियुक्ति तरीका, सीधे नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ अंतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों के प्रयोग से रिक्तियों में नियुक्ति प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति द्वारा/ सीधे नियुक्ति द्वारा अगर प्रतिनियुक्ति द्वारा हो तो, उम्र तथा शैक्षिक अर्हताएँ सीधे नियुक्ति के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगी। अगर प्रतिनियुक्ति द्वारा हो, तो अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग/ एजेन्सी में अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व, कम से कम तीन वर्षों की पूर्ण अवधि पूर्ण करने की स्थिति में रहना है
9.	चयन समिति	परिसर निदेशक पदों में नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे (i) कुलपति (ii) सम कुलपति (iii) आगन्तुक का नामांकन

		(iv) उनसे नामांकित कायकारिणी परिषद् के दो सदस्य (v) विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले एक व्यक्ति जिन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकन किया जाय विधान 21(3) के अनुसार बैठक का कोरम निम्न रहेगा
10.	टिप्पणी	a. प्रारंभ में 3 वर्ष अवधि तक परिसर निदेश पद के लिए नियुक्ति की जाएगी । b. उपरोक्त अनुच्छेद 9 के अनुसार गठित समिति द्वारा संतुष्ट निष्पादन के पुनर्विलोकन के तहत, एक बार तीन वर्ष की अवधि तक 2 विस्तार के लिए अर्हता प्राप्त c. एक विशिष्ट परिसर के लिए प्रारंभ में परिसर निदेशक नियुक्ति के बावजूद भी, उन्हें भारत के किसी भी अन्य परिसर में अंतरण किया जा सकता है। d. अगर एक पूर्व विरासती संस्थान के कर्मचारी को परिसर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सेवानिवृत्ति के लिए संबंधित उम्र लागू होगी। e. प्रतिनियुक्तियों के विषय में, संबंधित मूल संस्था में सेवानिवृत्ति संबंधित उम्र लागू होगी। f. भा स वि में सीधे नियुक्तियों के लिए, सेवानिवृत्ति का उम्र 65 होगा। g. उपरोक्त ए और बी में संकेतित नियुक्ति की अवधि उपरोक्त डी से एफ में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति उम्र के तहत होगी। h. भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित साइन–ऑन और सोइन–ऑफ पर आधारित प्रवेश से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाता है। अनुच्छेद 6.3.2 (ए) में अर्हता कार्यवाही के लिए, सीडीसी दर्जों के अनुसार नौकायन अवधि को 2 से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, संपूर्ण सेवा को आकलन करते वक्त, सीडीसी दर्जों के अनुसार छ महीने की कुल नौकायन अवधि को 12 महीने के रूप में आकलन किया जाएगा (6X2)। i. अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी। j. शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। k. अर्हता की प्रासंगिकता और आवेदनों का जॉच विशेष जॉच समिति द्वारा की जाएगी। l. भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण किया जाएगा।

अध्यादेश 34 / 2015

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2015—31—42 दि 26.06.2015 और सं.ईसी 2016—36—28 दि 28.09.2016 तथा ईसी 2017—38—31 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित)

कुलसचिव पद के लिए नियुक्ति नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1.	पद का नाम	कुलसचिव
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	दल ए
4.	वेतनमान	वेतन बैंड 4 – रु.37400—67000 जीपी रु.10000 के साथ
5.	चयन पद है कि गैर—चयन पद	चयन पद
6.	सीधे नियुक्ति के लिए आयु सीमा	उम्र 57 वर्षों से अधिक नहीं रहना है। (पात्र प्रकरणों में 2 वर्ष तक कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है।)
7.	कुलसचिव के रूप में सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	वर्ग 1 : प्रोफसर या वैज्ञानिक जी से (a) कम से कम 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित सात पाइन्ट स्केल में उसके समतुल्य 'बी' श्रेणी (b) किसी राज्य विश्वविद्यालय / आईआईटी / एनआईटी / आईआईएम / अनुसंधान संगठन या समतुल्य में कम से कम प्रोफसर या वैज्ञानिक जी या वर्ग 2 : विश्वविद्यालय अधिकारियों में से (a) कम से कम 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित सात पाइन्ट स्केल में उसके समतुल्य 'बी' श्रेणी ; (b) किसी केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय / आईआईटी / एनआईटी / आईआईएम में कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक के रूप में या ऊपर विनिर्दिष्ट संस्थाओं में सहायक कुलसचिव / उप—कुलसचिव के रूप में 15 वर्ष प्रशासनिक अनुभव के साथ अधिकारी जिसमें से उप कुलसचिव के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो। (या)

		वर्ग 3 : मुख्य बंदरगाह या पीएसयू से ''मुख्य बंदरगाह या पीएसयू से (a) कम से कम 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी द्वारा निर्धारित सात पाइन्ट स्केल में उसके समतुल्य 'बी' श्रेणी ; (b) किसी मुख्य बंदरगाह में यातायात प्रबंधक या मुख्य अभियंता या मुख्य मेकनिकी अभियंता या उप संरक्षक (या) केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टॉर उद्यम में वरिष्ठ कार्यपालक (ई–7) के रूप में या राज्य पीएसयू में समतुल्य श्रेणी में कार्य करने वाले व्यक्ति (या) वर्ग 4 : नाविक से (a) स्नातकोत्तर (विदेश चलनेवाले)/ एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र (b) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो वर्ष का निम्नतम नौकायन अनुभव और (c) निम्न क्षेत्रों में एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम पन्द्रह वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नाविक अनुभव (उपरोक्त (बी) में संकेतित, निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक) (ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में नॉटिकल इंजीनियरिंग या समुद्री इंजीनियरिंग का अध्यापन (iii) पोत महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण समूह में नॉटिकल या इंजीनियरिंग सर्वेक्षक (iv) किसी विख्यात जहाज मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट (या) <u>वर्ग 5 ' केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के दल ए अधिकारी से</u> केन्द्रीय / राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त दल 'ए' अधिकारी जो राज्य सरकार में अतिरिक्त सचिव या केन्द्रीय सरकार में निदेशक श्रेणी के निम्न श्रेणी का न हो

8.	प्रतिनियुक्तिकारों के प्रकरण मे, क्या सीधे नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताऍं लागू होगी?	आयु सीमा : हॉ शैक्षिक योग्यताऍं : हॉ, वर्ग 5 के प्रकरण को छोडकर
9.	परीवीक्षणावधि की अवधि, अगर कुछ हो	सीधे नियुक्ति मात्र के लिए दो वर्ष
10.	नियुक्ति की तरीका	नियमित तौर पर समरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति के सीधे नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति
11.	अगर चयन समिति उपलब्ध है तो, उसकी गठन कैसे की जाएगी?	चयन समिति में निम्न होंगे (a) अध्यक्ष के रूप में कुलपति (b) उससे नामांकन किये गये कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (c) कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के सेवा न रहने वाले एक व्यक्ति (d) आगन्तुक द्वारा नामांकित एक व्यक्ति (e) न्यायालय द्वारा नामांकित एक व्यक्ति
12.	टिप्पणी	1. प्रारंभ में कुलसचिव के पद में नियुक्ति 6 वर्ष की होगी। संतुष्टजनक निष्पादन के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक एक बार विस्तार के लिए अर्ह होंगे।1 2. सेवानिवृत्ति आयु : सीधे नियुक्तियों के लिए 62 वर्ष प्रतिनियुक्तियों के लिए, अधिकतम 62 वर्ष के तहत, प्रायोजक विभाग/ एजेन्सी के संबंधित आयु लागू होगी 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि स्तर के अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) 4. अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि, अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। 5. एक पद समतुल्य है कि नहीं, इसके संबंध में भा स वि का निर्णय अंतिम होगी। 6. अगर एक अभ्यर्थी का अनुभव एक वर्ग/ उपवर्ग से अधिक होगी तो, उसे भी इस अर्हता निर्धारण हेतु जोडा जाएगा।

अध्यादेश 80 / 2015

/कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2015–33–27 दि 23.12.2015 और सं.ईसी 2016–36–18 दि 28.9.2016 तथा ईसी 2017–38–22 दि 28.3.2017 के तहत संशोधित/

"भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए निष्पादन–आधारित पुरस्कार

1. 'निष्पादन आधारित पुरस्कार' योजना भा स वि परिसर के विद्यार्थियों के लिए मात्र लागू होगी और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सत्र ब सत्र प्रशंसनीय ढंग से निष्पादन करने देना व अनुशासन तथा अच्छे व्यवहार रखरखाव को उत्प्रेरित करना तथा प्रशंसनीय विद्यार्थियों के बैक ऋण भार को कम करना है।

2. जैसे कि यह एक पुरस्कार है, यह पूर्ण रूप से शैक्षिक निष्पादन पर आधारित होगी और इसे आर्थिक साधनों से जुडाया नहीं जाएगा।

3. जैसे कि यह पुरस्कार पूर्ण रूप से योग्यता के लिए है, किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति / फ्रीशिप / स्टूडेंटशिप / फेलोशिप आदि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

4. यह, तत्कालीन पूर्वसत्र परीक्षाओं में शैक्षिक निष्पादन पर आधारित करके, एक सत्र के लिए मात्र होगी। इसके अनुवर्ती में इस पुरस्कार किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र के लिए नहीं दी जाएगी। इसे द्वितीय सत्र से ही दी जाएगी।

5. यह 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ही लागू होगी। इसलिए एक वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम, नॉटिकल विज्ञान में डिप्लोमा (डीएनएस) और समुद्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमई) का इसमें आच्छादित नहीं होगी।

6. इस पुरस्कार के लिए अर्ह बनने के लिए, विद्यार्थी को कम से तत्काल पूर्व सत्र परीक्षा में संपूर्णतः 75 प्रतिशत प्राप्त करना पडेगा।

7. दिये जाते वक्त, विद्यार्थी का तत्काल पूर्व सत्र परीक्षा या पूर्व सत्र परीक्षाओं में किसी भी अरियर नहीं रहना है।

8. रेगिंग के लिए या परीक्षा में अनाचार हेतु या अनुशासनहीनता या दुराचार के कार्यों में लगने हेतु दण्ड प्राप्त कि विद्यार्थी इस पुरस्कार हेतु निरंतर रूप में अनर्ह बन जाएँगे। इस संबंध में परिसर निदेशक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना है।

9. तत्काल पूर्व सत्र परीक्षाओं के परिणाम पर आधारित करके, सभी स्नातक तथा सभी स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम के प्रत्येक बैच से उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी रु.1 लाख की हिसाब से 'निष्पादन–आधारित पुरस्कार' प्रदान किया जाएगा।

10. तथापि यह कि बीबीए (लाजिस्टिक्स, रीटेइलिंग तथा ई–कामर्स), एम.एससी (वाणिज्यिक पोत तथा लाजिस्टिक्स) और एम. टेक (समुद्री प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन) के संबंध में प्रत्येक बैच से उच्च श्रेणी के विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी क्रमशः रु. 40,000 / –, रु. 50,000 / –'और रु. 1,00,000 / – का 'निष्पादन आधारित पुरस्कार' प्राप्त करेंगे।

11. आर्डर ऑफ मेरिट में विद्यार्थीयों की कुल संख्या, जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक बैच में रु. 75,000 / – प्रत्येक विद्यार्थी की हिसाब से 'निष्पादन आधारित पुरस्कार ' प्राप्त करेंगे और प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक बैच में रु. 50,000 / – का 'निष्पादन आधारित पुरस्कार ' प्राप्त करेंगे, वे नीचे दिये गये तालिका के अनुसार होंगे।

तालिका – 1

क्रम सं	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष)	सत्रों की संख्या जिसके लिए निष्पादन आधारित पुरस्कार दी जाएगी	प्रत्येक बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिन्हें रु. 75000/– का निष्पादन आधारित पुरस्कार प्रदान की जाएगी	प्रत्येक बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिन्हें रु. 50,000/– का निष्पादन आधारित पुरस्कार प्रदान की जाएगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्नातक पाठ्यक्रम					
1	बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग)	4	7	30	30
2	बी.टेक (नौसेना वास्तुकला व समुद्री इंजीनियरिंग)	4	7	4	4
3	बी.एससी (नॉटिकल विज्ञान)	3	5	16	16
4	बी.एससी (समुद्री विज्ञान)	3	5	2	2
5	बी.एससी (जहाज निर्माण व मरम्मत)	3	5	2	2
कुल				54	54
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					
1	एम.टेक (नौसेना वास्तुकला व महासमुद्री इंजीनियरिंग) व एम.टेक (ड्रेडजिंग व बंदरगाह इंजीनियरिंग)	2	3	2	2
2	एमबीए (बंदरगाह व पोत प्रबंधन) और एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व लाजिस्टिक्स)	2	3	7	7
कुल				9	9
महायोग				63	63

12. तथापि यह कि बीबीए (लाजिस्टिक्स, रीटेइलिंग तथा ई–कामर्स), एम.एससी (वाणिज्यिक पोत तथा लाजिस्टिक्स) और एम. टेक (समुद्री प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन) के संबंध में प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक बैच में जो 'निष्पादन आधारित पुरस्कार' प्राप्त करेंगे, उस आर्डर ऑफ मेरिट ('टापर्स' के अलावा) में विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किये जानेवाले पुरस्कार की रकम, निम्न तालिका के अनुसार होगी।

तालिका 2

क्रम सं	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष)	सत्रों की संख्या जिसके लिए निष्पादन आधारित पुरस्कार दी जाएगी	'टापर्स के अलावा' के लिए पुरस्कार			
				संख्या	रकम *(रु.)*	संख्या	रकम *(रु.)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बीबीए(लाजिस्टिक्स, रीटेइलिंग तथा ई–कामर्स)	3	5	3	30,000	3	20,000
2.	एम.एससी (वाणिज्यिक पोत तथा लाजिस्टिक्स)	2	3	1	37,500	1	25,000
3.	एम.टेक (समुद्री प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन)	2	3	1	75,000	1	50,000

13. सभी तीन प्रकार के 'निष्पादन आधारित पुरस्कार ' के लिए, तालिका 1 में दो एमबीए पाठ्यक्रम, जिसमें अधिक संख्या के सामान्य पत्र उपलब्ध है, को 'एकल' पाठ्यक्रम के रूप में विचार किया जाएगा ऐसे ही तालिका 1 में दो एम.टेक पाठ्यक्रम को भी।

14. 'टॉपर' और अन्य पुरस्कृतों को निर्धारित करने के लिए, विश्वविद्यालय को संपूर्णतः एक इकाई के रूप में विचार कि जाएगा, न कि व्यक्तिगत परिसर के रूप में।

15. अगर 'टॉपर' में 'टाईः होगी तो सभी विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। निष्पादन आधारित पुरस्कार के अन्य दो प्रकारों के लिए अगर 'टाई ' होगी तो, एक विशिष्ट सत्र के सैद्धांतिक पत्र के लिए कुल बाह्य परीक्षा अंकों को अवरोही क्रम में विद्यार्थियों को व्यवस्थित करते हुए हल निकाला जाएगा। अगर अब भी 'टाई ' होगी तो, उस सत्र के लिए उपस्थिति प्रतिशत को अवरोही क्रम में विद्यार्थियों को व्यवस्थित करते हुए हल निकाला जाएगा।

16. विद्यार्थी, भा स वि को देय अन्य देयताओं तथा सत्र शुल्क के विरुद्ध 'निष्पादन आधारित पुरस्कार रकम ' को सेट आफ करने के लिए हकदार नहीं होंगे। पर भी, विद्यार्थी को देय 'निष्पादन आधारित पुरस्कार ' में से देयों को पुनःवसूल करने का हक भा स वि रखता है।

अध्यादेश 07 / 2017

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2017–38–20 दि 28.03.2017

"विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियंत्रण तथा अपील को व्यवस्थित करने वाले अध्यादेश

भाग 1 सामान्य

1. (1) इस अध्यादेश दि 12.05.2009 को अधिसूचित सरकारी राजपत्र सं.76 ''अध्याय 3–विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियंत्रण तथा अपील को व्यवस्थित करने वाले अध्यादेश'' को पुनःस्थापित करता है।

(2) इसे नवंबर 14, 2008 से लागू माना जाएगा।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(a) ''नियुक्ति प्राधिकारी ' का मतलब है नियुक्ति करने सशक्त प्राधिकारी

(b) ''कर्मचारी पर जुर्माना लगाने के संबंध में 'अनुशासनिक प्राधिकारी ' का मतलब है प्राधिकारी, जो पंक्ति 6 में निर्धारित किसी भी जुर्माना को इस अध्यादेश के अधीन उन पर आरोपित करने के लिए सक्षम है

(c) ''कर्मचारी '' का मतलब है विश्वविद्यालय का कोई शिक्षण या गैर–शिक्षण कर्मचारी जिनका विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो या भा स वि अधिनियम 2008 की धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय में स्थान परिवर्तन किया गया है और इसमें विश्वविद्यालय के प्रतियुक्तिकार भी सम्मिलित है।

3. इस अध्यादेश दैनिक पारिश्रमिक / समेकित वेतन पर व्यक्तियों को छोडकर विश्वविद्यालय के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगी।

इस अध्यादेश किसी व्यक्ति पर लागू होगी की नहीं इस पर शंका उठने पर, विषय को कार्यकारिणी समिति को संदर्भित किया जाएगा, जो इस पर निर्णय लेगा।

4. इस अध्यादेश के किसी भी विषय, इस अध्यादेश की शुरूआत पर विश्वविद्यालय और ऐसे किसी व्यक्ति के बीच उपलब्ध किसी समझौता के शर्तों के अधीन हकदार किसी अधिकार या विशेषाधिकार से कर्मचारी को वंचित करने की ओर कार्य नहीं करेगा।

"**भाग 2— सस्पेन्शन**

5.(1) नियोजन प्राधिकारी या किसी प्राधिकारी जिसके लिए अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी जिन्हें इस विषय में कार्यकारिणी परिषद द्वारा सशक्त किया गया है, वह कर्मचारी को सस्पेन्शन के अधीनं रख सकता है।

(a) जहॉ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जाता है या निलंबित है या

(b) जहॉ किसी अपराधिक अपराध के संबंध में उनके विरुद्ध प्रकरण जॉच पडताल, पूछताछ या ट्रायल के अधीन है

बशर्ते कि जहॉ सस्पेन्शन आदेश नियोजन प्राधिकारी के निछले प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी तुरंत ऐसे आदेश जारी करने से संबंधित परिस्थितियों के बारे में नियोजन अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

टिप्पणी : दल 'बी' और दल 'सी के गैर–शिक्षण कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलसचिव होंगे, दल 'ए' के शिक्षण तथा गैर–शिक्षण अधिकारी दोनों को को सस्पेंड करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कुलपति होंगे, जबकि सम–कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और परिसर निदेशक का संस्पेंशन कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाएगा।

(2) नियोजन प्राधिकारी के आदेश के जरिये एक कर्मचारी को सस्पेंशन के अधीन रखा गया है ऐसे तब समझा जाएगा जब : –

(a) अडतालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए, आपराधिक प्रभार या अन्यथा पर, जब उन्हें कब्जे में नजरबंदी रखा जाता है उस तारीख से,

(b) उसकी दोषसिद्धि की तारीख से, अगर किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो और उन्हें अडतालीस घंटे से अधिक अवधि तक कारावास दिया गया हो तथा उन्हें ऐसे दोषसिद्धि हेतु तुरंत नियोजन से डिसमिस या हटाया नहीं गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिृवत्ति किया गया हो

स्पष्टीकरण : पंक्ति 52(2)(बी) में संदर्भित अडतालीस घंटे को, दोषसिद्धि के बाद कारावास की शुरूआत से आंकन किया जाएगा और इस कार्य के लिए कारावास की किसी अंतरायिक अवधि, अगर कुछ हो तो हिसाब में लिया जाएगा।

(3) जहॉ इस अध्यादेश के अधीन अपील या पुनरीक्षण पर, सस्पेंशन के अधीन कर्मचारी पर आरोपित पदच्युति, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जुर्माना को रद्द की जाती है और प्रकरण को आगे पूछताछ के लिए या कार्यवाही के लिए या किसी निर्देश के साथ छोडा जाता है, सस्पेंशन आदेश को पदच्युति, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृति संबंधित मूल आदेश की तिथि से लागू माना जाएगा और आगे आदेश तक यह चालू रहेगा।

(4) जहॉ न्यायालय के निर्णय द्वारा या के कारण से सस्पेंशन के अधीन कर्मचारी पर आरोपित पदच्युति, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जुर्माना को रद्द किया जाता है या निरस्त घोषित करते हुए और प्रकरण को आगे पूछताछ के लिए या कार्यवाही के लिए या किसी निर्देश के साथ छोडा जाता है और अनुशासनिक अधिकारी प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मूल रूप से पदच्युति, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना जिस आरोप पर उनके विरुद्ध आगे की पूछताछ आयोजित करने संबंधित निर्णय पर पहुँचेगा तो कर्मचारी को नियोजन अधिकारी द्वारा पदच्युति, सेवा से निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधित मूल आदेश की तिथ्रि से सस्पेंशन के अधीन रखा गया माना जाएगा और अगले आदेश तक सस्पेंशन के अधीन रहेंगे।

बशर्ते कि ऐसे आगे पूछताछ के लिए आदेश नहीं पारित किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिस्थिति को सामना करना पडें, जहॉ न्यायालय ने प्रकरण के गुणदोषों पवर ध्यान दिये बिना, तकनीकि ग्राउन्ड पर आदेश पारित किया है।

(5) (a) सस्पेंशन आदेश जिन्हें जारी किया गया है या जारी किया गया ऐसा माना जाएगा, तब तक चालू होगी जब तक कि उसे संशोधित किया जाएगा या ऐसे करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उसको रद्द की जाएगी।

(b) जहॉ एक कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है या सस्पेंड किया जाना माना जाता है (किसी अनुशासनिक कार्यवाही में या अन्यथा) और इस सस्पेंशन के जारी रहते वक्त उनके विरुद्ध किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही शरू की जाती है तो, सस्पेंशन में रखने प्राधिकृत अधिकारी, उनसे लिखित दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए, निर्देश दे सकता है कि जब तक कि सभी कार्यवाही या कार्यवाही के किसी अंश को निपटा जाता है तब तक कर्मचारी को सस्पेंशन के अधीन रहना है।

(c) जारी किये गये या जारी किये गये माने जानेवाले किसी सस्पेंशन आदेश को, जारी करनेवाले या जारी किये जाने माने जानेवाले प्राधिकारी द्वारा या किसी प्राधिकारी जिसके लिए इस अधिकारी अधीनस्थ है किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।

(d) जारी किये गये या जारी किये गये माने जानेवाले किसी सस्पेंशन आदेश को, सस्पेंशन के प्रभावी तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति के पूर्व, सस्पेंशन आदेश को संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है और सस्पेंशन को

विस्तार करते हुए या सस्पेंशन करते हुए आदेश पारित कर सकता है। सस्पेंशन का विस्तार एक समय एक सौ अस्सी से अधिक नहीं हेगी।

बशर्ते कि, अगर सस्पेंशन से एक सौ अस्सी दिनों की पूर्ति होने पर सस्पेंशन के अधीन अगर कर्मचारी हो तो पंक्ति 5(2) के अधीन, माने गये सस्पेंशन के प्रकरण में सस्पेंशन का ऐसे पुनरीक्षण की जरूरत नहीं होगी और ऐसे प्रकरण में एक सौ अस्सी दिनों की अवधि उस दिन से शुरू होगी जब कब्जे में नजरबंद कर्मचारी को नजरबंदी से छुटकारा प्राप्त हों या उस तारीख जिसमें उसके नियोजन प्राधिकारी को नजदबंदी से छोडने संबंधित सूचना दी जाती है, जो भी बाद के हो।

भाग 3 – जुर्माना व अनुशासनिक अधिकारी

6. अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए, आगे प्रदत्त अनुसार, कर्मचारी पर निम्न जुर्माना आरोपित कर सकते हैं

लघु जुर्माना

(i) अपराधी ठहराना
(ii) पदोन्नति को स्थगित करना
(iii) विश्वविद्यालय के कानूनों को या उच्च प्राधिकारियों के निर्देशन को उल्लंघन करने से या उनकी लापरवाही के कारण से विश्वविद्यालय को हुई नुकसान का, पूर्ण या आंशिक तौर पर उनके वेतन से वसूली
(iv) वेतनवृद्धि को स्थगित करना ,बशर्ते कि जहॉ ऐसे आदेश को किसी कारण से प्रभावी नहीं कर पाऍगे, स्थगित करने आदेशित वेतनवृद्धि रकम के समतुल्य मौद्रिक मूल्य का जिस हद तक आवश्यकता हो, वेतन से पुनःवसूल कर सकते है।

प्रमुख जुर्माना

(v) ऐसे अवनति की अवधि के दौरान, कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे या नही इससे संबंधित आगे की निर्देशों के साथ, विशिष्ट अवधि तक समय वेतनमान में निछले स्तर में रखना और ऐसे अवधि की समाप्ति पर, उनके वेतन के आगे की वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करने से संबंधित प्रभाव होगी की नहीं।
(vi) निछले समय–वेतनमान, श्रेणी या पद या सेवा में अवनति, सेवा में श्रेणी या पद जिससे ऐसे अवनति की गई है, की पुनःप्राप्ति संबंधित शर्तों के निर्देश के साथ या बिना, समय वेतन मान श्रेणी, पद या सेवा,निम्न श्रेणी में अवनति किये जाने पर साधारणतः पदोन्नति में बाधा होगी।
(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(viii) सेवा से निकाला जाना
(ix) सेवा से बरखास्त

स्पष्टीकरण : इस पंक्ति के अर्थ के तहत निम्न को जुर्माना नहीं माना जाएगा।

(a) बॉर को पॉर करने के लिए अनर्ह होने के कारण से समय वेतनमान में दक्षता बॉर पर कर्मचारी का रोकथाम
(b) कर्मचारी, जिस श्रेणी या पद के लिए अर्ह है को पदोन्नति के लिए विचार करने के बाद, चाहे मूलभूत या स्नानापन्न हैसियत में कर्मचारी को पदान्नति न दिया जाना
(c) ऐसे परीवीक्षणावधि को व्यवस्थित करनेवाले कानून तथा आदेश या उसके नियुक्ति के शर्तों के साथ अनुपालन में, परीवीक्षणावधि के अंत में या के दौरान, किसी अन्य श्रेणी या पद में परीवीक्षण में नियुक्त कर्मचारी को, उसके स्थाई श्रेणी या पद में पदावनति।
(d) ऐसे उच्च पद या श्रेणी के लिए अनुचित विचार करते हुए या व्यवहार के साथ गैर–संबंधित कारण से किसी प्रशासनिक कारण पर, उच्च श्रेणी या पद में कार्यरत कर्मचारी का पदावनति,
(e) बाह्य प्राधिकरण से ऋण में लिये गये, कर्मचारी के सेवाओं का प्रतिस्थापन, जो ऐसे प्राधिकरण के निपटान में हो।
(f) उनकी सेवानिवृत्ति या सूपरएनुयेशन से संबंधित प्रावधानों के साथ अनुपालन में कर्मचारी का अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(g) सेवा से निष्कासन
  i. असंतुष्ट निष्पादन या पूर्ण अनुशासनहीनता या गंभीर दुर्व्यवहार के कारण, परीवीक्षणावधि के अंत में या के दौरान परीक्षवीक्षण पर नियुक्त कर्मचारी के या
  ii. नियोजन के शर्तों के साथ अनुपालन में अस्थाई कर्मचारी के या
  iii. समझौता के अधीन नियोजित कर्मचारी के, ऐसे समझौता के शर्तों के साथ अनुपालन में

7. (1) कार्यकारिणी परिषद, प्रतिनियुक्तिकार या एक प्रतिनियुक्तिकार माने जानेवाले पर गंभीर जुर्माना, जिन्हें संबंधित प्राधिकारी से संदर्भित किया जाना को छोडकर, किसी भी कर्मचारी पर पंक्ति 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी जुर्माना को आरोपित कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा पक्ति 6 के अनुच्छेद (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट किसी भी लघु जर्माना किसी भी कर्मचारी पर आरोपित किया जा सकता है।

बशर्ते कि ऐसे किसी जुर्माना आरोपित करने वाले कुलपति के आदेश के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद् में अपील किया जा सकता है।

(3) कुलसचिव द्वारा पक्ति 6 के अनुच्छेद (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट किसी भी लघु जुर्माना किसी भी गैर–शिक्षण कर्मचारी पर आरोपित किया जा सकता है।

बशर्ते कि ऐसे किसी जुर्माना आरोपित करने वाले कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध कुलपति से अपील किया जा सकता है।

8. (1) कार्यकारिणी परिषद या सामान्य या विशेष आदेश के जरिये उससे सशक्त किये गये किसी अन्य प्राधिकारी

(a) कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थापित कर सकता है।

(b) पंक्ति 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी जुर्माना को इस अध्यादेश के अधीन आरोपित करने सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थापित करने के लिए निर्देश देना

(2) एक अनुशासनिक प्राधिकारी जो इस अध्यादेश के अधीन पंक्ति 6 के अनुच्छेद (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट जुर्माना को आरोपित करने सक्ष्म है, वह पंक्ति 6 के अनुच्छेद (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट जुर्माना अरोपित करने हेतु किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थापित कर सकता है इसके बावजूद कि ऐसे अनुशासनिक अधिकारी बाद के किसी जुर्माना में से किसी को आरोपित करने के लिए उन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है और अपने सिफारिश के साथ कार्यकारिणी पषिद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।''

भाग 4 – जुर्माना आरोपित करने संबंधित तरीका

9. (1) इस पंक्ति और पंक्ति 11 में दिये गये तरीके में, जैसे भी हो, पूछताछ किये बिना, पंक्ति 6 के अनुच्छेद (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट किसी भी जुर्माना आरोपित करते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) जब भी अनुशासनिक प्राधिकारी इस राय के है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध दुव्यर्वहार के अभिप्राय संबंधित सच्चाई के पूछताछ करने कारण है। वह स्वयं इसमें पूछताछ कर सकता है या इस पंक्ति के अधीन सच्चाई को जानने हेतु पूछताछ करने प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण : जहॉ अनुशासनिक अधिकारी ही पूछताछ कार्यवाही अपनाता है, पूछताछ प्राधिकारी के लिए उप–पंक्ति (7) से उप–पंक्ति (20) व (22) में किसी संदर्भ को अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए संदर्भ समझा जाएगा।

(3) जहॉ इस पंक्ति और पंक्ति 11 के अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध पूछताछ प्रस्तावित है, अनुशासनिक अधिकारी निम्न को तैयार करेगा या करने देगा

(i) दुव्यवहार या दुराचार के अभिप्राय के विषयवस्तु को निश्चित और विशिष्ट चार्ज आर्टिकल के रूप में

(ii) प्रत्येक चार्ज आर्टिकल के समर्थन में दुर्व्यवहार या दुराचार के अभिप्राय की तालिका जिसमें निम्न होंगे।

(a) कर्मचारी द्वारा स्वीकृति या किसी सहमति सम्मिलित करके संबंधित सभी तथ्यों की तालिका।

(b) दस्तावेजों की सूची जिसके द्वारा और गवाहों की सूची जिससे चार्ज आर्टिकल को कायम करना प्रस्तावित है।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को चार्ज आर्टिकल, दुव्यर्वहार या दुराचार के अभिप्राय संबंधित तालिका और दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची जिससे चार्ज आर्टिकल को कायम करना प्रस्तावित है उसकी प्रति प्रदान की जाएगी और कर्मचारी से विनिर्दिष्ट ऐसे समयावधि के अन्दर, अपनी रक्षा संबंधित लिखित बयान मॉगी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की ओर वांछित है?

(5)(a) रक्षा संबंधित लिखित बयान की प्राप्ति पर, प्रशासनिक प्राधिरण स्वयं ऐसे अस्वीकृत चार्ज आर्टिकल पवर पूछताछ कर सकता है या अगर वह ऐसे करना आवश्यक महसूस करें तो, इस कार्य के लिए उप–पक्ति (2) के अधीन एक पूछताछ अधिकारी नियुक्त कर सकता है और कर्मचारी द्वारा अपनी रक्षा हेतु लिखित बयान के जरिये कर्मचारी द्वारा सभी चार्ज आर्टिकल स्वीकृत किया गया हो तो प्रशासनिक प्राधिकारी जैसे वह उचित समझे ऐसे गवाह को लेने के बाद प्रत्येक प्रभार पर निष्कर्ष को दर्ज करेगा और पंक्ति 10 में उल्लिखित तरीके में कार्य करेगा।

(b) अगर कर्मचारी द्वारा अपनी रक्षा में कोई लिखित बयान पेश नहीं किया जाता है तो, प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इस प्रभार आर्टिकलों पर पूछताछ कर सकता है या अगर, ऐसे करना आवश्यक समझे तो, उप–पंक्ति (2) के अधीन, इस कार्य के लिए एक पूछताछ अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(c) जहॉ अनुशासनिक अधिकारी ही स्वयं किसी प्रभार आर्टिकलों पर पूछताछ करता है या ऐसे प्रभार पर पूछताछ करने के लिए एक पूछताछ प्राधिकारी की नियुक्ति करता है, आदेश के जरिये, एक कर्मचारी जिन्हें 'प्रेसेन्टिंग अफसर' कहा जाएगा को प्रभार आर्टिकल के समर्थन मे अपनी ओर से प्रकरण को पेश करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहॉ वह पूछताछ अधिकारी नहीं होंगे, पूछताछ अधिकारी को निम्न अग्रेषित करेगा।

(i) प्रभार आर्टिकल प्रति और दुर्व्यवहार या दुराचार के अभिप्राय संबंधित बयान की प्रति

(ii) कर्मचारी द्वारा समर्पित रक्षा में लिखित बयान, अगर कुछ हो तो की प्रति

(iii) उप–पंक्ति (3) में संदर्भित अनुसार, अगर कुछ हो तो, गवाहों का बयान

(i) उन्हें उप पंक्ति (3) में संदर्भित दस्तावेजों की डेलिवरी को निरूपित करने वाले गवाह

(ii) प्रसेन्टिंग अफसर नियुक्ति आदेश की प्रति

(7) कर्मचारी, प्रभार आर्टिकल तथा दुर्व्यवहार या दुराचार के अभिप्राय संबंधित बयान की प्राप्ति से पंद्रह कार्यकारी दिनों के अन्दर ऐसे दिन और ऐसे समय पर पूछताछ प्राधिकारी के सामने पेश होंगे जैसे पूछताछ अधिकारी, अपनी ओर से लिखित नोटिस के जरिये विनिर्दिष्ट करेंगे या ऐसे आगे समय के अन्दर, जो पन्द्रह दिनों से अधिक न हो पेश होंगे, जैसे पूछताछ अधिकारी की अनुमति हो।

(8) कर्मचारी अपनी ओर से प्रकरण को पेश करने के लिए किसी भी कर्मचारी से सहायता प्राप्त कर सकता है पर इस कार्य के लिए एक अधिवक्ता को निपयुक्त नहीं करेगा।

(9) अगर एक कर्मचारी, जो प्रभार आर्टिकल को अपने लिखित रक्षा बान में स्वीकृत नहीं किया है, पूछताछ प्राधिकारी के सामने पेश होते है तो, ऐसे प्राधिकारी उनसे प्रश्न करेंगे कि वह दोषी है या उनकी ओर से प्रस्तुत करने के लिए किसी रक्षा उपलब्ध है और यदि वह कर्मचारी किसी भी आर्टिक्ल प्रभार से अपने को दोषी अनुनय कर लेता है तो, पूछताछ अधिकारी उनकी अनुराध को लिखित दर्ज कर लेगा और उसमें कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा।

(10) कर्मचारी जिस प्रभार आर्टिकल में अपने को दोषी अनुनय करते है उससे संबंधित दोष के लिए निष्कर्ष पर पहुॅचेगा।

(11) पूछताछ अधिकारी, अगर किसी कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने से चूकेंगे या दोष को अनुनय करने से इनकार करता है तो प्रेसेन्टिंग अधिकारी को गवाह पेश करना है जिसके जरिये वह प्रभार आर्टिकल को निरूपित करने प्रस्तावित करता है और अपने गवाह की तैयारी हेतु कर्मचारी को आदेश देकर दर्ज करते हुए, तीस दिनों से अधिक न होने वाले किसी तारीख को स्थगित कर देगा।

(i) उप–धारा (3) में संदर्भित सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावजों का, आदेश से पॉच दिनों के अन्दर या पूछताछ अधिकारी जैसे अनुमति प्रदान करेंगे, ऐसे पॉच दिनों के अधिक न होने वाले समय के अन्दर निरीक्षण करेगा

(ii) अपनी ओर से परीक्षण करने योग्य गवाहों की सूची समर्पित करेगा।

टिप्पणी : अगर कर्मचारी, उप–पंक्ति (2) में संदर्भित सूची में उल्लिखित गवाहों की बयान का प्रति आपूर्ति करने के लिए लिखित या मौखिक रूप से आवेदन करेगा तो जितना शीघ्र हों पूछताछ अधिकारी ऐसे प्रतियॉ कर्मचारी को पेश करेंगे और किसी प्रकरण में, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से गवाहों के परीक्षा की शुरूवात से तीन दिनों के पूर्व प्रदान करेंगे।

(iii) आदेश के दस दिनों के अन्दर या दस दिनों को पार न करते हुए जैसे पूछताछ अधिकारी द्वारा अनुमति दिया हो, ऐसे आगे समय के अन्दर, उप–पंक्ति 3 में संदर्भित सूची में, विश्वविद्यालय के साथ उपलब्ध पर उल्लिखित न किये गये दस्तावेजों को पेश करने के लिए नोटिस दें

टिप्पणी : विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु उनसे वांछित दस्तावेजों के संबंध को कर्मचारी द्वारा संकेतित कराना है

(12) पूछताछ अधिकारी, दस्तावेजों को पेश करने के लिए नोटिस की प्राप्ति पर, उसे ही या उसकी प्रति को प्राधिकारी, ऐसे आवेदन में विनिर्दिष्ट ऐसे तारीख तक दस्तोवजों को पेश करने के लिए विनती के साथ, जिनके कब्जे में वह दस्तावेज हो अग्रेषित करेगा ।

बशर्ते कि, पूछताछ अधिकारी, लिखित रूप से दर्ज कारणों के लिए, ऐसे विनती किये गये दस्तावेजों को, विश्वविद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए या उनकी राय में, प्रकरण से संबधित न होने पर, इनकार कर सकता है ।

(13) उप–पंक्ति (12) में संदर्भित विनती की प्राप्ति पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिनके कब्जे में मॉगे गये दस्तावेज हों उस दस्तावेज को पूछताछ प्राधिकारी के सामने पेश करेंगे।

बशर्ते कि, अगर वांछित दस्तावेज को कब्जे में या अपने अधिकार के अधीन रखने वाले प्राधिकारी, लिखित रूप से दर्ज करने योग्य कारणों से संतुष्ट है कि इन सभी या आंशिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, विश्वविद्यालय के आम हित के विरुद्ध होगी तो इसके संबंध में पूछताछ प्राधिकारी को सूचना देगा और पूछताछ अधिकारी ऐसे सूचना प्राप्त होते ही कर्मचारी को इसकी सूचना देंगे और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उनसे पेश किये गये विनती को वापस लेंगे।

(14) पूछताछ के लिए निर्धारित तारीख को, मौखिक तथा दस्तावेजीय गवाह, जिसके जरिये आर्टिकल प्रभार को निरूपित किया जाना है को अनुशासनिक अधिकारी की ओर से या द्वारा पेश किया जाएगा। कर्म्रचारी की ओर से या द्वारा गवाहों का परीक्षण किया जाएगा। जिन बिन्दुओं में उन्हें पार की जॉच की गई थीपवर गवाहों का पुनःपरीक्षण करने

प्रसेन्टिंग अधिकारी को अधिकार प्राप्त है। गवाह से, पूछताछ प्राधिकारी ऐसे प्रश्नों को पूछ सकता है जिन्हें वह उचित समझें।

(15) अगर आवश्यकता महसूस हों, अनुशासनिक प्राधिकारी अपनी ओर से प्रकरण की समाप्ति के पूर्व, अपने विवे के अनुसार, कर्मचारी को दिये गये सूची में सम्मिलित न किये गये गवाह को पेश करने के लिए अनुमति दे सकते हैं या स्वयं नये गवाहों की मॉग रख सकते हैं या किसीभी गवाह को पुनः बुलाते हुए पुनः'परीक्षण करा सकते है और ऐसे प्रकरण में, अगर कर्मचारी मॉग पेश करता है तो ऐसे पेश करने प्रस्तावित अतिरिक्त गवाहों की सूची संबंधित प्रति तथा स्थगन के दिन और उस दिन जिसमें पूछताछ को स्थगित किया गया है, छोडकर, ऐसे नये गवाह पेश करने के पूर्व तीन स्पष्ट दिनों के लिए पूछताछ स्थगित करने संबंधित मॉग रखने का अधिकार है। अभिलेख के रूप में उन्हें लिये जाने के पूर्व ऐसे दस्तावेजों को निरीक्षण करने संबंधित अवसर कर्मचारी को, पूछताछ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगर पूछताछ अधिकारी अपने राय में, न्याय के हित में ऐसे गवाहों को पेश करना आवश्यकता समझे तो कर्मचारी को नये गवाह पेश करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है।

टिप्पणी : गवाह में किसी छेद को पूर्ण करने के लिए, नये गवाह की अनुमति या बुलाने हेतु अनुमति या किसी गवाह को पुनःबुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे गवाह को तभी बुलायी जाएगी जब मूलय रूप से पेश किये गये गवाह में अंतर्निहित अन्तर हो ।

(16) जब एक अनुशासनिक प्राधिकारी का प्रकरण समाप्त की जाती है, कर्मचारी को अपनी रक्षा में मौखिक या लिखित तौर पर जैसे वह वांछित करता है अभिव्यक्त करना है। अगर रक्षा मौखिक तौर पर हो, तो उसे दर्ज किया जाएगा और कर्मचारी को अभिलेख में हस्ताक्षर करना पडेगा। किसी भी प्रकरण में रक्षा बयान की प्रति, प्रेसेन्टिंग अधिकारी, अगर नियुक्त किया गया हो, तो प्रदान किया जाएगा।

(17) कर्मचारी की ओर से गवाह को तब प्रस्तुत की जाएगी। कर्मचारी, अगर चाहेंगे तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकते है। कर्मचारी द्वारा पेश किये गये गवाह का परीक्षण किया जाएगा और पार परीक्षण, पुनःपरीक्षण और पूछताछ प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किये जाने बाध्य होंगे

(18) पूछताछ प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रकरण समाप्त किये जाने के बाद, और कर्मचारी द्वारा परीक्षण न किये जाने पर, सामान्यतः कर्मचारी के विरुद्ध पेश किये गये परिस्थितियों पर उन्हें प्रश्न कर सकता है ताकि उनके विरुद्ध गवाह उत्पन्न होने की किसी भी परिस्थिति को कर्मचारी स्पष्ट कर सकें।

(19) पूछताछ प्राधिकारी, गवाहों को पेश किया जाना पूर्ण होने के बाद, प्रसेन्टिंग अधिकारी, अगर नियुक्त किया हो तो उन्हें तथा कर्मचारी को सुनेगा या अगर वह चाहेंगे तो, उनके संबंधित प्रकरणों पर लिखित संक्षेप फाइल करने अनुमति प्रदान कर सकता है।

(20) अगर एक कर्मचारी, जिन्हें प्रभार आर्टिकल की प्रति पेश किया गया हो, विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व या को, अपनी रक्षा में लिखित बयान समर्पित नहीं करेंगे या पूछताछ प्राधिकारी के सामने उपस्थिति नहीं होंगे या इस पंक्ति के प्रावधानों के अनुपालन से इनकार करेंगे तो पूछताछ प्राधिकारी एकतरफा पूछताछ आयोजित कर सकता हैं।

(21) (a) जहॉ पंक्ति 6 के अनुच्छेद (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी जुर्माना आरोपित करने सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी, पर पंक्ति के अनुच्छेद (v) से (ix) में निर्धारित किसी भी जुर्माना को आरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, स्वयं पूछताछ किया है या किसी प्रभार के आर्टिकल संबंधित पूछताछ करना पडा है, और उस प्राधिकारी अपने निष्कर्ष पर आधारित करके या अपने किसी राय पर लिये गये निर्णय के अनुसार, उस कर्मचारी पर पंक्ति 6 में अनुच्छेद (v) से (ix) में निर्धारित जुर्माना आरोपित करने का निर्णय लेगा वह उस प्राधिकारी को ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के सभी अभिलेख के साथ अगेषित करेंगे जो अंत में उल्लिखित जुर्मानाओं को आरोपित करने के लिए सक्षम है।

(b) अनुशासनिक अधिकारी जिन्हें ऐसे अभिलेखों को अग्रेषित किया जाता है, वह अभिलेख के गवाह पर कार्यवाही ले सकता है या उनकी राय में, न्याय के हित में किसी गवाहों की पूछताछ जरूरत समझेगा तो, गवाहों को पुनः बुला सकता है और परीक्षण, पार—परीक्षण और पुनःपरीक्षण कर सकता है और इस अध्यादेश के साथ अनुपालन में जो जुर्माना उचित समझेगा उसे कर्मचारी पर आरोपित करेगा।

(22) जब भी एक पूछताछ प्राधिकारी, एक पूछताछ में गवाह के पूर्ण या आंशिक भाग को दर्ज किया है और उसके बाद अधिकार क्षेत्र खो देता है और अन्य एक पूछताछ अधिकारी उसका जगह लेता है जिनका अधिकारी क्षेत्र है, ऐसे पूछताछ अधिकारी अपने पूर्वज से या स्वं दर्ज किये गये गवाह पर कार्य करेगा ।

बशर्ते कि ऐसे उत्त्वर्ती पूछताछ अधिकारी इसराय के है कि न्याय के हित में पूर्व में दर्ज किये गवाह की आगे परीक्षण की जरूरत है तो वह उन्हें पुनःबुला सकता है, परीक्षण, पार—परीक्षण और पुनःपरीक्षण कर सकता है।

(23) (i) पूछताछ की सामाप्ति पर, प्रतिवेदन तैयार की जाएगी और उसमें निम्न उपलब्ध होंगे

(a) प्रभार आर्टिकल और दुव्यर्वहार तथा दुराचार के अभिप्राय संबंधित बयान

(b) प्रभार के प्रत्येक आर्टिकल के संबंध में कर्मचारी की रक्षा

(c) प्रभार के प्रत्येक आर्टिकल के संबंध में गवाहों का आकलन

(d) प्रत्येक प्रभार आर्टिकल पर निष्कर्ष और उसके लिए कारण

स्पष्टीकरण

अगर पूछताछ प्राधिकारी के राय में, पूछताछ संबंधित कार्यवृत्त में प्रभार के मूल आर्टिकल से भिन्न प्रभार के किसी आर्टिकल साबित होती है ऐ प्रभ्झार के आर्टिकल पर निष्पादन को दर्ज कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसे प्रभार के आर्टिकल पर निष्कर्ष को जब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी, प्रभार के ऐसे आर्टिकलों के आधार को स्वीकृत किया हो या ऐसे प्रभार के आर्टिकल के विरुद्ध स्वयं को रक्षा करने संबंधित पर्याप्त अवसर उन्हें प्रदान किया गया हो।

(ii) पूछताछ प्राधिकारी, जहॉ वह स्वयं अनुशासनिक अधिकारी नहीं है, पूछताछ संबंधित अभिलेख को अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे –

(a) अनच्छेद (i) के अधीन अपने से तैयार किये गये प्रतिवेदन

(b) कर्मचारी द्वारा समर्पित, रक्षा संबंधित लिखित बयान, अगर कुछ हो

(c) पूछताछ के दौरान प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजीय गवाह

(d) लिखित टिप्पणी, अगर कुछ हो, जिसे जिस पूछताछ के दौरान, प्रेसेन्टिंग अफसर या कर्मचारी पूर्ति करेंगे या दोनों द्वारा पूर्ति किया जाएंगा

(e) आदेश, अगर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कुछ जारी किया गया हो और पूछताछ अधिकारी द्वारा पूछताछ के बारे में किया गया हो

10. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, अगर स्वयं पूछताछ अधिकारी नहीं होंगे तो, लिखित रूप से दर्ज करने योग्य कारणों के लिए, आगे पूछताछ तथा प्रतिवेदन हेतु पूछताछ प्राधिकारी को प्रकरण सौप दे सकता है और पूछताछ अधिकारी जितना हो सकें पंक्ति 9 के प्रावधानों के अनुसार आगे की पूछताछ जारी करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, अगर प्रभार के किसी आर्टिकल पर पूछताछ अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होंगे तो ऐसे असहमति के लिए कारण को प्रतिवेदित करेंगे और अगर इस कार्य के लिए प्रतिवेदित गवाह पर्याप्त है तो ऐसे प्रभार पर अपने निष्कर्ष को प्रतिवेदित करेंगे ।

(3) अगर अनुशासनिक अधिकारी जिनके पास सभी प्रभार के आर्टिकल या किसी पर निष्कर्ष उपलब्ध है इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि पंक्ति 6 के अनुच्छेद (i) से (iv) में निर्धारित किसी भी जुर्माना को कर्मचारी पर आरोपित करना है तो पंक्ति 11 में उपलब्ध किसी भी विषय के बावजूद, ऐसे जुर्माना को आरोपित करके आदेश जारी करेगा।

(4) अगर अनुशासनिक अधिकारी जिनके पास सभी प्रभार के आर्टिकल या किसी पर निष्कर्ष उपलब्ध है इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि पंक्ति 6 के अनुच्छेद (v) से (ix) में निर्धारित किसी भी जुर्माना को विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर आरोपित करना है तो ऐसे जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश जारी करेगा और यह आवश्यक नहीं है कि आरोपित करने प्रस्तावित जुर्माना पर प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्वविद्यालय कर्मचारी को प्रदान किया जाए।

11. (1) पंक्ति 10 के उप–पंक्ति (3) के प्रावधानों के तहत, पक्ति 6 के परिच्छेद (i) से (iv) में निर्धारित किसी भी जुर्माना को आरोपित नहीं करेंगे जब तक कि

(a) कर्मचारी को उनके विरुद्ध कार्यवाही लेने संबंधित प्रस्ताव को तथा दुर्व्यवहार तथा दुराचार के अभिप्राय जिसपर कार्यवाही लेना प्रस्तावित है के बारे में और प्रस्ताव के विरुद्ध वे जैसे चाहेंगे वैसे प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय प्रदान करते हुए लिखित तौर पर सूचित करने के बाद

(b) प्रत्येक प्रकरण में पंक्ति 9 के अनुच्छेद (2) व (23) में उल्लिखित तरीके से पूछताछ आयोजित करना, जिसके अनुशासनिक अधिकारी इस राय के है कि पूछताछ अवश्य है।

(c) अनुच्छेद (a) के अधीन कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिनिधित्व को लेना और विचार के लिए अनुच्छेद (b) के अधीन पूछताछ को, अगर कुछ हो तो दर्ज करना और ।

(d) प्रत्येक दुव्यर्वहार या दुराचार पर निष्कर्ष को दर्ज करना

(2) उपपंक्ति (1) के अनुच्छेद (b) में उपलब्ध किसी विषय के बावजूद, अगर एक प्रकरण में, उप पंक्ति के अनुच्छेद (ए) के अधीन कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व, अगर कुछ हो तो उस पर विचार करने के बाद वेतनवृद्धि को स्थगित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है और ऐसे वेतनवृत्ति के स्थगन के कारण से उस कर्मचारी को देय पेंशन की रकम बाधित होने की संभावना है वेतनवृद्धि को तीन वर्ष से अधिक अवधि तक स्थगित करने या किसी अवधि के लिए समेकित प्रभाव से वेतनवृद्धि को स्थगित करने, ऐसे किसी जुर्माना आरोपित करने हेतुं किसी आदेश को तैयार करने से पहले, पंक्ति 9 के उप पंक्ति (3) से (23) में निर्धारित अनुसार पूछताछ आयोजित की जाएगी।

(3) ऐसे प्रकरणों में कार्यवृत्ति अभिलेख में निम्न सम्मिलित होंगे।

(a) उनके विरुद्ध कार्यवाही लेने संबंधित प्रस्ताव के बारे में कर्मचारी को सूचित करने वाले सूचना की प्रति

(b) दुव्यर्वहार और दुराचार के अभिप्राय संबंधित यान की प्रति उन्हें दी जाएगी।

(c) उसका प्रतिनिधित्व, अगर कुछ हो

(d) पूछताछ के दौरान प्रस्तुत गवाह

(e) प्रत्येक दुव्यर्वहार या दुराचार के अभिप्राय पर निष्कर्ष और

(f) प्रकरण से संबंधित आदेश, उसके कारणों के साथ।

12. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कर्मचारी को संप्रेषित की जाएगी जिन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी पूछताछ संबंधित प्रतिवेदन, अगर कुछ हो, की एक प्रति आपूर्ति की जाएगी और प्रत्येक प्रभार आर्टिकल पर निष्कर्ष की एक प्रति, या जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी पूछताछ प्राधिकारी नहीं है, पूछताछ प्राधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति और अनुशासनिक प्राधिकारी के निकर्ष संबंधित बयान, साथ ही असहमति के लिए संक्षिप्त कारण, अगर कुछ हो, पूछताछ प्राधिकारी के निष्कर्ष के साथ, जब तक कि उन्हें पूर्व में उन्हें आपूर्ति किया गया हो।

13. (1) जहॉ एक प्रकरण में दो या अधिक कर्मचारी संबंधित है, कार्यकारिणी परिषद या किसी अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति का जुर्माना आरोपित कर सकता है, वह ऐसे एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें सामान्य कार्यवृत्त में सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लेने निर्देश दिया गया हो।

(2) पंक्ति 7 के उप पंक्ति 2 के प्रावधानों के तहत किसी ऐसे आदेश निम्न को निर्दिष्ट करेगा

(i) ऐसे सामान्य कार्यवृत्त के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी

(ii) पंक्ति 6 में विनिर्दिष्ट जुमाना जिन्हें ऐसे अनुंशासनिक प्राधिकारी आरोपित करने के लिए सक्षम हैं

(iii) क्या पंक्ति 9 और पंक्ति 10 या पंक्ति 11 में उल्लिखित प्रक्रिया को कार्यवृत्त में अनुपालन किया जाएगा।

14. पंक्ति 9 और पंक्ति 13 में उल्लिखित किसी विषय के बावजूद

(1) जहॉ आचरण, जो इस दोषसिद्धि या आपराधिक प्रभार की ओर ले चला है, के कारण पर कर्मचारी पर जुर्माना आरोपित की जाती है

(2) जहॉ, लिखित तौर पर दर्ज किये जाने योग्य कारणों के लिए, अनुशासनिक अधिकारी संतुष्ट है कि अध्यादेश में प्रदत्त तरीका के अनुपालन में पूछताछ आयोजन करना व्यावहार्य नहीं है अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रकरण के परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और जैसे उचित समझा जाये ऐसे आदेश पारित करेगा

15. (1) जहॉ कर्मचारी के सेवाओं को बाह्य प्राधिकारी को दिया जाएगाा (आगे से इस पंक्ति में 'उधार लेने वाले प्राधिकारी से संदर्भित किया जाएगा) उधारा लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे कर्मचारी को सस्पेंशन में रखने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आयोजित करने के लिए का अधिकार अनुशासनिक अधिकारी को रहेगा

बशर्ते कि उधार लेने वाले प्राधिकारी विश्वविद्यालय जिसने कर्मचारी की सेवाओं को प्रदान किया उसे ऐसे कर्मचारी को सस्पेंशन में रखने संबंधित परिस्थितियों के बारे में या अनुशासनिक कार्यवाही की शुरूआत, जैसे प्रकरण हो, तुरंत सूचित करेगा।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध आयोजित अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष के आलोक में

(i) अगर उधार में लेने वाले अधिकारी इस राय के है कि कर्मचारी पर पक्ति 6 के अनुच्छेद (i) to (iv) में निर्धारित किसी जुर्माना आरोपित करना है तो, विश्वविद्यालय के साथ परामर्श के बाद, जैसे आवश्यकता पडें प्रकरण पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय और उधार में लेने वाले प्राधिकारी के बीच राय में अंतर हो तो, कर्मचारी के सेवाओं को विश्वविद्यालय के निपटान में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) अगर एक उधार में लेने वाले प्राधिकारी इस राय के है कि कर्मचारी पर पक्ति 6 के अनुच्छेद (v) to (ix) में निर्धारित किसी जुर्माना आरोपित करना है तो वह विश्वविद्यालय के निपटान में उनके सेवाओं को पुनःस्थापित करेगा और पूछताछ के कार्यवृत्तों को उन्हें अंतरित करेगा और इसके बाद विश्वविद्यालय ऐसे आदेश को पारित कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझें

बशर्ते कि, ऐसे आदेश पारित करने के पूर्व, प्रशासनिक प्राधिकारी पंक्ति 10 के उप—पक्ति (3) और (4) के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण : उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें संप्रेषित पूछताछ के अभिलेख पर, जैसे आवश्यकता समझें आगे की पूछताछ आयोजित करते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अधीन आदेश पारित कर सकता है जिस हद तक हो यह पंक्ति 9 के साथ अनुपालन में हो।

16. (1) जहॉ एक सस्पेंशन आदेश जारी किया जाता है या कर्मचारी जिनकी सेवाओं को उधार में देने वाले बाह्य प्राधिकारी से उसकी सेवाओं को उधार में लिया गया है के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आयोजित की जाती है (आगे इस पंक्ति में 'उधार देने वाले प्राधिकारी' से संदर्भित किए जाएँगे) उधार देने वाले प्राधिकारी को, कर्मचारी को सस्पेंशन आदेश जारी करने की ओर ले जाने वाले परिस्थितियों के बारे में या अनुशासनिक कार्यवाही की शुरूआत के बारे में, जैसे प्रकरण हो, तुरंत सूचना दिया जाएगा

(2) अगर, कर्मचारी के विरुद्ध आयोजित अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्ष के संदर्भ में, अनुशासनिक प्राधिकारी इस राय के है कि पंक्ति 6 में अनुच्छेद (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी जुर्माना का उनपर आरोपित किया जाना है, वह, पंक्ति 10 के उप पंक्ति (3) के प्रावधानों के तहत, उधार देने वाले प्राधिकारी के साथ परामर्श के बाद, जैसे आवश्यकता हो प्रकरण पर आदेश पारित कर सकता है।

(i) बशर्ते कि विश्वविद्यालय और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच राय में अतर हो तो आगे की कार्यवाही के लिए उधार देने वाले प्राधिकारी के निपटान में कर्मचारी की सेवाओं को दी जाएगी। बशर्ते कि भा स वि अधिनियम 2008 की धारा 49(i) के अधीन विश्वविद्यालय को स्थाई रूप से अंतरित प्रतिनियुक्तिकार माने वाले जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगी। प्रतिनियुक्तिकारों के प्रकरण में, विश्वविद्यालय और पोत महा निदेशक के बीच राय में अंतर होने पर, इस विषय को पोत मत्रालय से संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगी।

(ii) अगर अनुशासनिक अधिकाारी इस राय के है कि कर्मचारी पर पंक्ति 6 के अनच्छेद (v) से (ix) में निर्दिष्ट जुर्माना को आरोपित करना है तो वह जैसे आवश्यक समझे ऐसे कार्यवाही हेतु उधार देने वाले प्राधिकारी को कार्यवृत्त संप्रेषित करेगा

भाग 5 अपील

17. इस भाग में उपलब्ध किसी भी विषय के बावजूद, निम्न के विरुद्ध कोई अपील मान्य नहीं होगी

(i)कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित किसी आदेश

(ii) सस्पेंशन आदेश के अलावा वादकालीन प्रकृति के अन्य किसी आदेश

(iii) पंक्ति 9 के अधीन पूछताछ के दौरान पूछताछ अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश

18. पंक्ति 17 के प्रावधानों के तहत,एक कर्मचारी निम्न या सभी आदेशों के विरुद्ध अपील करा सकता है नाम से

(i) पंक्ति 5 के अधीन जारी किये गये या जारी किये गये माने जाने वाले सस्पेंशन आदेश

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी या अपेलेट प्राधिकारी द्वारा पंक्ति 6 में निर्दिष्ट जुर्मानामें से किसी को आरोपित करने वाले आदेश

(iii) पंक्ति 6 के अधीन आरोपित जुर्माना को विकसित करने वाले आदेश

(iv) एक आदेश जो

(a) नियम या समझौते के जरिये जैसे नियंत्रित उनकी अन्य सेवा शर्तों या वेतन, भत्ता, पेंशन में उसको हानि पहुॅचाने के जैसे इनकार या भिन्नता या

(b) ऐसे नियम या समझौते के प्रावधानों के लिए उसको हानि पहुॅचाने जैसे अर्थ निकाला जाना

(v)एक आदेश

(a) बॉर को पार करने संबंधित उनकी अनर्हता के कारण पर वेतन के समय स्केल में दक्षता बॉर पर उन्हें रोकना

(b) पंक्तियों के अधीन उन्हें अनुमत्य अधिकतम पेंशन को इनकार करना या पेशान को कम करना या स्थगित करना

(c) जुर्माना के रूप में, उच्च श्रेणी या पद में कार्यरत वक्त, निछले श्रेणी या पद में पूवर्वत करना

(d) सस्पेंशन की अवधि के लिए या अवधि जिसके निए उन्हें सस्पेंशन के अधीन माना जाता है उस अवधि के लिए या उसके किसी अंश के लिए उन्हें देय सब्सिस्टेन्स भत्ता या अन्य भत्ताओं को निर्धारित करना

(e) उसके वेतन और भत्ता को निर्धारित करना :

i. सस्पेंशन की अवधि के लिए या

ii. उसकी सेवा से पदच्युति, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से अवधि के लिए या उनके निछले श्रेणी, पद, समय–स्केल या समय–स्केल वेतन में स्तर पर अवनति की तारीख से उनके श्रेणी या पद में पुनःस्थापन या पुनःस्थापित किये जाने की तारीख तक या

(f) इसे निर्धारित करना कि यदि सस्पेंशन की तारीख से या उसके पदच्युति, निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से या निछले श्रेणी, पद, वेतन के समय–स्केल या वेतन में समय'–स्केल में स्तर को अवनति की तारीख से सेवा, श्रेणी या पद में उनकी पुनःस्थापन तक की अवधि को किसी कार्यों के लिए सेवा में रहे अवधि माना जाएगा कि नही।

स्पष्टीकरण : इस पक्ति में, 'कर्मचारी' अभिक्ति में विश्वविद्यालय की सेवाओं में से बिछुडे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे।

'पेंशन ' अभिव्यक्ति में अतिरिक्त पेंशन, सेवोपहार और किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सम्मिलित होंगे।

19. (1) एक कर्मचारी, जिसमें विश्वविद्यालय के सेवा में से बिछुडे व्यक्ति सम्मिलित होंगे, संबंधित कार्यकारिणी परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को पक्ति 18 में निर्दिष्ट किसी या सभी आदेशों के विरुद्ध अपील पेश कर सकता है

(2) तथापि उप पंक्ति (1) में उपलब्ध किसी विषय –

(a) पंक्ति 13 के अधीन आयोजित सामान्य कार्यवृत्त में आदेश के विरुद्ध अपील इस प्राधिकारी के सामने मान्य होगी, जिसके अधीन, कार्यवाही के कार्यों के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्यरत प्राधिकारी तुरंत अधीनस्थ है।

(b) जहॉ व्यक्ति जिससे पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, अपने अगले नियुक्ति या अन्यथा के कारण से, ऐसे आदेश के लिए अपेलेट प्राधिकारी बन जाते है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी के सामने मान्य होगी, जिस प्राधिकारी का इस व्यक्ति तुरंत अधीनस्थ है।

20. इस भाग के अधीन किसी भी अपील को स्वीकृत नहीं की जाएगी, जब तक कि आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जाती है की अपेलेटन्ट को डेलिवरी की तारीख से साठ दिनों के अन्दर अपील पेश की जाएगी।

बशर्ते कि अपेलेट प्राधिकारी ऐसे अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील को स्वीकृत करेंगे जबकि वह संतुष्ट हो कि समय में अपील न किये जाने के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध है।

21. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अपील करना चाहेगा वह व्यक्तिगत रूप से अपने ही नाम से करेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी के सामने पेश किया जाएगा जिनसे अपील कर सकते है और एक प्रति अपेलेंट द्वारा आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया जा रहा है को पारित करने वाले प्राधिकारी को एक प्रति अग्रेषित किया जाएगा। इसके कोई मर्यादाहीन या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं की जाएगी और इन्हें स्वतः परिपर्तण होना है।

(3) प्राधिकारी जिन्होंने अपील किये हुए आदेश पारित किया, वह अपील प्रति प्राप्त होते ही, उसे संबंधित अभिलेख के साथ, अपलेट को किसी परिहार्य विलंब के बिना तथ्ज्ञा अपेलेट प्राधिकारी से किसी निर्देश के बिना, अपने टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करेगा

22.(1) सस्पेंशन आदेश के विरुद्ध अपील के प्रकरण में अपेलेट अधिकारी द्वारा पंक्ति 5 के प्रावधानों पर तथा प्रकरण के परिस्थिति के संबंध में विचार किया जाएगा कि सस्पेपंशन आदेश न्यायसंगत है या नहीं और या तो आदेश को पुष्टि करेगा या रद्द करेगा।

(2) पंक्ति 6 में निर्धारित किसी जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश के विरुद्धया उपर्युक्त पंक्ति के अधीन आरोपित किये गये जुर्माना को विकसित करने संबंधित अपील के प्रकरण में अपेलेट प्राधिकारी निम्न पर विचार करेगा

(a) क्या इस अध्यादेश में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है

(b) अभिलेख पर गवाह द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अनुबद्ध है कि नहीं और

(c) जुर्माना या विकसित जुर्माना जिसे आरोपित किया गया है वह पर्याप्त है कि अपर्याप्त है या गंभीर है तथा आदेश पारित करना

(i) जुर्माना का पुष्टिकरण, विकास, घटाव या रद्दीकरण या

(ii) जुर्माना को आरोपित किये या विकसित किये प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रकरण के परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले ऐसे निर्देशों के साथ प्रकरण प्रेषित करना

बशर्ते कि

(i) अगर ऐसे विकसित जुर्माना , जिसे अपेलेट प्राधिकारी आरोपित करने के लिए प्रस्तावित करता है, वह पंक्ति 6 में अनुच्छेद (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट जुर्मानों में से एक है और इस प्रकरण में पंक्ति 9 के अधीन पूछताछ पूर्व में किया गया है, अपेलेट प्राधिकारी द्वारा, पंक्ति 14 के प्रावधानों के तहत ऐसे पूछताछ आयोजित करेगा या

पंक्ति 9 के प्रावधानों के साथ अनुपालन में ऐसे पूछताछ आयोजित करने के लिए निर्देश देगा और इसके बाद, ऐसे पछताछ के कार्यवृत्त पर विचावर करने के बाद और अपेलेन्ट को ऐसे पूछताछ के दौरान उद्धृत गवाहों के आधार पर प्रस्तावित जुर्माना के विद्ध प्रतिनिधित्व के लिए पंक्ति 10 के उप–पंक्ति (4) के प्रावधानों के अनुपालन में जितना हो सकें उतना अवसर प्रदान करने के बाद, जैसे उचित समझें आदेश पारित करेगा।

(ii) किसी भी प्रकरण में विकसित जुर्माना आरोपित करते हुए कोई आदेश पारित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे विकसित जुर्माना के विरुद्ध प्रतिनिधित करने के लिए पंक्ति 11 के प्रावधानों के साथ अनुपालन में अपेलेंट को जितना हो सकें, उतना अवसर प्रदान किया गया हो,

(iii) पंक्ति 18 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में, अपेलेट अधिकारी द्वारा प्रकरणों की परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और उचित तथा न्यायसंगत पाये जाने वाले आदेश पारित किया जाएगा।

23. प्राधिकारी जिसने उसके विरुद्ध अपील किये आदेश पारित किया, वह अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करेगा।

भाग 6 पुनरीक्षण और संशोधन

24. (A) (1) इस अध्यादेश में उपलब्ध किसी विषय के आवजूद,

(i) कार्यकारिणी समिति या

(ii) अपेलेट प्राधिकारी, पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित आदेशों की तारीख से छ महीने के अन्दर, किसी भी समय, अपने ही मोशन में या अन्यथा किसी पूछताछ संबंधित अभिलेख की मॉग कर सकता है और इस अध्यादेश के अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश, जिसके लिए अपील अनुमत्य हो, पर जिसके लिए किसी अपील संदर्भित न हो, को पुनरीक्षित कर सकता है और

(a) आदेश को पुष्टि करना, संशोधन करना या रद्द करना या

(b) आदेश द्वारा आरोपित किसी भी जुर्माना को पुष्टि करना, कम करना या विकसित करना या रद्द करना या जहॉ जुर्माना नहीं लगाया गया है उस प्रकरण में जुर्माना लगाना या

(c) प्रकरण को उस प्राधिकारी को प्रेषित करें जिन्होंने आदेश पारित किया या ऐसे प्राधिकारी को प्रकरणों की परिस्थिति में उचित माने जाने वाले आगे की पूछताछ करने के लिए ऐसे प्राधिकारी को निर्देश देते हुए प्रेषित करें या

(d) ऐसे आदेश पारित करें जो उन्हें उचित लगें

बशर्ते कि जुर्माना आरोपित करते हुए या विकसित करते हुए किसी आदेश पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित जुर्माना के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया हो और जहॉ पंक्ति 6 के अनुच्छेद (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट किसी जुर्माना को आरोपित करना या पुनरीक्षण की मॉग पेश किये उस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी जुर्माना को उन अनुच्छदों में विनिर्दिष्ट किसी भी जुर्माना के रूप विकसित करना प्रस्तावित है, पंक्ति 9 में निर्धारित तरीके सें पूछताछ के बिना तथा पूछताछ के दौरान प्रस्तुत किये गये गवाहों के आधार पर प्रस्तावित जुर्माना के विरुद्ध कारण बताने संबंधित कर्मचारी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना, ऐसे कोई जुर्माना आरोपित नहीं की जाएगी।

(2) पुनरीक्षण के लिए किसी कार्यवाही को निम्न के बाद शुरू की जाएगी

(i) अपील के लिए समायावधि सीमा की समाप्ति पर या

(ii) अपील के निपटान पर जहॉ ऐसे अपील के लिए अधिमान्यता दिया गया हो।

(3) पुनरीक्षण के लिए आवेदन को, इस अध्यादेश के अधीन अपील के उसी तरीके के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

(B) (1) इस अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के तहत, अगर तथ्य की त्रुटि उपलब्ध होते हुए पहचाने जाने पर या कानूनी या गणितीय त्रुटि पाने पर या लेखक की त्रृटि या अभिलेख के फेस पर अन्य गलतियों के कारण से अपने द्वारा जारी किये गये किसी आदेश को पुनरीक्षण करने का अधिकार कार्यकारिणी परिषद को है। ऐसे पुनरीक्षण को, इसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के अन्दर बाधित दल द्वारा पेश किये गये अर्जी के आधार पर एक बार मात्र की जाएगी।

(2) पुनरीक्षण संबंधित अधिकार को कदाचित प्रकरणों में मात्र ही उपयोग किया जाना है और तभी तब कार्यकारिणी परिषद इससे संतुष्ट है कि सामग्रीय त्रुटि के परिणामस्वरूप गलत आदेश पारित किया गया है। पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित करके तथा पुनरीक्षण अर्जी में पेश किये गये बिन्दुओं के तहत, कार्यकारिणी परिषद द्वारा पूर्व निर्णय पर पुनःविचार के प्रकरण के अलावा, प्रकरण को पुनःखोला नहीं जाएगा ।

भाग 7 — फुटकर

25. इस अध्यादेश के अधीन जारी किये गये प्रत्येक आदेश, नोटिस और अपनाये गये अन्य प्रक्रिया को संबंधित कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से सर्व किया जाएगा या पजींकृत डाक/ई—मेल के जरिये संप्रेषित किया जाएगा और ऐसे डेलिवरी तरीके को उचित सेवन माना जाएगा।

26. इस अध्यादेश में स्पष्ट रूप से प्रदत्त किये जाने के अलावा, इस अध्यादेश के अधीन सक्षम अधिकारी, उचित तथा पर्याप्त कारणों के लिए या पर्याप्त कारण दिखाया जाए तो, इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट समय को विस्तार कर सकता है या किसी विलंब को माफ कर सकता है।

27. अगर इस अध्यादेश के किसी प्रावधानों के अर्थ लेने में किसी शंका हो तो, इस विषय को कार्यकारिणी परिषद से संदर्भित किया जाएगा जो इसपर निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगी।":

टिप्पणी : प्रशासनिक विषयों को व्यवस्थित करने वाले अध्यादेश के अध्याय 3 में प्रकाशित अधिसूचना सं.76 दि मई 12 2009 को एतद्वारा रद्द की जाती है।

अध्यादेश 08/2017

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2017—38—32 दि 28.03.2017)

समकुलपति पद के लिए नियुक्ति नियम

(1)	पद का नाम	सम—कुलपति
(2)	पदों की संख्या	1 (भा स वि मुख्यालय में, चेन्नई)
(3)	वर्गीकरण	दल ए
(4)	वेतनमान	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफसर का (वर्तमान एजीपी रु.10000—12000 के साथ वेतन बैंड रु. 37400—67000) (विसिटर से अनुमोदन के साथ)
(5)	चयन पद या गैर—चयन पद है	चयन पद
(6)	सीधे नियुक्ति के लिए आयु सीमा	अधिकतम 60 वर्ष (उचित प्रकरणों में 2 वर्ष तक कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है।)
(7)	सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	भा स वि में प्रोफसर रहना है या भा स वि के किसी भी स्कूल ऑफ स्टडीज में प्रोफसर के रूप में नियुक्ति के अर्हता रहना है।
(8)	प्रतिनियुक्तिकारों के प्रकरण मे, क्या सीधे नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी?	हॉ
(9)	नियुक्ति तरीका	सीधे नियुक्ति के जरिये या लेटरल अंतरण के जरिये या नियमित तौर पर समरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति के प्रतिनयुक्ति के जरिये
(10)	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	लागू नहीं कानून 4(1) के अनुसार, कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा समकुलपति को नियुक्त किया जाता है।
(11)	कार्यालयीन अवधि	कार्यकारिणी समिति द्वारा जैसे निर्णय लिया जाएगा, पर किसी भी प्रकरण में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति के कार्यालयीन अवधि समाप्त हो, जो भी पूर्व हो। बशर्ते कि समकुलपति जिसकी कार्यालयीन अवधि समाप्त हो चुकी हो, वह फिर से पुनःनियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।

		बशर्ते कि आगे किसी प्रकरण में, सम कुलपति 65 वर्ष उम्र होने पर सेवानिवृत्त प्राप्त करेंगे बशर्ते यह भी कि कानून 2 के अनुच्छेद 6 के अधीन, कुलपति की दायित्वों को डिस्चार्ज करते वक्त समकुलपति, उसके समकुलपति के रूप में कार्यालयीन अवधि पूर्ण होने पर भी नये कुलपति या कुलपति जब तक कार्यालय ग्रहण करेंगे, जैसे प्रकरण हो, तब तक कार्य संभालेंगे।

अध्यादेश 09 / 2017

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2017–39–04दि 14.06.2017)

"सिफारिश करते वक्त चयन समिति द्वारा अनुपालन किये जाने योग्य प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. संरचना : विशिष्ट पद में नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना उस पद के लिए नियुक्ति नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश कि अनुसार या कानून 21 (2) में निर्धारित अनुसार की जाएगी।

2. चयन समिति में नामांकितों का कार्यकाल : चयन समिति में नामांकितों का कार्यकाल 3 वर्ष की होगी।

3. **बैठक का आयोजन :** कुलपति द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सम कुलपति द्वारा (कानून 21 (4) के अनुसार) चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

4. बैठक के लिए सूचना : सामान्यतः सात दिनों की समयावधि देते हुए चयन समिति के सभी सदस्यों को बैठक संबंधित सूचना कुलसचिव जारी करेगा।

5. बैठक का स्थान : विभिन्न पदो के लिए चयन समिति चयन में भा स वि के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगी या उसके किसी परिसर में आयोजित की जाएगी। विशेष प्रकरणों में, कुलपति के विवेकानुसार, चयन समिति भारत या विदेश में किसी जगह में आयोजित की जा सकती है।

6. बैठक की अध्यक्षता : कुलपति या उसकी उपस्थिति में, चयन समिति की बैइक में सम कुलपति अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। (कानून 21 (3) के अनुसार)

7. कोरम

   a. कुलपति या समकुलपति की उपस्थिति पर ही चयन समिति की बैठक मान्य होगी।

   b. कानून 21 (2) में उल्लिखित पदो के लिए, चयन समिति के कार्यवृत्ति को तब तक मान्य नहीं मानेंगे जब तक कि

      i. जहॉ आगंन्तुक नामितियों की संख्या और कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामांकित व्यक्तियों की संख्या कुल 4 होंगे, उसमें से कम से कम 3 बैठक में उपस्थित हो और

      ii. जहॉ आगंन्तुक नामितियों की संख्या और कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामांकित व्यक्तियों की संख्या कुल 3 होंगे, उसमें से कम से कम 2 बैठक में उपस्थित हो

   c. अन्य सभी पदो के लिए, कोरम एन–2 होगी, जहॉ एन विशिष्ट पद के लिए चयन समिति में सदस्यों की संख्या होगी।

8. आवेदनों की लघुसूचीयन : जहॉ आगंन्तुक नामितियों की संख्या और कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामांकित व्यक्तियों की संख्या कुल 4 होंगे, उसमें से कम से कम 3 बैठक में उपस्थित हो और

   a. कुलपति द्वारा नियुक्त एक 'स्क्रीनिंग समितिः द्वारा आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी । संबंधित पद के लिए नियुक्ति नियमों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अनुसार अभ्यर्थियों की लघुसूचीयन की जाएगी।

b. बडी संख्या में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर, उपरोक्त पंक्ति 8 (ए) में व्याख्याकृत अनुसार 'स्क्रीनिंग समिति ' उनकी शैक्षिक निष्पादन और/या कार्य अनुभव और/या किसी अन्य मापदंड जो वे उचित समझें, पर आधारित करके अभ्यर्थियों की लघुसूचीयन करने के लिए उचित तरीका उपयोग करने हेतु अधिकृत होंगे।

c. एक विशिष्ट पद के लिए अभ्यथी की अर्हता के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

9. **मूल्यांकन और नामों की सिफारिश**

a. अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रोफाइल, कार्य अनुभव और/या उसके लिखित परीक्षा में निष्पादन और/या प्रदर्शन और /या कार्यकारिणी परिषद को सिफारिश करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु चयन समिति द्वारा उचित, तर्कसंगत तथा अब्जेक्टिव तरीका का निर्धारण किया जा सकता है।

b. योग्य अभ्यर्थियों के प्रकरण में, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5 वेतनवृद्धि तक प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति को स्क्रीनिंग समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी।

c. चयन समिति बैठक के कार्यवृत्त को उसके विचार और सिफारिश हेतु कार्यकारिणी परिषद के सामने पेश किया जाएगा।

d. कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी की जाएगी। अगर ऐसे आवश्यकता पडें तो, ऐसे अनुमादन को इन—सर्कुलेशन में भी प्राप्त कर सकते हैं

e. योग्यता क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखने हेतु उचित नामों को चयन समिति सिफारिश कर सकता है। अगर मुख्य सूची में किसी व्यक्ति (ों) काम पर लगने से इनकार करता है तो, प्रतीक्षा सूची में अगले व्यक्ति (ों) को नियुक्ति आदेश जारी कर सकते है, जो कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष तक मान्य होगी।

10. कानून या इस अध्यादेश में अनुल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में प्रक्रिया को निर्धारित करने संबंधित अधिकारी कुलपति को है।

अध्यादेश 10/2017

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2017—39—09 दि 14.06.2017)

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजित के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिकाएँ, दायित्व व जिम्मेदारियों को निर्धारित करनेवाले

अध्यादेश

1. प्राधिकारीगण : विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए प्राधिकारी निम्न होंगे।

a. प्रश्नपत्र तैयार करने वाले

b. मध्यस्थक

c. आंचलिक सहसमन्वयक

d. मूल्यांकनकर्ता

e. मुख्य संचालक

f. निरीक्षक

g. अब्सर्वर

h. फलाइंग स्क्वाड

2. **विभिन्न प्राधिकायों के नियुक्त्यिॉं, भूमिका और जिम्मेदारियॉं**

a. **प्रश्न पत्र तैयार करनेवाले**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदन प्राप्त नामों के पेनल में से परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करने वाले की नियुक्ति की जाएगी।

ii. भा स वि के किसी भी परिसर में स्थाई / ठेके / आगन्तुक संकाय के रूप कार्यरत किसी भी व्यक्ति या कम से कम एक सत्र के लिए 5 श्रेणीकृत संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

iii. 'प्रश्न पत्र तैयार करनेवाले' पाठ्यक्रम के साथ अनुपालन में विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी तथा उत्तर कुजियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार होंगे । प्रश्न पत्र की तेयारी और उत्तर कुंजियों की तैयारी के संबंध में 'प्रश्नपत्र तैयार करने वाले ' को परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी विस्तार निर्देश का सख्त अनुपालन करना है।

b. **मध्यस्थक**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल से परीक्षा नियंत्रक द्वारा मध्यस्थकों की नियुक्ति की जाएगी।

ii. भा स वि के किसी भी परिसर में स्थाई / ठेके / आगन्तुक संकाय के रूप कार्यरत किसी भी व्यक्ति या कम से कम एक सत्र के लिए 5 श्रेणीकृत संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति मध्यस्थक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

iii. 1. कठिनाई का स्तर 2. भाषा में सुधार और 3. प्रश्नों की कठिनाई स्तर के साथ प्रश्न के लिए आबंटित अंक अनुरूप है कि नहीं, इन सभी को ध्यान में रख्ते हुए मध्यस्थक प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी को मध्यस्थ करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

c. **आंचलिक सहसमन्वयक**

i. 'आंचलिक सहसमन्वयक ' के पर्यवेक्षण के अधीन भा स वि परिसरों में मूल्यांकन की जाएगी।

ii. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल से परीक्षा नियंत्रक द्वारा 'आंचलिक सहसमन्वयक' की नियुक्ति की जाएगी।

iii. मूल्यांकनकर्ताओं को उत्तर पुस्तिकाएँ वितरण किया जाना, मूल्यांकन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से निर्धारित समय के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आंचलिक सहसमन्वयक की हागी। प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा 'आंचलिक सहसमन्वयकों 'को जारी किये गये विस्तार निर्देशोंका स,त अनुपालन करना है।

d. **मूल्यांकनकर्ता**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल मेंसे परीक्ष नियंत्रक द्वारा मूल्यांकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी।

ii. भा स वि के किसी भी परिसर में स्थाई / ठेके / आगन्तुक संकाय के रूप कार्यरत किसी भी व्यक्ति या कम से कम एक सत्र के लिए 5 श्रेणीकृत संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

iii. उत्तर पुस्तिकाओं के उचित मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता होंगे।

e. **मुख्य संचालक**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल में से परीक्षा नियंत्रक द्वारा मुख्य संचालकों की नियुक्ति की जाएगी।

ii. 'मुख्य संचालक' सामान्यतः भा स वि परिसरों में किसी असोसियेट प्रोफसर या उच्च अधिकारी या संबद्ध संस्था के प्रधानाध्यापक होंगे। अगर किसी कारण से प्रधानाध्यापक अनुपलब्ध है तो, अगले वरिष्ठ संकाय को 'मुख्य संचालक' प्रभार दिया जाएगा। पर भी, इस विकल्प का कदाचित उपयोग किया जाएगा और नियमित तौर पर उपयोग नहीं किया जाएगा।

iii. परीक्षाओं को सुचारू तथा उचित तौर पर संचालन करने की जिम्मेदारी 'मुख्य संचालक': की होगी। लिखित रूपा में, दुराचार संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षा नियंत्रक को प्रतिवेदित करने संबंधित जिम्मेदारी उनकी है। विलंब के बिना प्रत्येक परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को डेस्पेच करने की जिम्मेदारी उनकी है।

iv. 'मुख्य संचालक ' के दायित्वों तथा जिम्मेदारियों के संबंध में परीक्ष नियंत्रक द्वारा जारी विस्तार निर्देशनों का सख्त अनुपालन करना है।

v. परीक्षाओं के लिए 'हाल सूपरिटेन्डेन्ट ' या 'निरीक्षकों ' की नियुक्ति संबंधित जिम्मेदारी मुख्य संचालक की होगी। परीक्षा लिखते वक्त अनुपालन किये जाने योग्य नियमों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करने की जिम्मेदारी, विद्यार्थियों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करने और किसी प्रकार के अनाचार को रोकने संबंधित जिम्मेदारी 'हॉल सूपरिटेन्डन्ट' या निरीक्षक की होगी।

vi. 'हॉल सूपरिटेन्डेन्ट' या निरीक्षक को परीक्षाएँ, पदवीदान तथा अन्य विभिन्न प्रकार्यों के लिए शुल्क व पारिश्रमिक निर्धारित करने वाले हाल ही के अध्यादेश सं.19/105 के अनुसार पारिश्रमिक दी जा सकती है।

f. **हॉल सूपरिटेन्डेन्ट (निरीक्षक)**

i. 'हॉल सूपरिटेन्डेन्ट (निरीक्षकों) की नियुक्ति परीक्षा केन्द्र के मुख्य संचालक द्वारा किया जाएगा।

ii. परीक्षा लिखते वक्त अनुपालन किये जाने योग्य नियमों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करने की जिम्मेदारी, विद्यार्थियों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करने और किसी प्रकार के अनाचार को रोकने संबंधित जिम्मेदारी हॉल सूपरिटेन्डन्ट की होगी।

g. **अब्सर्वर**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदित नाम पेनल में से परीक्षा नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय अब्सर्वरों की नियुक्ति की जाएगी।

ii. भा स वि परिसरों या 5 उच्च श्रेणीकृत संबंद्ध संस्थाओं के संकाय या शैक्षिक सहायता कर्मचारियों में से उनकां चयन किया जाएगा

iii. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शिकाओं और नियंत्रणों के अनुसार संबंद्ध संस्थाओं में परीक्षाओं के उचित तथा सुचारू संचालन के लिए अब्सर्वर जिम्मेदार होंगे।

h. **फलाइंग स्क्वाड**

i. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल से परीक्षा नियंत्रक द्वारा फलाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा।

ii. फलाइंग स्क्वाड के सदस्यों को दल ए अधिकारियों और विश्वविद्यालय के संकायों में से गठन किया जाएगा।

iii. फलाइंग स्क्वाड गठन को गोपनीय रखा जाएगा और लघु अवधि देते हुए सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

iv. फलाइंग स्क्वाड के सदस्य परिवहन के लिए स्वयं व्यवस्था कर लेंगे और दल के सदस्य तथा परीक्षा नियंत्रण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अपने दौरा के बारे में अभिव्यक्त नहीं करेंगे।

3. किसी भी व्यक्ति (उपरोक्त प्राधिकारी के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति) जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है या किसी तरह का अनाचार करता है को कुलपति द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए परीक्षा संबंधित दायित्वों से निषेध किया जाएगा और भा स वि कानून तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. विभिन्न प्राधिकारियों को देय पारिश्रमिक व भत्ता परीक्षाओं के लिए, पदवीदान के लिए और विभिन्न अन्य प्रकार्यों के लिए शुल्क व पारिश्रमिक निर्धारित करने वाले अध्यादेश के अनुसार होगी, जिनका समय समय संशोधन किया जाएगा।।

5. अध्यादेश में उल्लिखित न किये गये किसी भी विषय के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधित अधिकार कुलपति को होगी।

टिप्पणी : परीक्षकों के साथ व्यवहार करने वाले शैक्षिक विषयों को व्यवस्थित करने वाले अध्याय 16 को रद्द की जाती है।

अध्यादेश 11 / 2017

(कार्यकारिणी परिषद संकल्प सं.ईसी 2017–39–10 दि 14.06.17)

"**परीक्षा समिति**

1. **विश्वविद्यालय मे परीक्षा समिति होगी, जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे ।**
   i. कुलपति या उसका नामिती– अध्यक्ष
   ii. प्रत्येक स्कूल से एक वरिष्ठ संकाय
   iii. संबद्ध कालेज / संस्था के तीन प्राध्यापक – इनका नामांकन कुलपति द्वारा किया जाएगा।
   iv. शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति
   v. परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव (पदेन)
2. नामित सदस्य तथा शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक कार्यालय वहन करेंगे और पुनःनियुक्ति के लिए अर्ह होंगे ।
3. समिति की बैठक के लिए 1/3 सदस्य कोरम बनेंगे।
4. समेकित परिणामों पर विचार करते हुए समिति अनुमोदन प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा परिणामों को घोषणा करने के लिए प्रबंध करेगा।
5. समिति, कृपांक प्रदान करने के लिए अधिकृत है बशर्ते कि सभी विषय एक साथ मिलाकर सत्र में 5 से अधिक अंक नहीं दिया जाये।
6. शिक्षा परिषद द्वारा उन्हें निर्दिष्ट जैसे अन्य ऐसे दायित्वों तथा प्रकार्यों को निष्पादन करेंगे।

बशर्ते कि परीक्षा समिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को उपर्युक्त किसी भी या सभी अधिकारों को डेलिगेट कर सकता है।

टिप्पणी : परीक्षकों के साथ व्यवहार करने वाले शैक्षिक विषयों को व्यवस्थित करने वाले अध्याय 17 को रद्द की जाती है।

अध्यादेश 12 / 2017

"पीएच.डी नियमों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश

[कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव सं.ईसी 2017–40–16 दि 15.09.2017]

1. **प्रस्तावना**

पीएच.डी की उपाधि उस अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा जो नीचे दिये गये भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, एक विषय से अधिक (अंतः–विषयी) या किसी एक विशिष्टविषय में मूल और स्वतंत्र अनुसंधान पर आधारित शोध समर्पित करेगा, जो समुद्री सेक्टार में ज्ञान के विकास की ओर अंशदान प्रदान करेगा, और जिनका परीक्षकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो।

2. **अनुसंधान क्षेत्र**

विश्वविद्यालय, निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुविधाऍं प्रदान करेगा।

a) समुद्री अभियंत्रीकरण
b) नॉटिकल विज्ञान
c) नॉटिकल वास्तुकला ओर जहाज निर्माण
d) ड्रेडजिंग और बंदरगाह अभियंत्रीकरण
e) अपतटीय समर्थन सेवाऍं
f) अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय पोत–परिहन और नदी–सम्मुद्र पोत परिवहन
g) बंदरगाह और पोत परिवहन प्रबंधन

h) लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति चेइन प्रबंधन

i) समुद्री सुरक्षा और पाइरसी

j) समुद्र संबंधित क्षेत्र

k) अंतः—विषयी क्षेत्र

उपरोक्त सूची मात्र दृष्टांतदर्शक है और सविस्तृत नहीं है।

3.अर्हता

a. पीएच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड निम्न होगी :

(i) उपरोक्त पंक्ति (2) में या संबंधित विषय में सूचीगत संबंधित 'अनुसंधान क्षेत्र' में 55 प्रतिशत या समतुल्य संचयी ग्रेड पाइन्ट औसतम (सीजीपीए) के साथ स्नातकोत्तर (पी.जी) उपाधि। अनुसूचित जाति/ जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, 50 प्रतिशत की निम्न अंक की आवश्यकता होगी। (या समतुल्यसीजीपीए)

(ii) उपरोक्त पंक्ति (2) में या संबंधित विषय में सूचीगत संबंधित 'अनुसंधान क्षेत्र' में एम.एस (अनुसंधान के द्वारा) या एम.फिल उपाधि

(iii) भा स वि, संबंद्धता प्राप्त संस्थाएँ और डीजी (एस) अनुमोदित संस्थाओं के संकाय सदस्यों को अपने योग्यताओं को विकसित कर लेने हेतु प्रोत्साहित करना, नाविक जिनके पास दक्षता के स्नातकोत्तर/ एमईओ वर्ग 1 प्रमाण पत्र या उपाधि स्तर में 2 वर्ष का अध्ययन अनुभव हो वे अर्ह होंगे।

b. एक विशिष्ट विषय, विशिष्ट 'अनुसंधान क्षेत्र ' से संबंधित है कि नहीं इसपर अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. प्रवेश प्रक्रिया

a. पीएच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष में दो बार दिया जाएगा। जैसे जनवरी और जुलाई

b. प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन मोड के जरिये वर्ष के दौरान किसी भी समय पीएच़.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

c. जुलाई 1 तथा अक्तूबर 31 के बीच आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को अगले वर्ष के जनवरी बैच में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। जनवरी 1 से अप्रेल 30 के बीच अपने आवेदन को समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को उसी वर्ष कें जुलाई बैच में प्रवेश देने हेतु विचार किया जाएगा।

d. पीएच.डी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश, निम्न में निष्पादन पर आधारित करके दिया जाएगा :

(i) बहु—विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) तरीके में 'लिखित परीक्षा ' आयोजित किया जाएगा, जो अभ्यर्थी के सामान्य मानसिक क्षमता, समुद्री सेक्टॉर संबंधित उसके ज्ञान और संबंधित विषय/ 'अनुसंधान क्षेत्र' में जिस विषय पर वह पीएच.ड़ी करना प्रस्तावित करता है का परीक्षण करेगा। 'लिखित परीक्षा ' का 50 प्रतिशत वेइटेज होगी।

(ii) सामान्य शीर्ष पर 'लेख लिखने परीक्षा' जिसके लिए 35 प्रतिशत वेइटेज होगी, और

(iii) व्यक्तिगत साक्षात्कार जिसके लिए 15 प्रतिशत वेइटेज होगी।

e. लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों के लिए, साक्षात्कार के दिन 'लेख लिखने ' संबंधित परीक्षा आयोजित किया जाएगा।

f. परीक्षा नियंत्रक, भा स वि द्वारा 'लिखित परीक्षा' व 'लेख लिखने 'संबंधित परीक्षा आयोजित किया जाएगा।

g. कुलपति द्वारा गठित 'विभागीय समिति' द्वारा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी।

5. पंजीकरण के लिए आवेदन

a. अभ्यर्थियों को चयन किये जाने वाले तारीख से दो हफते के अन्दर, 'विभागीय समिति' द्वारा अनुसंधान अध्ययनों के लिए बोर्ड द्वारा एम्पेनेल किये गये गाइडों की सूची से चयनित अभ्यर्थी के लिए गाइड पहचाना जाएगा। अंतः विषयी अनुसंधान के लिए, विभागीय समिति द्वारा दो सह—गाइडों का चयन किया जाएगा। अक्सर, जहॉ अनुसंधान बहु विषयी न हो, वहॉ भी सह—गाइड की आवश्यकता हो सकती है।

b. इससे एक महीने के अन्दर, अभ्यर्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क/ सत्रांत शुल्क की भुगतान पर पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदन समर्पित करना पडेगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा।

c. अंतः–विषयी अनुसंधान के अधीन प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में समर्पित करना है जिसका विभागीय समिति द्वारा उचित अनुमोदन प्राप्त हो।

6. **डॉक्टोरल समिति**

a. अस्थाई के पंजीकरण की तारीख से एक महीने के अन्दर, आवधिक तौर पर पीएच.डी छात्र के शैक्षिक प्रगति में सहायता प्रदान करने हेतु तथा अनुवीक्षण हेतु कुलपति द्वारा एक डॉक्टोरल समिति का गठन किया जाएगा।

b. इस डॉक्टोरल समिति में निम्न सम्मिलित होंगे 1. एक गाइड, दृसह–गाइड (जहॉ प्रयोज्य हो) और 3. गाइड द्वारा समर्पित छ विशेषज्ञों के पेनल में से कुलपति द्वारा नामांकित कम से कम दो विशेषज्ञ। इस डॉक्टोरल समिति में कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ और कम से एक पी.एचडी अर्हता के साथ एक सदस्य होंगे।

c. **डॉक्टोरल समिति की गतिविधियॉ निम्न होंगी।**

(i) अस्थाई पंजीकरण से उपाधि प्रदान करने तक पी.एचडी छात्र से संबंधित सभी विषयों पर विचार–विमर्श, परामर्श तथा सिफारिश

(ii) उसके पाठ्यक्रम कार्य के अंग के रूप में पीएच.डी छात्र द्वारा अपनाये जाने योग्य उचित विषय पर सुझाव देने ('संबंधित अनुसंधान क्षेत्र' में)

(iii) पीएच.डी छात्र के कार्यों का आवधिक तौर पर अनुवीक्षण करना और निर्धारित प्रारूप में, छ महीने में एक बार, प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना।

(iv) विश्वद्यिालय को पीएच.डी छात्र द्वारा सार और शोध समर्पण का पर्यवेक्षण

7. अनुसंधान का पंजीकरण व अवधि : एक अभ्यर्थी पीएच.डी पाठ्यक्रम में पूर्णकालीन छात्र या अंशकालीन छात्र के रूप मं पंजीकृत कर सकता है।

<u>पूर्णकालीन छात्र</u>

a. एक पूर्णकालीन पीएच.डी छात्र को उनसे प्रवेश लिये गये भा स वि परिसर के शहरीय सीमाओं के अन्दर का निवासी रहना है और जब तक कि छुट्टी के लिए पूर्व स्वीकृति हो, पीएच.डी अभ्यर्थिता की अवधि के दौरान कहीं पूर्ण कालीन नियोजन में नहीं रहना है। उनके द्वारा प्रयोज्य उपस्थिति नियमों का अनुपालन किया जाना है।

b. एक पूर्णकालीन पीएच.डी छात्र को 'अस्थाई पंजीकरण' की तारीख से तीन वर्ष की पूर्ति पर शोध प्रबंध समर्पित करना है। डॉक्टोरल समिति द्वारा, परीक्षा नियंत्रक को सूचना के अधीन, प्रत्येक बार एक वर्ष से अधिक न रहने वाले विस्तार के साथ और दो वर्ष तक अवधि को विस्तार किया जा सकता है। कुलपति, अपने विवेक के अनुसार, और एक वर्ष तक विस्तार प्रदान कर सकता है। अगर एक पूर्णकालीन पीएच.डी छात्र अधिकतम छ वर्षों की अवधि के अन्दर शोध प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसकी पंजीकरण रद्द की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया में फिर न पड़ते हुए उन्हें नये अभ्यर्थी के रूप में पुन–पंजीकृत कर लेना है।

c. डॉक्टोरल समिति द्वारा प्रत्येक छः महीने में पीएच.डी छात्र की प्रगति का पुनर्विलोकन किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। असंतुष्ट निष्पादन के प्रकरण में, डॉक्टोरल समिति द्वारा पुनर्विलोकन के समय 'चेतावनी सूचना' दी जाएगी। अगर पूर्णकालीन पीएच.डी छात्र को ऐसे तीन चेतावनी सूचना जारी की जाएगी तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी पंजीकरण रद्द की जा सकती है और प्रवेश प्रक्रिया में फिर से न पडते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में पुनः पंजीकृत कर लेना है।

अंशकालीन छात्र

a. अंशकालीन पीएच.डी छात्र भारत के किसी भी जगह के निवासी हो सकते हैं और वह पूर्णकालीन नियोजन में रह सकता है। उन्हें प्रयोज्य उपस्थिति नियमों का अनुपालन करना है।

b. एक अंशकालीन पीएचडी छात्र को अपने गाईड के साथ आदान प्रदान करने, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक महीने की अवधि के लिए परिसर में उपस्थित रहना है। (पाठ्यक्रम के लिए जहॉ पंजीकृत किया है)। पर भी, प्रथम सत्र के दौरान जब उन्हें 'पाठ्यक्रम कार्य' करना है, उस समय निम्नतम एक महीने की अवधि तक लगातार प्रत्यक्ष

आदान प्रदान होगी। उसके बाद, प्रत्यक्ष तौर पर एक महीने अवधि की आदान प्रदान विभिन्न अंतरालों में हो सकता है, पर प्रत्येक अंतराल की निम्नतम अवधि को पॉच लगातार कार्यकारी दिन रहना है। उपरोक्त के तहत, पीएच.डी छात्र और गाईड/ सह—गाईड के बीच वीडियो—कांफरेन्स के जरिये आदान—प्रदान अनुमत्य है।

c. 'अस्थाई पंजीकरण ' से चार वर्षों की समाप्ति पर एक अंशकालीन छात्र को शोध प्रबंध समर्पित करना है। परीक्षण नियंत्रक के सूचना के तहत, एक वर्ष से अधिक न होते हुए, इस डॉक्टोरल समिति द्वारा और दो वर्ष की अवधि तक कार्यावधि को बढाया जा सकता है। कुलपति, अपने विवेक से, और एक वर्ष तक विस्तार कर सकता है। अगर सात वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन अंशकालीन छात्र शोध को समर्पित करने से चूकता है तो उसकी पंजीकरणन रद्द हो जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया में न पडते हुए नये उम्मीदवार के रूप में उन्हें पुनःपंजीकरण कर लेना है।

d. प्रत्येक वर्ष 'डॉक्टोरल समिति' द्वारा अंशकालीन पीएच.डी छात्र की प्रगति का पुनर्विलोकन की जाएगी और उसे परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। असंतुष्ट निष्पादन के प्रकरण में, डॉक्टोरल समिति द्वारा पुनर्विलोकन के समय 'चेतावनी सूचना' दी जाएगी। अगर अंशकालीन पीएच.डी छात्र को ऐसे तीन चेतावनी सूचना जारी की जाएगी तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी पंजीकरण रद्द की जा सकती है और प्रवेश प्रक्रिया में फिर से न पड़ते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में पुनः पंजीकृत कर लेना है।

आंतरिक अभ्यर्थी

a. आंतरिक अभ्यर्थी (नियमित संकाय/ भा स वि के कर्मचारी) भी पीएचडी छात्र के रूप में पंजीकृत कर सकते है।

b. पीएच.डी संबंधित सभी शुल्क से आंतरिक अभ्यर्थियों को छूट प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि अभ्यर्थियोां द्वारा वचन दिया जाए कि पीएच.डी उपाधि प्राप्त करने के बाद भा स वि में तीन वर्ष सेवा प्रदान करेंगे अन्यथा उन्हें जो शुल्क छूट दिया गया था उन्हें वापस भुगतान करना पडेगा।

c. निर्धारित अवधि के अन्दर पीएच.डी उपाधि पूर्ण करने से चूकने वाले आंतरिक अभ्यर्थियों को छूट दिये गये संपूर्ण शुल्क वापस भुगतान करना पडेगा।

पूर्णकालीन को अं□ाकालीन में तथा अं□ाकालीन को पूर्णकालीन में परिवर्तन करना

a. इन नियमों में निर्धारित किसी विषय के बावजूद, कुलपति द्वारा पूर्णकालीन अनुसंधान को अंशकालीन में और अंश्कालीन को पूर्णकालीन में उचित कारणों के लिए तथा चालू नियमों की संतुष्टि के तहत, बदलने अनुमति दिया जा सकता है ।

b. पीएच.डी छात्र द्वारा लगाये गये अवधि को पूर्व में लगाये गये अनुसंधान तथा ऐसे परिवर्तन के बाद लगाये गये अनुसंधान के लिए 2:3 अनुपात में आकलन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के बाद परिवर्तन मॉगने वाले एक पूर्णकालीन पीएच.डी छात्र को अंशकालीन आधार पर तीन वर्ष पूर्ण किया गया माना जाएगा।

8. **अनुसंधान का पर्यवेक्षण**

a. प्रत्येक पीएच.डी. छात्र एक मान्यता प्राप्त गाइड के लगातार पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

b. 'अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ' द्वारा गाइडों का एम्पेनलमेंट किया जाएगा।

c. गाइड तीन वर्गो के होंगे :

(i) पीएच.डी उपाधि के साथ भा स वि संकाय, जिन्होंनें कम से कम एक प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया हो।

(ii) पीएच.डी उपाधि के साथ अन्य केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्था, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या भा स वि द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं से संकाय, जिन्होंने कम से कम एक प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया हो। ऐसे संकाय, वे जिस विशिष्ट भा स वि परिसर से संबंधित है उस शहर सीमा के अन्दर के निवासी होंगे।

(iii) पीएच.डी उपाधि के साथ औद्योगिक पेशेवर। प्रख्यात औद्योगिक पेशवर, जिन्होंने प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया है के विषय में पीएच.डी उपाधि की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। 'अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ' द्वारा उचित ध्यान देते हुए उन्हें एम्पेनेल किया जाएगा और 'सहायक संकाय' सदस्य के रूप में अभिहित किया जाएगा। इस 'सहायक संकाय' आवश्यक रूप से जिस भा स वि परिसर के साथ संबंधित है उस शहर सीमा के अन्दर के निवासी होंगे। 'सहायक संकाय ' के पुनःनवीकरण/समापन संबंधित निर्णय का प्रत्येक पॉच वर्षों के बाद पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त वर्ग 8 सी और 8 (सी) 3 में से आने वाले सह–गाइडों के प्रकरण में विशिष्ट भा स वि परिसर जिससे वे संबंधित है, उस शहरीय सीमाओं के अधीन निवासी होने संबंधित आवश्यकता लागू नहीं होगी।

d. भा स वि संकाय सदस्यों के प्रकरण में, भा स वि में दो वर्षों की सेवा पूर्ति करने के बाद ही गाइड के रूप में नियुक्ति पर विचार की जाएगी। पर भी, अगर सहायक प्रोफसर द्वारा प्रपत्र, लेख तथा विख्यात पुस्तकें प्रकाशित किया गया हो, इस अवधि को कम किया जा सकता है या छूट दिया जा सकता है।

e. एक व्यक्तिगत गाईड के अधीन कार्य करने योग्य पीएच.डी छात्रों की अधिकतम संख्या निम्न होगी

(i) प्रोफसर–8

(ii) असोसियेट प्रोफसर–6

(iii) सहायक प्रोफसर – 4

(iv) पीएच.डी के साथ सहायक संकाय– 6

(v) पीएच.डी के बिना सहायक संकाय–4

अन्य केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, स्वयत्त शैक्षिक /अनुसंधान संस्था, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या भा स वि के संबंद्धता प्राप्त संथाओं से गाइडों के प्रकरण में, इन संख्याओं में भा स वि के बाहर उनसे मार्गदर्शन दिये जाने वाले पीएच.डी छात्रो ंकी संख्या सम्मिलित होगी।

f. अंतर–विषयी अनुसंधान के लिए, पीएच.डी छात्र को एक सहायक गाइड रख लेने की आवश्यकता है।

g. एक गाईड अपने निकटतम या तत्काल रिश्तेदार का पर्यवेक्षण नहीं करेगा और इस हद तक वह एक घोषणा पेश करेंगे।

h. अगर एक गाइड को साहित्यिक चोरी, नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, कपट शैक्षिक उपलब्धियॉ, और विश्वविद्यालय की ख्याति के प्रतिकूल अन्य ऐसे गतिविधि आदि में शामिल होते हुए पाया जाएगा तो कम से कम सात दिनों के 'कारण बताओ' नोटिस देकर, उसके गाईडशिप को समाप्त किया जा सकता है । इस संबंध में आदेश पारित करने संबंधित अधिकार कुलपति को होगी। अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के सामने कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर सकते हैं जिसका निर्णय अंतिम होगा।

i. छ महीने से अधिक न होने वाले अवधि के लिए छुट्टी/ग्रहणाधिकार/प्रतियुक्ति प्राप्त करने इच्छुक गाइड, अपनी अनुपस्थिति के अवधि के लिए गाइड के रूप में डॉक्टोरल समिति के किसी एक अन्य सदस्य को नामांकित करेगा। अगर इस अवधि छ महीने से अधिक हो तो गाईड को बदला जाएगा।

j. अन्य वैद्य कारणों के लिए गाइड में परिवर्तन कुलपति के अनुमोदन के तहत अनमत्य है।

9. पाठ्यक्रम कार्य

a. प्रत्येक पीएच.डी छात्र को निम्न पाठ्यक्रम कार्य अपनाना होगा :

- पत्र 1 – अनुसंधान कार्यप्रणाली – 4 क्रेडिट
- डॉक्टोरल समिति द्वारा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में प्रत्येक में 4 क्रेडिटों का निम्नतम एक पत्र तथा अधिकतम तीन पत्र।

b. पत्र 1 का पाठ्यक्रम (अनुसंधान कार्य प्रणाली) के लिए पाठ्यविवरण का निर्माण अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अन्य सभी पत्रों को भा स वि परिसरों के अन्दर स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रमों में से चयन किया जाएगा।

c. अस्थाई पंजीकरण की तारीख से 18 महीनों के अन्दर सभी पाठ्यक्रम कार्यों को पूर्ण करना है। अगर निर्धारित समय के अधीन पाठ्यक्रम कार्य संबंधित अभ्यासों और परीक्षाओं को एक पीएच.डी छात्र क्लियर करने से चूकेगा तो अस्थाई पंजीकरण रद्द माना जाएगा और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में फिर लगे बिना नये अभ्यर्थी के रूप में पुनःपंजीकरण कर लेना पडेगा।

10. **सेमिनार, सार तथा शोध प्रबंध समर्पण**

a. विभाग द्वारा, डॉक्टोरल समिति के सदस्य सम्मिलित एक व्यापक समिति, विभाग से तथा बाहर से चयनित विशेषज्ञों के साथ (पूर्ण समिति 6 सदस्यों से कम नहीं होगी) मौखिक आयोजित किया जाएगा। अनुसंधान शीर्ष में ज्ञान की अपनी गहराई को प्रदर्शन करने संबंधित अपेक्षा अभ्यर्थी से की जाएगी। संतुष्ट होने पर समिति द्वारा अभ्यर्थी को अगले श्रेणी में चलने अनुमति दिया जा सकता है। अन्यथा तीन महीने के बीत जाने के बाद अभ्यर्थी फिर से व्यापक मौखिक दोहराएगा।

b. सार समर्पण करने के पहले, पीएच.डी छात्र को अपने आंकडा/पहचान पर कम से कम एक सेमिनार प्रस्तुत करना है। डॉक्टोरल समिति द्वारा सेमिनार प्रस्तुति का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर डॉक्टोरल समिति सेमिनार प्रस्तुति से संतुष्ट न हो तो पीएचडी छात्र को और एक प्रस्तुति पेश करना पडेगा। अगर तीन प्रयत्नों में पीएच.डी छात्र संतुष्टजनक सेमिनार पेश करने में विफल होते हैं तो 'अस्थाई पंजीकरण ' को रद्द किया जा सकता है और फिर से प्रवेश प्रक्रिया में न पडते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में पुनः पंजीकरण कर लेना पडेगा।

c. एक पीएच.डी छात्र अभ्यर्थी शीर्ष के साथ प्रस्ताविक शोधोपोधि के लगभग 10–20 पृष्टों (5 हार्ड प्रति) में सार समर्पित करेगा, जिनका डॉक्टोरल समिति द्वारा नियमित तौर पर अनुमोदन तथा प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। सार की साफ्ट प्रति सीडी के रूप में भी समर्पित करना पडेगा। सार के अनुमोदन के बाद अनुसंधान क्षेत्र या शीर्ष में कोई परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

d. पीएच.डी छात्र को प्रथम लेखक के रूप में सदर्भित जर्नलों में कम से कम एक अनुसंधान प्रपत्र प्रकाशित करना पडेगा तथा एक विख्यात कांफरेन्स में पूर्ण प्रपत्र पेश करना होगा और सार को समर्पित करते वक्त इससे संबंधित गवाह को पेश करना पडेगा।। इस जर्नल को यूजीसी/भा स वि के अनुमोदित सूची में रहना है।

e. इसके बाद, सार की समर्पण तारीख से छे महीने अन्दर, पीएच.डी छात्र द्वारा शोध प्रबंध की प्रतियॉ समप्रित की जाएगी (5 हार्ड प्रतियॉ) जिन्हें साहित्यिक चोरी के लिए जॉच किया जाएगा और गाईड द्वारा उचित तौर पर प्रमाणित किया जाएगा तथा परीक्षा नियंत्रक को अधिनिर्णयन हेतु अगेषित किया जाएगा। इस शोध प्रबंध को सीडी में साफट प्रति के रूप में समर्पित किया जाएगा।

f. शोध प्रबंध के शीर्ष पृष्ट, कवर, प्रारूप, आदि को निर्धारित प्रारूप में रहना है और शोध के सभी प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में पीएच.डी छात्र द्वारा घोषणा तथा निर्धारित प्रारूप में गाइड द्वारा जारी तथा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना है।

11. **पीएच.डी शोध प्रबंध का अधिनिर्णयन**

a. पीएच.डी छात्र के शोध प्रबंध को अधिनिर्णयन करने हेतु परीक्षक बोर्ड की नियुक्ति डीन द्वारा किया जाएगा।

b. इस परीक्षक बोर्ड में गाइड, उप–गाइड (जहॉ प्रयोज्य हो) और डॉक्टोरल समिति द्वारा सुझावित कम से कम चार व्यक्तियों के पेनल में से (दो भारत से और दो विदेश से) डीन द्वारा नामांकित दो अन्य बाह्य परीक्षक सम्मिलित होंगे। सामान्यतः डीन प्रत्येक वर्ग से एक को चयन करेगा। दो बाह्य परीक्षकों को अनिवार्य रूप से पीएच.डी रहना है।

c. विदेश से बाह्य परीक्षण पहचानने में कठिनाई के प्रकरण में, डीन द्वारा भारतीय परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है या उसके विपरीत किया जा सकता है। डॉक्टोरल समिति द्वारा सुझावित पेनल में से परीक्षकों की नियुक्त में कठिनाई हो तो, डीन द्वारा इस पेनल के बाहर से बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

d. ऐसे नियुक्त परीक्षक बोर्ड शोध प्रबंध का मूल्यांकन करेगा और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने नामपट् में विस्तार प्रतिवेदन प्रदान करेगा। परीक्षक द्वारा निम्न में से एक का सिफारिश किया जा सकता है :

(i) शोध प्रबंध अत्यंत सराहनीय है

[या]

(ii) शोध प्रबंध सराहनीय है

[या]

(iii) शोध प्रबंध को सराहना किया जाता है और आम मौखिक परीक्षा के दौरान मेरे प्रश्नों के लिए संतुष्टजनक स्पष्टीकरण पेश करने के तहत उपाधि प्रदान किया जा सकता है।

[या]

(iv) शोध प्रबंध को सराहना किया जाता और उपाधि इस शर्त में दिया जा सकता है कि मुझसे सुझावित सुधार/संशोधन शोध में किया जाए और आम मौखिक परीक्षा के पूर्व गाइड द्वारा इसको विधिवत् प्रमाणित किया जाए।

[या]

(v) शोध प्रबंध को पुनरीक्षण के बाद पुनःमूल्यांकन के लिए पुनःसमर्पित करना होगा।

[या]

(vi) शोध प्रबंध का सराहना नहीं दिया जाता है और उपाधि दिया नहीं जाय।

e. अगर शोध प्रबंध को उपरोक्त उपधारा (v) के अधीन वापस किया जाता है तो उसी परीक्षक बोर्ड द्वारा पुनःमूल्यांकन किया जाएगा।

f. हार्ड प्रति तथा स्केन किये गये साफट प्रति रूप में गाईड को तथा परीक्षा नियंत्रण को दो बाह्य परीक्षकों द्वारा अपने अपने प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

g. गाईड द्वारा समेकित प्रतिवेदन भेजा जाएगा जिसमें अपने स्वतः प्रतिवेदन तथा बाह्य परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रतिवेदन में किये गये मुख्य बिन्दु सम्मिलित होंगे।

h. अगर किसी एक बाह्य परीक्षक उपरोक्त d (iii), d (iv) या d (v) में संकेतित कार्यवाही सुझावित करेगा तो पीएच.डी छात्र उस सुझाव का अनुपालन करेंगे।

i. अगर किसी बाह्य परीक्षक पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए सिफारिश नहीं करेगा (उपरोक्त d (vi) में उल्लिखित अनुसार), डीन उस शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए तृतीय बाह्य परीक्षक से संदर्भित करेगा।

j. शोध प्रबंध को जिस बाह्य परीक्षक ने सिफारिश नहीं किया, उसकी टिप्पणी गाईड को दिया जाएगा, ताकि वह पीएच.डी छात्र को किसी सुधार/ जोड/ परिवर्तन/संशोधन अगर आवश्यकता पडें तो अपनाने के लिए परामर्श दे सकें

k. तृतीय बाह्य परीक्षक को अन्य परीक्षकों से दिये गये प्रतिवेदन प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर तृतीय परीक्षक उस शोध प्रबंध को उपाधि प्रदान करने के लिए सिफारिश करेगा तो अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने बुलाया जाएगा।

l. अगर तृतीय परीक्षक भी पीएच.डी उपाधि के लिए शोध प्रबंध को सिफारिश न करेंगे तो छात्र को पीएच.डी उपाधि नहीं दी जाएगी।

m. एक अभ्यर्थी जिसके शोध प्रबंध को उपाधि के लिए सिफारिश नहीं किया जाएगा, को एक वर्ष के अन्दर पुनः शोध प्रबंध समर्पित करने के लिए अनुमति दिया जा सकता है। अगर फिर शोध प्रबंधन को सिफारिश नहीं की जाएगी तो उन्हें प्रवेश प्रक्रियाओं में न पडते हुए फिर से नये विद्यार्थी के रूप में पुनःपंजीकरण कर लेना पडेगा।

12. आम डिफेन्स और पीएच.डी उपाधि प्रदान करना

a. एक बार समर्पित शोध प्रबंधन को अनुमोदन प्रदान किया गया तो, पीएच.डी छात्र, डॉक्टोरल समिति द्वारा सुझावित 3 परीक्षकों के पेन से डीन द्वारा नामांकित बाह्य परीक्षक के साथ खुले फारम में मौखिक के जरिये में शोध प्रबंध के लिए सुरक्षा प्रदान कर पाएँगे।

b. बाह्य परीक्षक जो मौखिक परीक्षा चलाएँगे उन्हें अनिवार्य तौर पर उन्हें पीएच.डी ष्वाहक रहना है। यह सामान्यतः अधिनिर्णयन के लिए शोध प्रबंध भेजे गये परीक्षकों में से एक होंगे।

c. छात्र जो मौखिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी उपाधि के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप के अनुसार पीएच.डी उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

d. एक अभ्यर्थी, जो मौखिक परीक्षा में असफल होंगे, को और दो अवसरों में इसी मौखिक लेने अनुमति दिया जा सकता है। अगर तीसरी प्रयत्न में भी वह असफल हो तो उन्हें उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया न में पडते हुए, फिर से पुनः पंजीकरण करना पडेगा।

e. अगर किसी कारणवश, 'बाह्य परीक्षक' उनकी नियुक्ति से दो महीने के बाद भी मौखिक परीक्षा आयोजित कर नहीं पाएँगे तो, मौखिक परीक्षा चलाने हेतु डीन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

13. **शोध प्रबंध का प्रकाशन**

a. शोध प्रबंध, उनकी अनुमोदन हो या न हो, का विश्वविद्यालय से अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

b. उपाधि प्राप्ति के बाद, शोध प्रबंध प्रकाशन हेतु अनुमति मॉगना है। विश्वविद्यालय द्वारा जैसे उचित समझा जाये, उन परिस्थितियोंा के अधीन उपाधि प्रकाशन हेतु अनुमति दिया जा सकता है।

c. मूल्यांकन प्रक्रिया की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद तथा पीएच.डी उपाधि प्रदान करने करने हेतु घोषणा के पूर्व, पीएच.डी शोध प्रबंध की एक एलक्ट्रानिक प्रति हास्ट करने हेतु 'इन्फिलबनेट' में समर्पित किया जाएगा।

14. **साहित्यिक चोरी**

a. अगर पीएच.डी छात्र को और एक अनुसंधान कार्य/ शोध प्रबंध/ शोध निबंध की नकल करते हुए तथा उसे ही अपने कार्य के रूप में समर्पित करते हुए पाया जाएगा तो उनकी शोध प्रबंध को रद्द किया जाएगा और उन्हें एक वर्ष से पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से दंडरूप से निष्कासित किया जाएगा।

b. ऊपर उल्लिखित जैसे कार्य में लगने से रोकने के लिए, गाईड की मान्यता को हटाया जाएगा और निर्धारित अनुसार उनपर कार्यवाही लिया जा सकता है।

c. पूर्व—विद्यार्थी के विरुद्ध साहित्यिक चोरी पहचाना जाएगा, तो प्रदान किये गये उपाधि को वापस लेने का तथा पंक्ति 14(बी) के अनुसार गाइर्ड के विरुद्ध कार्यवाही लेने का अधिकार भा स वि रखता है।

15. **कठिनाइयों को हटाना**

उपरोक्त नियंमों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्व नियमों के स्थान पर इन पुनरीक्षित नियमों को प्रतिस्थापित करते या पुनरीक्षित नियंमों को कार्यान्वयन करते वक्त उठने वाले किसी भी कठिनाई को हटाने, संशोधित अध्यादेश की तारीख से पॉच वर्ष की अवधि तक, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड को अधिकार होगी।

टिप्पणी : इन नियमों में, दोनों 'पुरुष : तथा 'स्त्री' सम्मिलित होंगे।

अध्यादेश 13/ 2017

*[*कार्यकारिणी परिषद प्रस्ताव सं.ईसी ईसी *2017-37-08 दि* 22.12.2016 और ईसी *2017-40-38दि 15.09.2017 और ईसी 2017-41-17 दि 22.12.2017* के तहत संशोधित *]*

भा स वि द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रायोगित तथा सैद्धांतिक पत्रों के आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. सभी कार्यक्रमों के लिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु निम्नतम उत्तीर्णता अंक नहीं होगी।

2. सभी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए

a. प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र के लिए अधिकतम अंक 100 अंक होगी, जिसमें से 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन का तथा 70 अंक विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए होगी।

b. प्रत्येक प्रायोगिक पत्र के लिए अंधिकतम अंक 100 होगी, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन के लिए 50 अंक तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए 50 अंक होगी।

3. सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

a. प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र के लिए अधिकतम अंक 100 अंक होगी, जिसमें से 40 अंक आंतरिक मूल्यांकन का तथा 60 अंक विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए होगी।

b. प्रत्येक प्रायोगिक पत्र के लिए अंधिकतम अंक 100 होगी, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन के लिए 50 अंक तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए 50 अंक होगी।

4. उपरोक्त विभाजन परियोजना कार्य, शोध प्रबंधन निबंध, ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप और शिपबोर्ड संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीपी) के लिए लागू नहीं होगी।

5. स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सैद्धांतिक पत्रों के लिए 'आंतरिक मूल्यांकन ' का विषयवार विभोजन निम्न प्रकार होगी।

स्नातक पाठ्यक्रम

क्रम सं	विषयवस्तु	अंक
1	अध्यापक मूल्यांकन, जिसमें वर्ग में असाइनमेंट/ व्यवहार, वर्ग में प्रतिक्रिया/ ध्यान आदि जैसे मापदंड सम्मिलित हो सकता है	10
2	वर्ग परीक्षाएँ –2 प्रति सत्र	20
	कुल	**30**

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्रम सं	विषयवस्तु	अंक
1	अध्यापक मूल्यांकन, जिसमें वर्ग में असाइनमेंट/ व्यवहार, वर्ग में प्रतिक्रिया/ ध्यान आदि जैसे मापदंड सम्मिलित हो सकता है	10
2	वर्ग परीक्षाएँ –2 प्रति सत्र	30
	कुल	**40**

6. स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक पत्रों के लिए 'आंतरिक मूल्यांकन ' का विषयवार विभोजन निम्न प्रकार होगी।

स्नातक पाठ्यक्रम

क्रम सं	विषयवस्तु	अंक
1	अध्यापक मूल्यांकन, जिसमें वर्ग में असाइनमेंट/ व्यवहार, वर्ग में प्रतिक्रिया/ ध्यान आदि जैसे मापदंड सम्मिलित हो सकता है	10
2	प्रयोगशाला अभिलेख	40
	कुल	**50**

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्रम सं	विषयवस्तु	अंक
1	अध्यापक मूल्यांकन, जिसमें वर्ग में असाइनमेंट/ व्यवहार, वर्ग में प्रतिक्रिया/ ध्यान आदि जैसे मापदंड सम्मिलित हो सकता है	10
2	प्रयोगशाला अभिलेख	40
	कुल	**50**

7. भा स वि परिसर/ संबद्धता प्राप्त संस्था को पहले से ही विशेषतः वर्ग परीक्षा सम्मिलित करके आंतरिक मूल्यांकन के विभिन्न विषयों की अनुसूची अधिसूचित करना है। अगर एक या अधिक छात्र, आंतरिक मूल्यांकन में एक विशिष्ट विषय के लिए अनुपस्थित है तो उन्हें उस विषय के लिए शून्य अंक दिया जाना है।

बशर्ते कि अगर एक या दो छात्र, बीमारी या दुर्घटना या राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के कारण से परियोजना पुनर्विलोकन या प्रयोगशाला/ कार्यशाला में भाग लेने से चूकते है तो विभागाध्यक्ष द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार उसी सत्र के

अन्दर ऐसे छात्र(ों) के लिए भा स वि परिसर/ संबंद्धता प्राप्त संस्था द्वारा विशेष वर्ग परीक्षा या परियोजना पुनर्विलोकन या प्रयोगशाला/ कार्यशाला वर्ग आयोजित किया जा सकता है, पर इस संबंधि में विद्यार्थी उसे अपने हक के रूप मॉग नहीं सकेंगे।

8. अंततः सभी पत्रों के संकलित आंतरिक अंकों को, सत्रांत परीक्षाओं की शुरूआत के तारीख से 14 दिनों के पूर्व विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए भा स वि/ संबंद्धता प्राप्त संस्था के सामान्य सूचनापट् में प्रदर्शित करना है। गलत आंकडा दर्ज या अन्यथा के कारण से आंतरिक मूल्यांकन अंकों में त्रुटि के बारे में छात्रों से प्राप्त प्रतिनिधित्वो पर उचित ध्यान दिया जाना है और भा स वि अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करना है। ऐसे आंतरिक मूल्यांकन अंकों में परिवर्तन को सत्रांत परीक्षाओं के 7 दिनों के पूर्व पूर्ण करना है, जिसके बाद उन्हें स्थिर कर देना है। इसके बाद, किसी भी कारण से आंतरिक मूल्यांकन अंकों में किसी भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. भा स वि परिसर/ संबंद्धता प्राप्त संस्था को प्रायोगित परीक्षाओं की शुरूआत के पूर्व, विषयवार आंतरिक अंकों को भा स वि वेबसाइट में ऑनलाइन दर्ज करना है/ सीआईई कार्यालय को समर्पित करना है।

10. किसी भी समय एक विशिष्ट पत्र या पत्रों के लिए भा स वि परिसर/ संबंद्धता प्राप्त संस्था द्वारा दिये गये आंतरिक मूल्यांकन अंकों से संबंधित मूल अभिलेख की रेंडम नमूना परीक्षण हेतु आदेश जारी करने का अधिकार कुलपति को है। अगर अभिलेख प्रस्तुत नहीं की जाती है तो एक प्रतिकूल अर्थ लिया जाएगा और जिन पत्र या पत्रों या विषय या विषयों के लिए आंतरिक मूल्यांकन अंक संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया हो उसके अंक को शून्य माना जाने संबंधित आदेश पारित करने के लिए कुलपति को अधिकार होगी। ऐसे डिफाल्ट करने वाले संस्था की संबद्धता, भा स वि द्वारा रद्द किया जा सकता है।

11. इस संशोधन अध्यादेश शैक्षिक वर्ष 2017—18 में प्रवेश लिये विद्यार्थियों के लिए दिसंबर/ जनवरी 2017 सत्रांत परीक्षाओं से लागू होगी। वर्ष 2017—18 के पूर्व शैक्षिक वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन अंक इस बैच के संबंध में पूर्व नियम/ अध्यादेश के अनुसार दर्ज की जाएगी।

अध्यादेश 14/2017

[कार्यकारिणी परिषद प्रस्ताव सं. ईसी 2017-38-07 दि 28.03.2017]

"एम.एस (अनुसंधान द्वारा) के लिए नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. **प्रस्तावना**

एम.एस (अनुसंधान द्वारा) पाठ्यक्रम उस अभ्यर्थीकोदी जाएगी जो, भा स वि द्वारा नीचे दिये जैसे गठित नियमों के अनुसार, किसी एक विशिष्ट विषय में मूल और स्वतंत्र अनुसंधान पर आधारित करके शोध प्रबंध समर्पित करेगा, जो समुद्री क्षेत्र में विकास की ओर अंशदान प्रदान करेगा और जिसका गठित परीक्षक बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो।

2. **अनुसंधान क्षेत्र**

विश्वविद्यालय द्वारा निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु सुतिवधाएँ प्रदान की जाएगी।

a) समुद्री अभियंत्रण
b) नॉटिकल विज्ञान
c) नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण
d) ड्रेडजिंग तथा बंदरगाह अभियंत्रण
e) अपतटीय समर्थन सेवाएँ
f) अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय पोत परिवहन तथा नदी—समुद्र पोत परिवहन
g) बंदरगाह व पोत परिवहन प्रबंधन
h) लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति चेइन प्रबंधन
i) समुद्री सुरक्षा तथा पाइरसी
j) समुद्र संबंधित क्षेत्र
k) अंतर—विषयी क्षेत्र

उपरोक्त सूची दृष्टान्तदर्शक मात्र और संपूर्ण नहीं है।

3. **अर्हता**

a. एम.एस (अनुसंधान द्वारा) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड, नाविक के प्रकरण में जिनके लिए मास्टर/ एमईओ वर्ग 1 दक्षता प्रमाण पत्र काफी है को छोडकर, संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशतया समान समेकित ग्रेड पाइन्ट औसतम (सीजीपीए) के साथ स्नातक उपाधि है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पके लिए, निम्नतम अंक 50 प्रतिशत है। (यासीजीपीए के समतुल्य)।

b. एक विशिष्ट विषय संबंधि ' अनुसंधान क्षेत्र 'से संबंधित है कि नहीं इसपर अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. **प्रवेश प्रक्रिया**

a. एम.एस (अनुसंधान द्वारा) में प्रवेश वर्ष में एक बार दिया जाएगा। जैसे जनवरी

b. प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान करते हुए केलण्डर वर्ष के दौरान, अक्तूबर 31 तक किसी भी समय एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रवेश के लिए अपने आवेदन अभ्यर्थी समर्पित कर सकेगा।

c. एम.एस (अनुसंधान द्वारा) में छात्रों को प्रवेश, निम्न में निष्पादन पर आधारित करके दिया जाएगा

i. बहु–विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) तरीके में 'लिखित परीक्षा' आयोजित किया जाएगा, जो अभ्यर्थी के सामान्य मानसिक क्षमता, समुद्री सेक्टॉर संबंधित उसके ज्ञान और संबंधित विषय/ 'अनुसंधान क्षेत्र' में जिस विषय पर वह एम.एस (अनुसंधान द्वारा) करना प्रस्तावित करता है का परीक्षण करेगा। 'लिखित परीक्षा ' का 50 प्रतिशत वेइटेज होगी।

ii. सामान्य शीर्ष पर 'लेख लिखने परीक्षा ' जिसके लिए 35 प्रतिशत वेइटेज होगी, और

iii. व्यक्तिगत साक्षात्कार जिसके लिए 15 प्रतिशत वेइटेज होगी।

d. लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों के लिए, साक्षात्कार के दिन 'लेख लिखने ' संबंधित परीक्षा आयोजित किया जाएगा।

e. परीक्षा नियंत्रक, भा स वि द्वारा 'लिखित परीक्षा' व 'लेख लिखने 'संबंधित परीक्षा आयोजित किया जाएगा।

f. कुलपति द्वारा गठित 'विभागीय समिति' द्वारा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी।

g. पर भी, अखिल भारतीय स्तर में विज्ञापन तथा गंभीर चयन प्रक्रिया के बाद नियमित तौर पर भा स वि परिसर में नियुक्त नियमित संकाय एम.एस (अनुसंधान द्वारा) पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

5. **गाइड की नियुक्ति**

अभ्यर्थी चयन की तारीख से दो हफते के अधीन, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा एम्पेनेल किये गये गाइडों में से, चयनित अभ्यर्थी के लिए 'विभागीय समिति' द्वारा गाइड पहचाना जाएगा।

6. **अनुवीक्षण समिति**

a. प्रवेश की तारीख से एक महीने के अन्दर, आवधिक तौर पर एम.एस छात्र के शैक्षिक प्रगति में सहायता प्रदान करने हेतु तथा अनुवीक्षण हेतु कुलपति द्वारा एक 'अनुवीक्षण समिति' का गठन किया जाएगा।

b. इस अनुवीक्षण समिति में 1. एक गाईड 2.एक वरिष्ठ संकाय सदस्य 3. गाईड द्वारा समर्पित तीन विशेषज्ञों के पेनेल में से कुलपति द्वारा कम से कम नामांकित एक विशेषज्ञ

c. अनुवीक्षण समिति की गतिविधियॉ निम्न होगी :

i. प्रवेश से लेकर उपाधि प्रदान करने तक एम.एस छात्र के साथ संबंधित सभी विषयों पर विचार–विनिमय, सलाह तथा सिफारिश करना

ii. उनकी पाठ्यक्रम कार्य के अंग के रूप में एस.एस छात्र द्वारा अपनाये जाने योग्य उचित विषयों (संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में) का सुझाव देना

iii. आवधिक तौर पर एम.एस छात्र के कार्यों का अनुवीक्षण करना तथा निर्धारित प्रारूप में, छः महीने मेंएकबार, प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना।

iv. विश्वविद्यालय में एम.एस छात्र द्वारा सार और शोध प्रबंध समर्पण का पर्यवेक्षण करना

7. अभ्यथी, अनुसंधान का पंजीकरण तथा अवधि : पूर्ण कालीन छात्र या अंशकालीन छात्र के रूप में एम.एस पाठ्यक्रम में पंजीकृत कर सकते है।

पूर्णकालीन छात्र

a. एक पूर्णकालीन एम.एस छात्र को उनसे प्रवेश लिये गये भा स वि परिसर के शहरीय सीमाओं के अन्दर का निवासी रहना है और जब तक कि छुट्टी के लिए पूर्व स्वीकृति हो, एम.एस अभ्यर्थिता की अवधि के दौरान कहीं पूर्ण कालीन नियोजन में नहीं रहना है। उनके द्वारा प्रयोज्य उपस्थिति नियमों का अनुपालन किया जाना है।

b. एक पूर्णकालीन एम.एस छात्र को प्रवेश की तारीख से दो वर्ष की पूर्ति पर शोध प्रबंध समर्पित करना है। अनुवीक्षण समिति द्वारा, परीक्षा नियंत्रक को सूचना के अधीन, और एक वर्ष तक अवधि को विस्तार किया जा सकता है। अगर एक पूर्णकालीन एम.एस छात्र अधिकतम तीन वर्षों की अवधि क अन्दर शोध प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसकी पंजीकरण रद्द की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया में फिर न पड़ते हुए उन्हें नये अभ्यर्थी के रूप में पुन—पंजीकृत कर लेना है।

c. अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक छः महीने में एम.एस छात्र की प्रगति का पुनर्विलोकन किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। असंतुष्ट निष्पादन के प्रकरण में, अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन के समय 'चेतावनी सूचना' दी जाएगी। अगर पूर्णकालीन एम.एस छात्र को ऐसे दो चेतावनी सूचना जारी की जाएगी तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी पंजीकरण रद्द की जा सकती है और प्रवेश प्रक्रिया में फिर से न पडते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में उन्हें पुनः पंजीकृत कर लेना है।

अंशकालीन छात्र

a. अंशकालीन एम.एस छात्र भारत के किसी भी जगह के निवासी हो सकते हैं और वह पूर्णकालीन नियोजन में रह सकता है। उन्हें प्रयोज्य उपस्थिति नियमों का अनुपालन करना पडेगा।

b. एक अंशकालीन एम.एस छात्र को प्रवेश की तारीख से तीन वर्ष की पूर्ति पर शोध प्रबंध समर्पित करना है। अनुवीक्षण समिति द्वारा, परीक्षा नियंत्रक को सूचना के अधीन, और एक वर्ष तक अवधि को विस्तार किया जा सकता है। अगर एम. एस छात्र अधिकतम चार वर्षों की अवधि क अन्दर शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसकी पंजीकरण रद्द की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया में फिर न पड़ते हुए उन्हें नये अभ्यर्थी के रूप में पुन—पंजीकृत कर लेना है।

c. एक अंशकालीन एम.एस छात्र को प्रथम सत्र में कम से कम एक महीने की अवधि के लिए (पाठ्यक्रम के लिए जहॉ पंजीकृत किया है) लगातार उपस्थित होना है और उसके बाद अपने गाईड के साथ समक्ष लगातार आदान प्रदान करने, प्रत्येक सत्र में कम से कम दो हफते की अवधि के लिए परिसर में उपस्थित रहना है। । पर भी, एम.एस छात्र और गाइड के बीच वीडियो—कांफरेन्स द्वारा आदान—प्रदान अनुमत्य है।

d. प्रत्येक वर्ष 'अनुवीक्षण समिति' द्वारा अंशकालीन एम.एस छात्र की प्रगति का पुनर्विलोकन की जाएगी और उसे परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। असंतुष्ट निष्पादन के प्रकरण में, अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन के समय 'चेतावनी सूचना' दी जाएगी। अगर अंशकालीन एम.एस छात्र को ऐसे दो चेतावनी सूचना जारी की जाएगी तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी पंजीकरण रद्द की जा सकती है और प्रवेश प्रक्रिया में फिर से न पडते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में पुनः पंजीकृत कर लेना है।

पूर्णकालीन को अंशकालीन में तथा अंशकालीन को पूर्णकालीन में परिवर्तन करना

a. इन नियमों में निर्धारित किसी विषय के बावजूद, कुलपति द्वारा पूर्णकालीन अनुसंधान को अंशकालीन में और अंश्कालीन को पूर्णकालीन में उचित कारणों के लिए तथा चालू नियमों की संतुष्टि के तहत, बदलने अनुमति दिया जा सकता है ।

b. एम.एस छात्र द्वारा लगाये गये अवधि को पूर्व में लगाये गये अनुसंधान तथा ऐसे परिवर्तन के बाद लगाये गये अनुसंधान के लिए 2:3 अनुपात में आकलन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के बाद परिवर्तन मॉगने वाले एक पूर्णकालीन एम.एस छात्र को अंशकालीन आधार पर तीन वर्ष पूर्ण किया गया माना जाएगा।

8. **अनुसंधान का पर्यवेक्षण**

a. प्रत्येक एम.एस छात्र एक मान्यता प्राप्त गाइड (ों) के लगातार पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

b. 'अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ' द्वारा गाइडों का एम्पेनलमेंट किया जाएगा।

c. गाइड तीन वर्गो के होंगे :

i. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ भा स वि संकाय, जिन्होंनें कम से कम एक प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया हो। नाविकों के प्रकरण में, भा स वि संकाय को मास्टर/एमईओ वर्ग 1 दक्षता प्रमाण पत्र वाहक रहना है और कम से कम एक प्रपत्र, लेख या विख्यायत पुस्तक प्रकाशित किया हो।

ii. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ अन्य केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्था, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या भा स वि द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं से संकाय, जिन्होंने कम से कम एक प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया हो। ऐसे संकाय, वे जिस विशिष्ट भा स वि परिसर से संबंधित है उस शहर सीमां के अन्दर के निवासी होंगे।

iii. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ प्रख्यात औद्योगिक पेशवर और जिन्होंने प्रपत्र, लेख या विख्यात पुस्तक प्रकाशित किया है। 'अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ' द्वारा उचित ध्यान देते हुए उन्हें एम्पेनेल किया जाएगा और 'सहायक संकाय' सदस्य के रूप में अभिहित किया जाएगा। इस 'सहायक संकाय' आवश्यक रूप से जिस भा स वि परिसर के साथ संबंधित है उस शहर सीमा के अन्दर के निवासी होंगे। 'सहायक संकाय ' के पुनःनवीकरण/ समापन संबंधित निर्णय का प्रत्येक पॉच वर्षों के बाद पुनर्विलोकन किया जाएगा।

d. भा स वि संकाय सदस्यों के प्रकरण में, भा स वि में दो वर्षों की सेवा पूर्ति करने के बाद ही गाइड के रूप में नियुक्ति पर विचार की जाएगी। पर भी, अगर सहायक प्रोफसर द्वारा प्रपत्र, लेख तथा विख्यात पुस्तकें प्रकाशित किया गया हो तो इस अवधि को कम किया जा सकता है या छूट दिया जा सकता है।

e. एक व्यक्तिगत गाईड के अधीन कार्य करने योग्य एम.एस छात्रों की अधिकतम संख्या निम्न होगी

(i) प्रोफसर–8

(ii) असोसियेट प्रोफसर–6

(iii) सहायक प्रोफसर – 4

(iv) पीएच.डी के साथ सहायक संकाय– 6

(v) पीएच.डी के बिना सहायक संकाय–4

इस संख्या उनके अधीन कार्य करने वाले पी.एचडी छात्रों की संख्या से बढकर होगी।

f. एक गाईड अपने निकटतम या तत्काल रिश्तेदार का पर्यवेक्षण नहीं करेगा और इस हद तक वह एक घोषणा पेश करेंगे।

g. अगर एक गाइड को साहित्यिक चोरी, नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, कपट शैक्षिक उपलब्धियॉ, और विश्वविद्यालय की ख्याति के प्रतिकूल अन्य ऐसे गतिविधि आदि में शामिल होते हुए पाया जाएगा तो कम से कम सात दिनों के 'कारण बताओ'

नोटिस देकर, उसके गाईडशिप को समाप्त किया जा सकता है । इस संबंध में आदेश पारित करने संबंधित अधिकार कुलपति को होगी। अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के सामने कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर सकते हैं जिसका निर्णय अंतिम होगा।

h. छ महीने से अधिक न होने वाले अवधि के लिए छुट्टी/ ग्रहणाधिकार/ प्रतियुक्ति प्राप्त करने इच्छुक गाइड, अपनी अनुपस्थिति के अवधि के लिए गाइड के रूप में अनुवीक्षण समिति के किसी एक अन्य सदस्य को नामांकित करेगा। अगर इस अवधि छ महीने से अधिक हो तो गो गाईड को बदला जाएगा।

i. अन्य वैद्य कारणों के लिए गाइड में परिवर्तन कुलपति के अनुमोदन के तहत अनमत्य है।

9. पाठ्यक्रम कार्य

a. प्रत्येक एम.एस छात्र को निम्न पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करना पडेगा ।

1. पत्र 1 – अनुसंधान कार्यप्रणाली और
2. पत्र 2 – अपने एम.एस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय पर
3. पत्र 3 – अपने एम.एस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय पर
4. पत्र 4 – अपने एम.एस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय पर
5. पत्र 5 – अपने एम.एस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय पर

पत्र 2 से 5, भा स वि में पेश किये जाने वाले नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के टोकरी से अनुवीक्षण समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

b. 25 अंकों की एक असाइनमेंट होगी और प्रत्येक पत्र में 75 अंकों की तीन घंटे का व्यापक लिखित परीक्षा होगी (25+75)X5 = कुल 500 अंक। ये असाइनमेंट अनुवीक्षण समिति द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षाएँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा चलाया जाएगा। एक एम.एस छात्र को प्रत्येक पत्र में कम से कम 60 प्राप्त करना पडेगा।

c. एक एम.एस छात्र को इस शर्त के अधीन कि, पूर्णकालीन छात्र के प्रकरण में प्रवेश की तारीख से 12 महीने के अन्दर तथा अंशकालीन छात्र होने पर प्रवेश की तारीख से 24 महीनों के अन्दर, सभी पाठ्यक्रम कार्य संबंधित असाइनमेंट तथा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए एक अतिरिक्त प्रयत्न करने दिया जाएगा। अगर एम.एस छात्र, पूर्ण कालीन विद्यार्थी के प्रकरण में 24 महीनों के अन्दर तथा अंशकालीन छात्र के प्रकरण में 12 महीनों के अन्दर सभी पाठ्यक्रम संबंधित साइनमेंट तथा परीक्षाओं में 2 प्रयत्नों में क्लियर करने से असफल होंगे तो उनका प्रवेश रद्द माना जाएगा और उन्हें फिर से प्रवेश प्रक्रिया में न पडते हुए, नये छात्र के रूप में पुनः पंजीकरण कर लेना पडेगा। प्रवेश रद्दीकरण संबंधित पत्र परीक्षा नियंत्रण द्वारा जारी किया जाएगा।

10. **सेमिनार, सार तथा शोध प्रबंध समर्पण**

a. सार को समर्पित करने के पूर्व, एम.एस छात्र को अपने आंकडा/ फाइंडिंग पर कम से कम एक प्रदर्शन पेश करना पडेगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा सेमिनार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर अनुवीक्षण समिति सेमिनार प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होगी तो, एम.एस छात्र को और एक प्रदर्शन पेश करना पडेगा। अगर दो प्रयत्नों में एम.एस छात्र संतुष्टजनक सेमिनार प्रस्तुत करने में असफल होंगे तो उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है और उन्हें फिर से प्रवेश प्रक्रिया में न पडते हुए, नये छात्र के रूप में पुनः पंजीकरण कर लेना पडेगा।

b. एक एम.एस. छात्र, शीर्ष के साथ प्रस्तावित शोध प्रबंध का लगभग 10 पृष्ठों का सार (5 हार्ड प्रतियॉ) विश्वविद्यालय को समर्पित करेगा, जिनका अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन तथा नियमित तौर पर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। इस सार को सीडी के जरिये साफट प्रति में भी समर्पित किया जाएगा। सार समर्पित करने के बाद, अनुसंधान क्षेत्र या शीर्ष को बदलने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ।

c. उसके बाद, सार की समर्पण सेतीन महीनो के अन्दर, एम.एस छात्र द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें साहित्यिक चोरी के लिए जॉच किया जाएगा और गाइड द्वारा नियमित तौर पर प्रमाणित किया जाएगा तथा अधिनिर्णयन के लिए परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जाएगा। शोध प्रबंध को सीडी के जरिये साफट प्रति में भी समर्पित करना पडेगा।

d. शोध प्रबंधन का शीर्षक, मुख पृष्ठ, प्रारूप, आदि को निर्धारित प्रारूप में रहनाहै और शोध प्रबंध की सभी प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में एम.एस छात्र का घोषणा तथा निर्धारित प्रारूप में गाईड द्वारा जारी तथा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपवलब्ध होना है।

11. **एम.एस शोध प्रबंध का अधिनिर्णयन**

a. एम.एस छात्र के शोध प्रबंध को अधिनिर्णयन/ मूल्यांकन करने हेतु परीक्षक बोर्ड की नियुक्ति कुलपति द्वारा किया जाएगा।

b. इस परीक्षक बोर्ड में गाइड और अनुवीक्षण समिति द्वारा सुझावित कम से कम तीन विशेषज्ञों के पेनल में से कुलपति द्वारा नामांकित किये जाने वाले एक बाहय परीक्षक सम्मिलित होंगे।

c. ऐसे नियुक्त परीक्षक बोर्ड शोध प्रबंध का मूल्यांकन करेगा और निम्न में से एक का सिफारिश किया जा सकता है :

i) **शोध प्रबंध अत्यंत सराहनीय है**

[या]

ii) **शोध प्रबंध सराहनीय है**

[या]

iii) **शोध प्रबंध को सराहना किया जाता है और आम मौखिक परीक्षा के दौरान मेरे प्रश्नों के लिए संतुश्टजनक स्पश्टीकरण पेश करने के तहत उपाधि प्रदान किया जा सकता है।**

[या]

iv) **शोध प्रबंध को सराहना किया जाता और उपाधि इस शर्त में दिया जा सकता है कि मुझसे सुझावित सुधार/संशोधन शोध में किया जाए और आम मौखिक परीक्षा के पूर्व गाइड द्वारा इसको विधिवत् प्रमाणित किया जाए।**

[या]

v) **शोध प्रबंध को पुनरीक्षण के बाद पुनःमूल्यांकन के लिए पुनःसमर्पित करना होगा।**

[या]

vi) **शोध प्रबंध का सराहना नहीं किया जाता है और उपाधि दिया नहीं जाय।**

d. अगर किसी एक बाह्य परीक्षक उपरोक्त c (iii), c(iv) या c (v) में संकेतित कार्यवाही सुझावित करेगा तो एम.एस छात्र उस सुझाव का अनुपालन करेंगे।

e. अगर किसी बाह्य परीक्षक उपाधि प्रदान करने के लिए सिफारिश नहीं करेगा (उपरोक्त c (vi) में उल्लिखित अनुसार), कुलपति उस शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए द्वितीय बाह्य परीक्षक से संदर्भित करेगा।

f. शोध प्रबंध को जिस बाह्य परीक्षक ने सिफारिश नहीं किया उसकी टिप्पणी गाईड को दिया जाएगा, ताकि वह एम.एस छात्र को किसी सुधार/ जोड/ परिवर्तन/संशोधन अगर आवश्यकता पडें तो अपनाने के लिए परामर्श दे सकें।

g. द्वितीय बाह्य परीक्षक को अन्य परीक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर द्वितीय परीक्षक उस शोध प्रबंध को उपाधि प्रदान करने के लिए सिफारिश करेगा तो अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने बुलाया जाएगा।

h. अगर द्वितीय परीक्षक भी एम.एस उपाधि के लिए शोध प्रबंध को सिफारिश न करेंगे तो छात्र एम.एस छात्र नहीं दी जाएगी।

i. एक अभ्यर्थी जिसके शोध प्रबंध को उपाधि के लिए सिफारिश नहीं किया जाएगा, को छ महीने की अवधि के अन्दर पुनः शोध प्रबंध समर्पित करने के लिए अनुमति दिया जा सकता है। अगर फिर शोध प्रबंधन को सिफारिश नहीं की जाएगी तो उन्हें प्रवेश प्रक्रियाओं में न पडते हुए फिर से नये विद्यार्थी के रूप में पुनःपंजीकरण कर लेना पडेगा।

12. **एम.एस. उपाधि के लिए मौखिक परीक्षा तथा उपाधि प्रदान करना**

a. एक बार समर्पित शोध प्रबंध को अनुमोदन प्रदान किया गया तो, एम.एस छात्र, बाह्य परीक्षक जिन्हें अनुवीक्षण समिति द्वारा सुझावित 3 परीक्षकों के पेनल से कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा द्वाराआयोजित मौखिक परीक्षा में उपस्थित होंगे।

b. बाह्य परीक्षक जो मौखिक परीक्षा चलाएँगे वे सामान्यतः अधिनिर्णयन के लिए शोध प्रबंध भेजे गये परीक्षकों में से एक होंगे।

c. छात्र जो मौखिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा एम.एस उपाधि के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप के अनुसार एम.एस उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

d. एक अभ्यर्थी, जो मौखिक परीक्षा में असफल होंगे, को और एक बार इसी मौखिक लेने अनुमति दिया जा सकता है। अगर द्वितीय प्रयत्न में भी वह असफल हों, तो उन्हें उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया न में पडते हुए, फिर से पुनः पंजीकरण करना पडेगा।

e. अगर किसी कारणवश, 'बाह्य परीक्षक' उनकी नियुक्ति से दो महीने के बाद भी मौखिक परीक्षा आयोजित कर नहीं पाएँगे तो, मौखिक परीक्षा चलाने हेतु कुलपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

13. **शोध प्रबंध का प्रकाशन**

a. शोध प्रबंध, उनकी अनुमोदन हो या न हो, का विश्वविद्यालय से अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

b. उपाधि प्राप्ति के बाद, शोध प्रबंध प्रकाशन हेतु अनुमति मॉगना है। विश्वविद्यालय द्वारा जैसे उचित समझा जाय, उन परिस्थितियों के अधीन उपाधि प्रकाशन हेतु अनुमति दिया जा सकता है।

14. **साहित्यिक चोरी**

a. अगर एम.एस छात्र को और एक अनुसंधान कार्य/ शोध प्रबंध/ शोध निबंध की नकली करते हुए तथा उसे ही अपने कार्य के रूप में एम..एस उपाधि के लिए समर्पित करते हुए पाया जाएगा तो उनकी शोध प्रबंध को रद्द किया जाएगा और उन्हें एक वर्ष से पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से दंडरूप से निष्कासित किया जाएगा।

b. ऊपर उल्लिखित जैसे कार्य में लगने से रोकने के लिए, गाईड की मान्यता को हटाया जाएगा और निर्धारित अनुसार उन पर कार्यवाही लिया जा सकता है।

c. पूर्व—विद्यार्थी के विरुद्ध साहित्यिक चोरी पहचाना जाएगा, तो प्रदान किये गये उपाधि को वापस लेने का तथा पंक्ति 14(बी) के अनुसार गाइर्ड के विरुद्ध कार्यवाही लेने का अधिकार भा स वि रखता है।

15. **कठिनाइयों को हटाना**

उपरोक्त नियंमों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्व नियमों के स्थान पर इन पुनरीक्षित एम.एस नियमों को प्रतिस्थापित करते वक्त या पुनरीक्षित नियंमों को कार्यान्वयन करते वक्त उठने वाले किसी भी कठिनाई को हटाने, संशोधित अध्यादेश की तारीख से पॉच वर्ष की अवधि तक, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड को अधिकार होगी।

टिप्पणी : इन नियमों में, दोनों 'पुरुष : तथा 'स्त्री' सम्मिलित होंगे।

अध्यादेश 01/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

विभिन्न स्कूलों में संकाय पद के लिए नियुक्ति संबंधित नियम

मेराइन इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी के स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद में नियुक्ति के लिए नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	12

3.	**विशेषीकरण**	मेराइन इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड –3 रु..15600–39100 रु.6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है ।**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	**वर्ग 1** आवश्यक : a) **निदेशालय जनरल (पोत परिवहन) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** वांछनीय a) **संबंधित विषय में पीएच.डी** b) **यूजीसी/भा स वि नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी प्रपत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** c) निदेशालय जनरल (पोत परिवहन) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का अनुभव वर्ग 2 **वांछित :** **(c)** कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ मेराइन इंजीनियरिंग में बी.ई/बी.टेक उपाधि और कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ एम.ई.एम टेक (या) कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ में बी.ई/बी.टेक उपाधि साथ ही 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ महानिदेशालय (पोत) द्वारा अनुमोदित पीजीडीएमई/ जीएमई पाठ्यक्रम और 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ संबंधित विषय में एम.ई/एम.टेक **b. लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** वांछनीय a) **संबंधित विषय में पी.एचडी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** c) निदेशालय जनरल (पोत परिवहन) द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापन अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	**2 वर्ष**

10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय पर इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के लिए सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार/यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित साइन—ऑन और सोइन—ऑफ पर आधारित प्रवेश से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाता है। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

<u>सूचना</u>: राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 25/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 02/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद में नियुक्ति संबंधित नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	8
3.	**विशेषीकरण**	**मेकनिकी इंजीनियरिंग**
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**

5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड –3 रु.15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	50
8.	परीवीक्षणावधि	आवश्यक a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में एकीकृत उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि स्तर दोनों में निम्नतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड या समतुल्य श्रेणी** वांछनीय a) **संबंधित विषय में पीएच.डी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **VI) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय पर इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के लिए सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी।

		f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 02/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 03 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर (एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) पद में नियुक्ति संबंधित नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	2
3.	**विशेषीकरण**	**एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग**
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड—3 रु. 15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर—चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a. संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड वांछनीय : **a) संबंधित विषय में पीएच.डी** **b) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक / अनुसंधान प्रपत्र / पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**

11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d)शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f)विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 04/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

****

अध्यादेश 04 of 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	14
3.	**विशेषीकरण**	मेराइन इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड –4 रु. 37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	**वर्ग 1 : पीएचकृडी के बिना नाविक** आवश्यक: a) **महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** c) **निम्न क्षेत्रो में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में कम से कम छ वर्ष का निम्नतम अनुभव**

		i. उपरोक्त (b) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद **c** के लिए), (b) में संकेतित निर्धारित दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से दुगुना किया जाएगा। ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान/ विश्वविद्यालय में समुद्री इंजीनियरिंग का अध्यापन iii. महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी या समतुल्य में इंजीनियरिंग सर्वेक्षक iv. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समतुल्य में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट वांछनीय : *a)* **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** **वर्ग 2 – पीएच.डी के साथ नाविक** आवश्यक: a) **महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** c) **संबंधित विषय में पीएच.डी उपाधि** d) **निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग मे कम से कम दो वर्षों का अनुभव** i. उपरोक्त (c) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद d), (b) में संकेतित निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से गुणा किया जाएगा। ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान/ विश्वविद्यालय में समुद्री इंजीनियरिंग का अध्यापन iii. महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी या समतुल्य में इंजीनियरिंग सर्वेक्षक

		v. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समतुल्य में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव** ***वर्ग 3 : पीएच.डी के साथ सहायक प्रोफसर से*** आवश्यकः a) संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड द्ध **संबंधित विशय में पीएच.डी उपाधि** b) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव जिसमें से चार वर्ष का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था में सहायक प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/

		नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज से साइन—ऑन और सोइन—ऑफ पर आधारित दर्ज से नौकायन अनुभव का हिसाब करना है। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 26/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 05/2018

[ईसी EC 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	4
3.	**विशेषीकरण**	मेकनिकल इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड .4 Rs.37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर—चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकाड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ औद्योगिक

		अनुभव जिसमें चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था में सहायक प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : **a) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** **b) पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के लिए सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 03/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 06/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	2
3.	**विशेषीकरण**	**एलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग**
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड .4 Rs.37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव जिसमें से चार वर्षो का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था में सहायक प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : **a) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** **b) पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में**

		इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार/यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 05/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 07/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	7
3.	**विशेषीकरण**	मेराइन इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 4 Rs.37400 – 67000 रु.10000 एजीपी के साथ**

6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	*वर्ग 1 : पीएच.डी के साथ नाविक* आवश्यक: a) **महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो वर्ष की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** c) **संबंधित विषय में पीएच.डी उपाधि** d) **निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग मे कम से कम सात वर्षों का अनुभव** i. उपरोक्त (b) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद d), (b) में संकेतित निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से गुणा किया जाएगा। ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री इंजीनियरिंग का अध्यापन iii.महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी या समतुल्य में इंजीनियरिंग सर्वेक्षक iv. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समतुल्य में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने संबंधित अनुभव** *वर्ग 2 : पीएच.डी के साथ एसोसियेट प्रोफसर* आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समान श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षो का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग

		अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्था में एसोसियेट प्रोफसर स्तर का रहना है। वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**भा स वि कानूनों के अनुसार**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज से साइन–ऑन और सोइन–ऑफ पर आधारित दर्ज से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाएगा। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 27/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 08/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

मेराइन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के स्कूल में प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग)पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	मेकनिकल इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**

5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड .4 Rs.37400 – 67000 रु. 10000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यकः a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षो का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्था में एसोसियेट प्रोफसर स्तर का रहना है। वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**भा स वि कानूनों के अनुसार**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफेसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी।

		f) विशेषज्ञ जॉच पड़ताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

अध्यादेश 09 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफेसर (नॉटिकल विज्ञान) पद में नियुक्ति हेतु नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	8
3.	**विशेषीकरण**	**नॉटिकल विज्ञान।**
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड –3 रु. 15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त मास्टर (विदेश चलना) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** वांछनीय : a) **संबंधित विषय में पीएच.डी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक / अनुसंधान प्रपत्र / पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** c) महानिदेशालय (पोत) द्वारा अमनुमोदित प्रशिक्षण संस्था में अध्यापन अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर** **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में**

		इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार/यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित साइन–ऑन और सोइन–ऑफ पर आधारित प्रवेश से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाता है। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 22/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 10/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफेसर (एलक्ट्रानिक्स व संचार) पद में नियुक्ति हेतु नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	3
3.	**विशेषीकरण**	एलक्ट्रानिक्स व संचार इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड .3 Rs.15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**

6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	**आवश्यकः** **a. संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** **वांछनीय** : **a) संबंधित विषय में पीएच.डी** **b) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर** **(vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार/यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है।

		e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 06/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 11 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में सहायक प्रोफेसर (गणित) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	5
3.	**विशेषीकरण**	गणित
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 3 Rs. 15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यकः **1. संबंधित इंजीनियरिंग विशय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकाड** **2. संबंधित विषय में पीएच.डी** वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक / अनुसंधान प्रपत्र / पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**

11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। d) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। e) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना**:** राजपत्र, 441 दि *02-12-2016* में अध्यादेश 07/2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 12/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में एसोसियेट प्रोफेसर (नॉटिकल विज्ञान) पद में नियुक्ति के लिए नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	14
3.	**विशेषीकरण**	नॉटिकल विज्ञान
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 4 Rs. 37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	**वर्ग 1 : पीएच.डी. के बिना नाविक** आवश्यकः a) महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त मास्टर (विदेश चलना) दक्षता प्रमाण पत्र b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो वर्ष की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव**

		c) **निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम छ वर्षों का अनुभव** i. उपरोक्त (b) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद c), (b) में संकेतित निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से गुणा किया जाएगा। ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में नॉटिकल विज्ञान का अध्यापन iii.महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक iv. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समतुल्य में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट **v.** मुख्य बंदरगाह में पाइलेट वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** ***वर्ग 2 : पीएच.डी. के साथ नाविक*** आवश्यकः a) महानिदेशालय (पोत) मान्यता प्राप्त मास्टर (विदेश चलना) दक्षता प्रमाण पत्र b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो वर्ष की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** c) **संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि** d) **निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम दो वर्षों का अनुभव** i. उपरोक्त (b) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद d), (b) में संकेतित निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से गुणा किया जाएगा। ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में नॉटिकल विज्ञान का अध्यापन iii. महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में

		नॉटिकल सर्वेक्षक iv. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट **v.** मुख्य बंदरगाह में पाइलेट वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी. छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव** ***वर्ग 3 : पीएच.डी. के साथ सहायक प्रोफसर में से*** आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विशय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि** c) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव जिसमें से चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था में सहायक प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी. छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर** **(vi) एसोसियट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**

11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज से साइन–ऑन और सोइन–ऑफ पर आधारित दर्ज से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाता है। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना**:** राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 23/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 13/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में प्रोफेसर (नॉटिकल विज्ञान) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	7
3.	**विशेषीकरण**	नॉटिकल विज्ञान
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 4 Rs.37400 – 67000 रु. 10000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	***वर्ग 1 : पीएच.डी के साथ नाविक*** आवश्यक: a) महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त मास्टर (विदेश चलना) दक्षता प्रमाण पत्र

		b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में दो वर्श की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** c) **संबंधित विशय में पीएच.डी. उपाधि** d) **निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में निम्नतम सात वर्शों का अनुभव** **i.उपरोक्त (b) में संकेतित दो वर्षों के निम्नतम निर्धारित अवधि को पार करके प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव। कुल कार्यकारी अनुभव के आकलन के लिए (अनुच्छेद d), (b) में संकेतित निर्धारित निम्नतम दो वर्षों से अधिक प्रबंधन स्तर के नौकायन अनुभव का कारक दो से गुणा किया जाएगा।** ii. महानिदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में नॉटिकल विज्ञान का अध्यापन iii. महानिदेशालय (पोत) में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक iv. किसी विख्यात जहाज–मालिकत्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकि सूपरिटेन्डेन्ट **v.** मुख्य बंदरगाह में पाइलेट वांछनीय : **a) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** **b) पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव** *वर्ग 2 : पीएच.डी. के साथ असोसियेट प्रोफेसर* आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विशय में पीएच.डी. उपाधि** c) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम दस वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम पॉच वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था में असोसियेट प्रोफेसर स्तर का हो। वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**

		b) **पीएच.डी. छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**भा स वि कानूनों के अनुसार**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a. भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज से साइन–ऑन और सोइन–ऑफ पर आधारित प्रवेश से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाता है। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना**:** राजपत्र, 305 दि *03-09-2015* में अध्यादेश 24/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 14 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (नौसेना वास्तुकला) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	2
3.	**विशेषीकरण**	नौसेना वास्तुकला
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 3 Rs. 15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: **a. संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड**

		वांछनीय : a) **संबंधित विशय में पीएच.डी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a.भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f. विशेषज्ञ जॉच पड़ताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना**:** राजपत्र, 298 दि *20-07-2016* में अध्यादेश 69/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

****

अध्यादेश 15/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	समुद्री इंजीनियरिंग
4.	**Classification**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड 3 Rs.15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यकः **a. संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे भौक्षिक रिकार्ड** वांछनीय : **b. संबंधित विषय में पीएच.डी** **c. यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a.भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी।

		b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f. विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

****

अध्यादेश 16/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	मेकनिकल इंजीनियरिंग
4.	**Classification**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड–3 रु. 15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु समा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** वांछनीय : a) **संबंधित विषय में पीएच.डी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन**
9.	परीवीक्षणावधि	2 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष**

		(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर **(vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a. भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। C) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, यह 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगी। d) इस उपाधि को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड के अधीन उच्च शुरूआत पर विचार की जाएगी। f. विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

****

अध्यादेश 17 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में सहायक प्रोफसर (मेराइन इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**सहायक प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	मेराइन इंजीनियरिंग
4.	**Classification**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड –3 रु.15600–39100 रु. 6000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	50
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए**	वर्ग 1

	आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: a) **महानिदेशालय (पोत) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ वर्ग 1 (मोटर) दक्षता प्रमाण पत्र** b) **लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव** वांछनीय : a) **संबंधित विषय में पीएच.डी** b) **यूजीसी/ भा स वि के नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** c) महा निदेशालय (पोत) से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का अनुभव वर्ग 2 आवश्यक: a) **कम से कम 55 प्रतिशत अंक यास समतुल्य श्रेणीं के साथ मेराइन इंजीनियरिंग में बी.ई/बी.टेक उपाधि और कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ एम.ई.एम टेक** **या** **कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ में बी.ई/बी.टेक उपाधि साथ ही 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ महानिदेशालय (पोत) द्वारा अनुमोदित पीजीडीएमई/ जीएमई पाठ्यक्रम और 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ संबंधित विषय में एम.ई/एम.टेक** b) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन के अर्थ के अधीन प्रबंधन स्तर में छ महीने की निम्नतम अवधि का नौकायन अनुभव वांछनीय : a) **संबंधित विषय में पी.एचडी** b) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** c) महानिदेशालय (पोत) द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापक अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	**2 वर्ष**
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** (i) **कुलपति** (ii) **समकुलपति**

		(iii) **आगन्तुक का एक नामांकन** (iv) **संबंधित विभागाध्यक्ष** (v) **कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** (vi) **सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) भावी अभ्यर्थी के कन्टिन्यूयस डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज साइन—ऑन और सोइन—ऑफ पर आधारित प्रवेश से नौकायन अनुभव का हिसाब किया जाएगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

****

अध्यादेश 18/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (नौसेना इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	2
3.	**विशेषीकरण**	नौसेना वास्तुकला
4.	**Classification**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड—4 रु. 37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर—चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60

8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे भौक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) **संबंधित क्षेत्र में कम से कम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर स्तर का हो** वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन प्रदाने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी।

		c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, इसका 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना: राजपत्र, 298 दि *20-07-2016* में अध्यादेश 70/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

****

अध्यादेश 19/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	समुद्री इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड —4 रु. 37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर—चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) **संबंधित क्षेत्र में कम से कम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में सहायक प्रोफसर स्तर का हो** वांछनीय :

		a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** **(i) कुलपति** **(ii) समकुलपति** **(iii) आगन्तुक का एक नामांकन** **(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष** **(v) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** **(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति** **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, इसका 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

****

अध्यादेश 20 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (ड्रेडजिंग तथा बंदरगाह इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	ड्रेडजिंग तथा बंदरगाह इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड–4 Rs.37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) **संबंधित क्षेत्र में कम से कम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में सहायक प्रोफसर स्तर का हो** वांछनीय : **a) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** **b) पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	**चयन समिति में निम्न होंगे** (i) **कुलपति** (ii) **समकुलपति** (iii) **आगन्तुक का एक नामांकन** (iv) **संबंधित विभागाध्यक्ष** (v) **कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर** (vi) **एसासियेट प्रोफसर जिस विषय से संबंधित होंगे उस विषय में**

		इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार/यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरंक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, इसका 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

अध्यादेश 21/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में प्रोफसर (नौसेना वास्तुकला) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	नौसेना वास्तुकला
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड–4 रु. 37400 – 67000 रु. 10000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60

8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक भौक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यकः a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी** c) संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम पॉच वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में एसोसियेट प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	भा स वि कानूनों के अनुसार
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, इसका 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना **:** राजपत्र, 298 दि *20-07-2016* में अध्यादेश 71/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 22 / 2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग स्कूल में प्रोफसर (समुद्री इंजीनियरिंग) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	1
3.	**विशेषीकरण**	समुद्री इंजीनियरिंग
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड – 4 रु. 37400 – 67000 रु. 10000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	आवश्यक: a) **संबंधित इंजीनियरिंग विषय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड** b) **संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि** c) संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अध्यापन/अनुसंधान/ उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम पॉच वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में एसोसियेट प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : a) **यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन** b) **पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव**
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	भा स वि कानूनों के अनुसार
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) जिस विषय में औपचारिक उपाधि उपलब्ध है, इसका 8(a) के अधीन होना अधिमान्य है। उदाहरण के लिए, सहायक प्रोफसर (मेकनिकल इंजीनियरिंग) पद के लिए, मेकनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अधिमान्य शैक्षिक अर्हता होगा। d) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। e) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। f) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

अध्यादेश 23/2018

[ईसी 2018-43-06 दि 29.01.2018]

समुद्री प्रबंधन स्कूल में एसोसियेट प्रोफसर (लॉजिस्टिक व आपूर्ति चेइन प्रबंधन /बंदरगाह और जहाज प्रबंधन) पद के लिए नियुक्ति नियम

1.	**पद का नाम**	**एसोसियेट प्रोफसर**
2.	**पदों की संख्या**	2
3.	**विशेषीकरण**	लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति चेइन प्रबंधन/ बंदरगाह व पोत प्रबंधन
4.	**वर्गीकरण**	**शैक्षिक पद**
5.	**वेतनमान**	**वेतन बैंड–4 रु.37400 – 67000 रु. 9000 एजीपी के साथ**
6.	**चयन पद या गैर–चयन पद है**	**चयन पद**
7.	आयु सीमा	60
8.	**सीधे नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	वांछनीय : **a.** संबंधित इंजीनियरिंग विशय में दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड **OR** स्नातक स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या उससे समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे शैक्षिक रिकार्ड तथा व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार/लागत व प्रबंधन लेखाकार **b.** संबंधित विशय में पीएच.डी **c.** संबंधित क्षेत्र में कम से कम आठ वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/उद्योग अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्थाओं में सहायक प्रोफसर स्तर का हो वांछनीय : a) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन b) पीएच.डी छात्रो को मार्गदर्शन देने संबंधित अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	1 वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	चयन समिति में निम्न होंगे **(i)** कुलपति **(ii)** समकुलपति **(iii)** आगन्तुक का एक नामांकन **(iv)** संबंधित विभागाध्यक्ष **(v)** कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफसर

		(vi) एसोसियेट प्रोफसर जिस विशय से संबंधित होंगे उस विषय में इच्छुक या उनकी विशेष ज्ञान के कारण शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की सूची में से कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय के सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति **इस बैठक के लिए कोरम कानून 21 (3) के अनुसार होगी।**
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, एक संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/औद्योगिक प्रकटन/ नौकायन/ भा स वि शर्त व निबंधन के तहत अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते है।
12.	सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a)भारत सरकार /यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तो को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) शैक्षिक अर्हता को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना है। d) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरूआत पर विचार किया जाएगा। e) विशेषज्ञ जॉच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जॉच की जाएगी ।

सूचना : राजपत्र, 298 दि *20-07-2016* में अध्यादेश 76/2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 24/2018

[कार्यकाणी समिति 2014–28–12 दि 26.6.2014 के तहत]

संबद्धता शुल्क निर्धारित करने वाले अध्यादेश

(i) नीचे उल्लिखित दरों में पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान करते वक्त एक मुश्त शुल्क के रूप प्रारंभिक संबद्धता शुल्क वसूला जाता है।

(a) बी.एस.सी (नाटिकल) की ओर ले चलने वाले डीएनएस पाठ्यक्रम

विद्यार्थीयों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपयों में)
80 तक	2,00,000
81 – 160	4,25,000
161 – 240	6,75,000
241 और उससे अधिक	9,50,000

(b) अन्य स्नातक उपाधियों के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

विद्यार्थीयों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपयों में)
40 तक	1,50,000
41 – 80	3,25,000
81 – 120	5,25,000
121 और उससे अधिक	7,50,000

(c) स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

विद्यार्थीयों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपयों में)
20 तक	3,00,000
21 – 40	6,00,000

(ii) अस्थाई संबंद्धता, प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि तक दी जाएगी और बाद में उसे प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि तक विस्तार किया जाएगा। अस्थाई संबद्धता को जारी रखने/ विस्तार करने के लिए प्रत्येक 3 वर्षों के लिए एकमुश्त रु.50000/— (स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) जारी रखने संबंधित शुल्क जमा करना पडेगा।

(iii) 9 वर्षों के अंत में, एक संबद्धता प्राप्त संस्थान को स्थाई संबद्धता के लिए आवेदन करने अर्ह प्राप्त करना है, पर संबंध्ता प्राप्त संस्थान, स्थाई संबदधता 10 वर्षों की पूर्ति होने पर ही प्राप्त करती है, और इस अवधि को भा स स की सबंद्धता जिस दिन प्राप्त की है उस दिन से गिना जाएगा।

(iv) स्थाई संबद्धता के लिए, संस्थान को सभी पाठ्यक्रमों के लिए (डीएनएस, स्नातक, स्नातकोत्तर) के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए रु.10,00,000/—की एकसा स्थाई संबद्धता शुल्क का भुगतान करना पडेगा। जब एक संस्था, स्थाई संबंद्धता प्राप्त करेगी, उसके बाद आगे कोई जारी रखने के लिए शुल्क जमा करना नहीं पडेगा।

(v) स्थाई संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही, एक संबद्धता प्राप्त संस्था, स्वायत्त स्तर के लिए आवेदन करने अर्हता प्राप्त करेगा।

सूचना - राजपत्र 38, दि 1.2.2010 में प्रकाशित अतिरिक्त शैक्षिक अध्यादेश के अध्याय 1 के अनुलग्नक XII के संबद्धता शुल्क खंड एवं अनुच्छेद 4.23 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

संशोधित कानून – 18 अध्ययन स्कूल तथा विभागें

[कार्यकारिणी परिषद् संकल्प सं. ईसी 2017-38-08 दि 28-03-2017]

18 (1) अध्यादेश द्वारा निर्धारित अनुसार विश्वविद्यालय में अध्ययन स्कूल रहेगी।

(2) प्रत्येक स्कूल में अध्यादेश द्वारा अभिहित अनुसार एक या अधिक विभाग होगी।

बशर्ते कि शिक्षा परिषद् के सिफारिश पर, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जिन्हें विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों को अभिहित किया जाएगा, जैसे कार्यकारिणी परिषद् आवश्यक समझें।

(3) प्रत्येक विभाग में निम्न सदस्य होंगे जैसे:

(i) विभाग के अध्यापक

(ii) विभाग में अनुसंधान आयोजित करने वाले व्यक्ति

(iii) स्कूल का डीन

(iv) मानद प्रोफसर, अगर कोई हो, जो विभाग से जुडे हो और

(v) अध्यादेश के प्रावधानों के साथ अनुपालन में विभाग के सदस्य जैसे अन्य व्यक्ति

(4) प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल बोर्ड होगी। स्कूल बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की कार्यालयीन अवधि, बैठकों का आयोजन और उसके लिए आवश्यक कोरम और उसके अधिकार के बारे में अध्यादेश में नियत की जाएगी।

(5) स्कूल की गतिविधियॉ, शिक्षा परिषद् को सिफारिश करना होगा –

(a) स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन के पाठ्यक्रम और उसके अध्ययन सूची, पाठ्यचर्या और नियम

(b) अन्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रम की समतुल्यता/मान्यता से संबंधित सभी विषय

(c) स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्यापक मानक में विकास लाने संबंधित कदम

(d) अध्यादेश द्वक्षरा विहित ऐसे अन्य गतिविधियॉ

संशोधित कानून 19 – अनुसंधान अध्ययन बोर्ड

[कार्यकारिणी समिति संकल्प सं. कार्यकारिणी समिति. 2017-38-08 दि 28-03-2017]

19 (1) विश्वविद्यालय में अनुवसंधान अध्ययन बोर्ड होगी।

(2) अनुसंधान अध्ययन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की समयावधि, बैठकों का आयोजन और उसके लिए आवश्यक कोरम और उसके अधिकार के बारे में अध्यादेश द्वारा निहित किया जाएगा।

(3) अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की गतिविधियॉ निम्न होगी

(a) पीएच.डी और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी विषयों के लिए शिक्षा परिषद् को मार्गदर्शिका तथा नियम सिफारिश करना

(b) अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त पीएच.डी और अन्य अनुसंधान उपाधियों के समतुल्यता/मान्यता से संबंधित सभी विषयों के लिए शिक्षा परिषद् को सिफारिश करना

(c) अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना

(d) विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य के अधीन विषयों में अनुसंधान के लिए मुख्य क्षेत्रों के लिए संबंधित योजना की तैयारी

(e) प्रत्येक विभाग में अनुसंधान के वर्तमान स्थिति पर पुनर्विलोकन

(f) अध्यादेश द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य गतिविधियॉ

संशोधित कानून **<u>11(1)(l)– कार्यकारिणी परिषद् का गठन</u>**

*[*कार्यकारिणी समिति *2017-41-04* दि *21.12.2017]*

कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित किये जाने वाले किसी तकनीकि विश्वविद्यालय के वर्तमान या पूर्व कुलपति या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संथा या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के वर्तमान या पूर्व निदेशक।

ए के पलुसकर, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./150/18]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 19th July, 2018

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

S.No.	*Ordinance*	*Description*	*Executive Council Resolution*
1	Ordinance 04 of 2014	Ordinance relating to School Boards.	EC 2014-28-14 dated 26.06.2014. Amended vide EC 2014-29-30 dated 31-10-2014 and EC 2017-38-08 dated 28.03.2017
2	Ordinance 10 of 2015	Recruitment Rules for the post of Private Secretary.	EC 2015-30-24 dated 25-02-2015. Amended vide EC 2017-38-33 dated 28.03.2017
3	Ordinance 17 of 2015	Attendance Requirement for Students to appear in University Examinations and Norms for regulating Break in Studies.	EC 2015-31-28 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2016-37-05 dated 22.12.2016 and EC 2017-41-17 dated 21.12.2017
4	Ordinance 18 of 2015	Semester Fees and Penalty payable by the Students of IMU Campuses.	EC 2015-31-29 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2017-38-21 dated 28.03.2017 and EC 2017-40-15 dated 15.09.2017.
5	Ordinance 19 of 2015	Fees and Remunerations for Examinations, Convocation and various other purposes.	EC 2015-31-30 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2016-34-18 dated 23.05.2016 & EC 2017-38-23 dated 28.03.2017]
6	Ordinance 28 of 2015	Recruitment Rules for the post of Campus Director.	EC 2015-31-36 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
7	Ordinance 34 of 2015	Ordinance prescribing the Recruitment Rules for the post of Registrar.	EC 2015-31-42 dated 26-06-2015. Amended vide EC 2016-36-28 dated 28.09.2016 and EC 2017-38-31 dated 28.03.2017
8	Ordinance 80 of 2015	Performance-based Reward for students of IMU Campuses.	EC 2015-33-27 dated 23-12-2015. Amended vide EC 2016-36-18 dated 28.09.2016 and EC 2017-38-22 dated 28.03.2017
9	Ordinance 07 of 2017	Ordinance Governing the Control and Appeal of the Employees of the University.	EC 2017-38-20 dated 28.03.2017
10	Ordinance 08 of 2017	Recruitment Rules for the post of Pro-Vice Chancellor.	EC 2017-38-32 dated 28.03.2017
11	Ordinance 09 of 2017	Ordinance prescribing the Procedure to be followed by Selection Committee in making recommendations.	EC 2017-39-04 dated 14.06.2017
12	Ordinance 10 of 2017	Ordinance prescribing the Roles, Duties, and Responsibilities of the various Authorities responsible for conduct of the University Examination.	EC 2017-39-09 dated 14-06-2017
13	Ordinance 11 of 2017	Examination Committee	EC 2017-39-10 dated 14.06.2017
14	Ordinance 12 of 2017	Ordinance prescribing the Ph.D Regulations.	EC 2017-40-16 dated 15.09.2017
15	Ordinance 13 of 2017	Ordinance prescribing the procedure of Internal	EC 2017-37-08 dated 22.12.2016.

		Assessment of Practical and Theory papers for the various programmes conducted by IMU.	Amended vide EC 2017-40-38 dated 15.09.2017 and EC 2017-41-17 dated 22.12.2017.
16	Ordinance 14 of 2017	"Ordinance prescribing Regulations for M.S (By Research) Programme.	EC 2017-38-07 dated 28.03.2017
17	Ordinance 01 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
18	Ordinance 02 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
19	Ordinance 03 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
20	Ordinance 04 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
21	Ordinance 05 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
22	Ordinance 06 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
23	Ordinance 07 of 2018	Recruitment Rules for the post of Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
24	Ordinance 08 of 2018	Recruitment Rules for the post of Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
25	Ordinance 09 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
26	Ordinance 10 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electronics and Communications) in the School of Nautical Studies.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
27	Ordinance 11 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mathematics) in the School of Nautical Studies.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
28	Ordinance 12 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
29	Ordinance 13 of 2018	Recruitment Rules for the post of Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
30	Ordinance 14 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
31	Ordinance 15 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
32	Ordinance 16 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering) in the	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018

		School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	
33	Ordinance 17 of 2018	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
34	Ordinance 18 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
35	Ordinance 19 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
36	Ordinance 20 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Dredging and Harbour Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
37	Ordinance 21 of 2018	Recruitment Rules for the post of Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
38	Ordinance 22 of 2018	Recruitment Rules for the post of Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
39	Ordinance 23 of 2018	Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Logistics & Supply Chain Management/ Port & Shipping Management) in the School of Maritime Management.	EC 2018-43-06 dated 29.01.2018
40	Ordinance 24 of 2018	Ordinance prescribing the Affiliation Fees.	EC 2014-28-12 dated 26.06.2014
41	Statute 18	Schools of Studies and Departments	EC 2017-38-08 dated 28.03.2017
42	Statute 19	- Board of Research Studies	EC 2017-38-08 dated 28.03.2017
43	Statute 11(1)(l)	Composition of Executive Council	EC 2017-41-04 dated 21.12.2017

Note: In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Ordinance 04 of 2014

[EC 2014-28-14 dated 26-06-2014. Amended vide EC 2014-29-30 dated 31-10-2014, and EC 2017-38-08 dated 28-03-2017]

"Ordinance relating to School Boards

1. Every School shall have a School Board which shall consist of the following members:

   (i) Dean of the School (Ex-officio).

   (ii) Heads of Departments of the School (Ex-officio).

   (iii) One Professor, One Associate Professor and one Assistant Professor from IMU nominated by the Vice Chancellor.

   (iv) Not more than four subject experts from Affiliated Institutes nominated by the Vice Chancellor.

   (v) Two subject experts nominated by the Director-General of Shipping (only in respect of the School of Nautical Studies and the School of Maritime Studies).

   (vi) Not more than six subject experts who are not employees of the University or of any of its Affiliated Institutes nominated by the Academic Council out of panel of twelve names proposed by the Vice Chancellor in the case of the School of Marine Engineering & Technology and the School of Nautical Studies; and not more than nine subject experts who are not employees of the University or any of its

Affiliated Institutes nominated by the Academic Council out of a panel of fifteen names proposed by the Vice Chancellor in the case of the School of Naval Architecture & Ocean Engineering and the School of Maritime Management."

2. The term of office of members other than Ex-officio members shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.

3. The Dean of the School shall be Chairman of the Board and shall convene the meeting of the Board. Where the post of Dean is vacant, the Chairman shall be nominated by the Vice Chancellor

4. The functions of the School Board shall be to recommend to the Academic Council:

(a) the courses of Under-Graduate and Post-Graduate studies, and their curricula, syllabi and regulations

(b) all matters pertaining to the equivalence/recognition of courses offered by other Universities/Institutes

(c) measures for the improvement of the standard of teaching of the Under-Graduate and Post-Graduate courses;

(d) such other functions as may be prescribed by the Ordinance.

5. Meetings of the Board shall either be ordinary or special. Ordinary meetings shall be held twice in a year of which one shall be held in the first quarter of the Academic session.

6. Special meetings may be called by the Dean on his own initiative or shall be called at the suggestions of the Vice Chancellor or on a written request from at least one fifth of the members of the Board.

7. The Quorum for a meeting of the Board shall be one third of its total membership.

8. Notice for the ordinary meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting and for the special meetings at least five days before the date fixed for the meeting.

9. Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the regulations to be framed in this regard."

Ordinance 10 of 2015

[EC 2015-30-24 dated 25-02-2015. Amended vide EC 2017-38-33 dated 28-03-2017]

"Recruitment Rules for the post of Private Secretary

1	Name of the Post	Private Secretary
2.	Number of Posts	4
3.	Classification	Secretarial Post, Group 'B'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4800.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for direct recruits	*Age: Not more than 45 years.* (Relaxable upto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	*Essential:-* *Educational & Technical Qualifications*: (i) A Bachelor's Degree. (ii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute]. (iii) Proficiency in Information & Communication Technology *Service Qualification*: From Personal Assistant or equivalent with at least 8 years of regular service. Persons working in non-Government organisations are also eligible with requisite experience. *Desirable:-* (i) Shorthand Higher/Senior Grade in English [120 words per minute].

		(ii) Typing in Hindi.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees / Deputationists/ Absorption?	**Promotion:** Age: No Educational and other Qualification: Yes **Deputation:** Age: Not more than 45 years Educational Qualification and other Qualification: Yes **Absorption**: Age: Not more than 48 years. Educational Qualification and other Qualification: Yes. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/Promotion/ Deputation/Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Skill Test in Typing. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Skill Test. (There will be no Interview). Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11.	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	**Promotion:** From Personal Assistant or equivalent with at least 8 years of regular service. **Deputation:** A person holding analogous post on regular basis (or) at least 8 years' experience as Personal Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 in any Central/ State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. **Absorption**: A Deputationist who has worked as Private Secretary satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) Registrar as Chairperson. (ii) One Campus Director nominated by the Vice Chancellor. (iii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

Ordinance 17 of 2015

[EC 2015-31-28 dated 26-06-2015. Amended vide EC 2016-37-05 dated 22.12.2016 and EC 2017-41-17 dated 21.12.2017]

Attendance Requirement for Students to appear in University Examinations and Norms for regulating Break in Studies.

1. The total contact hours in a semester for
   a) For programmes under the purview of DG(S)/STCW shall be as per the norms prescribed by DG(S)/STCW and
   b) For all other programme, it should be between 520-540 hours per semester [including both teaching and practicals].
2. Students should attend all the classes and other activities regularly and punctually.
3. Attendance shall be marked at the beginning of each class. Students coming late to any class by more than 10 minutes will be marked absent for that period.
4. Students coming to class/practicals without proper uniform (wherever uniform has been prescribed) will be marked absent.
5. Each working day is divided into two sessions, i.e. the forenoon session and the afternoon session. If a student is absent for a single lecture hour or practical class or parade or fall-in-line in a session, he shall be marked absent for the entire session, i.e. he will lose half a day's attendance.
6. All students must put in a minimum of 85% of attendance in order to appear in the end-semester examinations (Theory and Practical) of the Indian Maritime University. The cut-off date for the calculation of attendance shall be the date 15 days prior to the date of commencement of the end-semester theory paper examinations.
7. The minimum percentage of attendance should be calculated only in terms of the total working days in the semester and not in terms of classes or subject-wise.
8. A higher percentage of attendance may be required for a student who is in receipt of scholarship or other assistance.
9. Students representing the affiliated Institute/University/State/ Country in extra-curricular activity meets/competitions, sports competitions, seminars, etc., with the proper permission of the Campus Director/Principal concerned shall not be marked absent; such students shall be deemed to have attended the classes subject to a ceiling of 10% of the total working days in the semester.
10. If a student has put in less than 85% but above or equal to 75% of attendance, owing to reasons such as medical, bereavement or any other, the Campus Director/Principal is empowered to condone the shortage of attendance subject to the collection of the prescribed Condonation Fee for Attendance.
11. There will be no condonation of attendance below 75% under any circumstances whatsoever. A student who has put in less than 75% attendance will not be permitted to write the university's end-semester examination and will not be permitted to move to the next semester. It will be treated as a case of 'Break-in-Studies' and he will be required to repeat the incomplete semester in the next academic year. Before rejoining the Programme, he must pay (i) the Condonation Fee for Break in Studies as prescribed by the University, (ii) pay the Semester Fees for the concerned semester once again where he is repeating an incomplete semester, and (iii) obtain prior permission from the Vice Chancellor. No requests for ratification will be entertained.
12. However, such students are permitted to write the arrear examinations of previous semesters.
13. It shall be the responsibility of the Campus Director/Principal to send to the Controller of Examinations in the prescribed format (i) the Attendance Particulars of all the students, and (ii) the Attendance Particulars of students who are eligible for and have paid the Condonation Fee for Attendance – separately for each

Programme – at least 14 days before the commencement of the examinations or such other date as may be prescribed. Hall tickets will not be issued or the results will be withheld in respect of candidates who are required to pay but have not paid the Condonation Fee for Attendance.

14. Where a candidate withdraws on his own, for any reason, in the middle of an academic year, under written intimation to the Campus Director/Principal concerned with a copy marked to the Controller of Examinations, in order to take a 'Break in Studies', such candidate will be permitted to rejoin the same Campus/affiliated institute within a maximum period of 3 years at the beginning of the incomplete semester or at the beginning of the next semester if he had completed a semester at the time of withdrawal. Before rejoining the Programme, he must pay (i) the Condonation Fee for Break in Studies as prescribed by the University, (ii) pay the Semester Fees for the concerned semester once again where he is repeating an incomplete semester, and (iii) obtain prior permission from the Vice Chancellor. Provided however that where the IMU Campus or the affiliated institute or the concerned Programme is no longer in existence, permission will not be given to rejoin after the Break in Studies. No requests for ratification will be entertained".

Ordinance 18 of 2015

[EC 2015-31-29 dated 26-06-2015. Amended vide EC 2017-38-21 dated 28-03-2017 and EC 2017-40-15 dated 15.09.2017]

"**Semester Fees and Penalty payable by the Students of IMU Campuses**

1. The Semester Fees payable by the students of the Campuses of the Indian Maritime University shall be as prescribed by the Executive Council from time to time. The Semester Fees that will be applicable to students of IMU joining from the **academic Year 2017-18** onwards as follows:

Fees Payable by Students for various Programmes in IMU

Sl. No.	Programme	Residential/ Non Residential	Total Fees for an Academic Year (Rs.)	Fee Payable per Semester		
				Odd Semester		*Even Semester*
				Programme Fee (Rs.)	Semester Fee (Rs.)	Semester Fee (Rs.)
1.	B.Tech (Marine Engineering)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
2.	B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Residential	2,25,000/-	25,000/	1,00,000/-	1,00,000/-
3.	B.Sc.(Nautical Science)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	100,000/-	100,000/-
4.	B.Sc.(Maritime Science)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	100,000/-	100,000/-
5.	B.Sc (Ship Building and Repair)	Residential	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
6.	BBA (Logistics, Retailing and e-Commerce)	Non-Residential	1,00,000	25,000/-	25,000/-	50,000/-

7.	DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
8.	M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Residential	2,25,000/	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
9.	M.Tech (Dredging &Harbour Engineering)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
10.	M.Tech (Marine Technology & Management)	Residential	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
11.	MBA (International Transportation & Logistics	Non-Residential	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
12.	MBA (Port & Shipping Management)	Non-Residential	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
13.	M.Sc (Commercial Shipping & Logistics)	Non-Residential	1,25,000/-	25,000/-	50,000/-	50,000/-
14.	PGDME	Residential	3,50,000/-	25,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
15.	M.S. (By Research)	Non-Residential	1,75,000/-	25,000/-	1,50,000 per year	

Note: If a student of a 'Non-Residential programme' wishes to reside in an IMU Campus (subject to availability and at IMU's discretion), he will be required to pay an additional amount of Rs.60,000/- in one instalment at the beginning of the academic year.

2. The Semester Fees – depending upon the Programme - will normally include some or all of the following: Tuition Fee (inclusive of Library Fee, Laboratory Fee, Workshop Fee, Industrial Visit Fee, Extra-curricular activities Fee, Medical Fee, etc.), Mess Charges, Lodging Charges, Hair-cut Charges, Laundry Charges, cost of Uniform, cost of Books and so on. They do not include the interest free, one-time Caution Deposit of Rs.20,000/- collected at the time of admission.

3. The University reserves the right to prescribe higher Semester Fees for students admitted under the Non-Resident Indians/Persons of Indian Origin/Foreign Nationals categories.

4. The Semester fees shall be payable through State Bank of India's I-Collect or through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University.

5. For the first semester of any Programme, the full Semester Fees relating to the semester shall be collected before admitting the student. *No student shall be admitted to any Programme in any Campus unless the Semester Fees relating to the first semester have been paid in full.*

6. From the second semester *onwards*, the Semester Fees shall be due on the opening day of the semester.

7. If the Semester Fees are paid in full within 15 days of the opening day of the semester there shall be no penalty.

8. The penalty for late payment of the Semester Fees between the 16th day & the 45th day from the opening day of the semester shall be @Rs.200/- per day *even if the Semester Fees had been paid in part within 15 days*.

9. It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the full and timely collection of the Semester Fees from the students. He shall display on the Notice Board of the Department as well as the Hostel, the list of defaulters who did not pay their Semester fees in full within 15 days. He shall further give individual notices *in writing* not only to the defaulters but also their parents warning them that the defaulters' names are liable to be removed from the University rolls and that they are liable to be expelled from the hostel if they do not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full before 45 days of the opening day of the semester.

10. If any part of the Semester Fees together with the Penalty payable remains unpaid even after 45 days from the opening day of the semester, *the names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University and they shall be expelled from the hostel with effect from the 46th day.* It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the same.

11. The defaulting student may be permitted to rejoin the semester if, between the 46thand the 75th day from the opening day of the semester, he pays the Semester Fees together with the Penalty payable in full and further pays a re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/-. The student shall be solely responsible for any shortfall of attendance due to this break.

12. If the defaulting student fails to avail of even this window of opportunity and does not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full along with the re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/- within 75 days from the opening day of the semester, then the student will have to suffer a break in study and re-join the same semester in the following academic year provided he clears all the pending dues in full and after obtaining the prior permission in writing from the University.

13. The University reserves the right to initiate legal action for recovery of the pending dues from the student as well as his parents, and to withhold his original certificates until such time as the dues are fully cleared.

14. If a student after paying his Admission Registration Fee and Programme Fee does not report at the Campus to join the Programme in the first semester within the time prescribed, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration Fee and the Programme Fee under any circumstances.

15. If a student after paying his Admission Registration Fee, Programme Fee and the Semester Fees for the first semester withdraws from the University, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration fee, Programme Fee and the Semester Fees paid by him under any circumstances.

16. If a student withdraws from the University in the middle of any other semester, then he shall not be entitled to the refund of the Programme Fee and Semester Fees paid by him under any circumstances. However, the Caution deposit is refundable, on an application from the student, after deducting all the dues against him.

17. Notwithstanding what is stated above, no student shall be allowed to appear in the end-semester examination unless he has cleared all his dues, paid the prescribed Examination Fee, and produced a 'No dues' certificate."

Ordinance 19 of 2015

[EC 2015-31-30 dated 26-06-2015. Amended vide EC 2016-34-18 dated 23-05-2016 & EC 2017-38-23 dated 28-03-2017]

"Fees and Remunerations for Examinations, Convocation and various other purposes

Sl. No.	Particulars	Proposed Rs.
A) CET/CRT related fees		
(i)	Online CET for UG/PG Programmes for General Students	Rs. 1,000
(ii)	Online CET for UG/PG Programmes for SC/ST Students	Rs. 700
(iii)	Online CET for Ph.D Programmes for General Students	Rs. 1,500

(iv)	Online CET for Ph.D Programmes for SC/ST Students	Rs. 1,000
(v)	Online CRT for recruitments to Group 'A' posts for General candidates	Rs. 1,500
(vi)	Online CRT for recruitments to Group 'A' posts for SC/ST candidates	Rs. 1,000
(vii)	Online CRT for recruitments to non-Group 'A' posts for General candidates	Rs. 1,200
(viii)	Online CRT for recruitment to non-Group 'A' posts for SC/ST candidate	Rs. 800
(ix)	Online Registration Fee for candidates seeking admission to the BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce) Programme for General Students.	Rs. 200
(x)	Online Registration Fee for candidates seeking admission to the BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce) Programme for SC/ST Students.	Rs. 140
B) Examination and other related fees		
1) Under Graduate Courses (Semester and Non-Semester system)		
(i)	Each written paper	Rs. 300 Rs. 500 (for arrears) paper)
(ii)	Each practical – 3 hours	Rs. 200 Rs. 300 (for arrears) paper)
(iii)	Project work	Rs. 500
2) Post Graduate Courses		
(i)	Each written paper	Rs. 400 Rs. 500 (for arrears) paper)
(ii)	Each practical	Rs. 200 Rs. 300 (for arrears). paper)
(iii)	Dissertation/Project	Rs. 500
(iv)	Viva voce	Rs. 250
3) Ph.D Courses		
(i)	Annual fee for Full-time Ph.D Scholars	
	For the first 3 years	Rs. 30,000
	For extension to 4th and 5th years by Doctoral Committee	Rs. 40,000
	For extension to 6th year by the Vice Chancellor	Rs. 50,000
(ii)	Annual fee for Part-time Ph.D Scholars	
	For the first 4 years	Rs. 60,000
	For extension to 5th and 6th years by Doctoral Committee	Rs. 75,000
	For extension to 7th year by the Vice Chancellor	Rs. 1,00,000
(iii)	Pre-Synopsis Seminar presentation fee	Rs. 10,000
(iv)	Synopsis submission fee	Rs. 10,000.
(v)	Thesis submission fee	Rs. 30,000.
(vi)	Viva Voce fee	Rs. 20,000.

A Ph.D candidate who fails to submit his thesis within the maximum allowable period and who is required to re-register afresh will have to pay all the fees from (i) onwards all over again.		
4) Diploma Courses		
Each written/ practical paper		Rs. 200 Rs. 300 (Arrear)
5) Certificate Courses		
Each written paper		Rs. 150 Rs. 200 (for arrear paper)
C) Other fees related to Examinations		
(i)	For obtaining Photo copy of Answer Script	Rs. 80
(ii)	For checking the addition of the marks in each paper of a candidate for any University exam (for each paper) - Re-totaling	Rs. 250
(iii)	Revaluation fee per paper	Rs. 500
(iv)	For issuing statement of marks for each examination each appearance	Rs. 150
(v)	For issue of duplicate statement of marks for each examination each appearance	Rs. 200 + Rs.100 search fee for each previous year
(vi)	Consolidated statement of marks	Rs. 500
(vii)	Provisional Certificate	Rs. 250
(viii)	Duplicate Provisional certificate	Rs. 500
(ix)	Transcript fee	
	- One copy	Rs. 1000
	- Every additional copy	Rs. 500
D) Convocation and other related fees		
(i)	Under Graduate degrees	
	- In person	Rs. 500
	- In absentia	Rs. 500
(ii)	Post Graduate degrees	
	- In person	Rs. 1,000
	- In absentia	Rs. 1,000
(iii)	Ph.D.	
	- In person	Rs. 2,000
	- In absentia	Rs. 2,000
(iv)	Any other degree/diploma/certificate	
	- In person	Rs. 500
	- In absentia	Rs. 500
(v)	Duplicate Degree	Convocation fee + Rs.100 search fee for each previous year
E) Admission Registration/Counselling Fee and Programme Fee		
(i)	One-time Admission Registration / Counselling fee, payable at the time of Admission by all new students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management / sponsored candidates,	Rs. 10,000

	those who get admission into 2nd year by Lateral Entry, and Ph.D candidates.	
(ii)	Programme Fee, payable every year by all U.G and P.G students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management / sponsored candidates and those who get admission into 2nd year by Lateral Entry.	Rs. 25,000.
F) Other fees		
i)	Condonation Fee for Shortage of Attendance	Rs. 5,000 for students maintaining attendance equal to or above 80% but below 85% and Rs. 10,000 for students maintaining attendance equal to or above 75% but below 80%.
(ii)	Condonation Fee for Break-in-Studies	Rs. 2000 for break of 1 year; Rs. 5000 for break of 2 years and Rs. 9000 for break of 3 years.
(iii)	Fees for effecting change of names or date of birth of Candidates in the Records of the University and in Certificate/Diplomas	Rs. 500
(iv)	For obtaining a Migration Certificate	Rs. 200
(v)	For obtaining duplicate Migration certificate	Rs. 300
(vi)	Request for verification of genuineness of certificate	Rs. 1000
G) Remuneration for Question Paper setters and related activities		
(i)	Question Paper Setting	
	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
(ii)	Preparation of Answer Key	
	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
H) Remuneration for examination duties		
(i)	Flying Squad	Rs. 1,500 per day.
(ii)	Chief Superintendent	Rs. 1500*
(iii)	Observer [Group A]	Rs. 1500* per day.
(iv)	Observer [Group B & C]	Rs. 1250* per day.
(v)	Invigilation/Hall Superintendent (per session) - for every 25 students.	Rs. 500 per session.
(vi)	Supporting Clerical – for every 100 students.	Rs. 200 per day.
(vii)	Attender – for every 100 students.	Rs. 100 per day.
(viii)	Remuneration for evaluation of Practical Exams (incl. Record & Viva).	Rs. 15 per student - each for internal and external Examiners.
(ix)	Remuneration to Examiners for Thesis/Dissertation and Viva Voce for PG Courses.	Rs. 150 per student for Dissertation and Rs. 50 per student for Viva Voce - each for internal and external Examiners.

I) Remuneration for Evaluation and Related duties		
(i)	Coordinators / Chairman	Rs. 1000 per day (subject to maximum of Rs.5000 per semester).
(ii)	Evaluation Remuneration	Rs. 50 per answer script (subject to a ceiling of 25 answer scripts per session or 50 answer scripts per day).
(iii)	Supporting Clerical staff	Rs. 200 per day.
(iv)	Attender	Rs. 100 per day.
J) Remuneration to be paid to Guides, Co-Guides, IMU Faculty Members, Experts and Examiners engaged for the Ph.D programmes		
(1)	**Doctoral Committee**	
(i)	Guide (Indian)	Rs. 5,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 5,000 after completion of Viva Voce.
(ii)	Co-Guide (Indian)	Rs. 4,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 4,000 after completion of Viva Voce.
(iii)	Guide or Co-Guide (Foreign)	As mutually agreed.
(iv)	IMU Faculty member (other than Guide or Co-Guide) on the Doctoral Committee	Rs. 3,000 after submission of Synopsis; another Rs. 3,000 after completion of Viva Voce.
(v)	Experts outside IMU on the Doctoral Committee	Rs. 2,500 per sitting.
(2)	**Thesis Adjudication**	
(i)	External Examiner (Indian)	Rs. 5,000.
(ii)	External Examiner (Foreign)	US $500.
(3)	**Viva Voce Examiner (Indian)**	Rs. 2,500

(*) If the number of students appearing in a particular Examination Centre is less than 10, then the Remuneration payable will stand reduced by 50%.

Ordinance 28 of 2015

[EC 2015-31-36 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Campus Director

1.	Name of Post	Campus Director
2.	Classification	**Academic Post**
3.	Scale of Pay	Pay Band 4 Rs.37400- 67000 with AGP Rs.10,000
4.	Whether selection post or non-selection post	Selection Post Internal Candidates selected under the direct recruitment will return to the substantive post on completion of specified tenure.

5.	Age limit	Not exceeding 62 years
6.	Educational and other qualifications required for direct recruitment/ deputation	Category 1: Academics 1. Candidate qualified to be appointed as a Professor in any of the School(s) in IMU. 2. However, the applicable age limit shall be 62 years. Category 2: Research Organisations 1. Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. 2. Ph.D in Engineering. 3. Candidate should have at least ten years' experience of which at least 5 years should be in the rank of Scientist F or equivalent in Research Organisation **or** In the rank of Scientist G or equivalent in Research Organisation Desirable: Evidence of publications in peer reviewed journals. Category 3: Mariners 1. Directorate General (Shipping) recognised MEO Class I/Master Mariner (FG) with 2 years sailing experience at Management level within the meaning of STCW convention in force; 2. At least 20 years total work experience in shipping industry (sailing, on-shore, academics, classification society, and other related fields). For the purpose of calculation of total work experience, the sailing experience shall be multiplied by a factor of two. **[OR]** At least 10 years of sailing experience which includes 2 years sailing experience at Management level referred to in clause 1 above Desirable: a. Evidence of publications in peer reviewed journals b. Extra Masters or Extra First Class or PGDMOM obtained prior to 2014 or Ph.D Category 4: Naval Officers 1. Serving/Retired Naval officer with 5 years of experience in the rank of Commodore or equivalent/above and with experience in navigation/marine or electrical engineering/naval architecture branches. Desirable a. Evidence of publications in peer reviewed journals b. Experience in Navy Training Institutes/Headquarters.
7.	Age of Superannuation	65 years
8.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Deputation / Direct Recruitment If by Deputation, the age and educational qualifications as applicable to Direct Recruits would apply. If by Deputation, the candidate must be in a position to complete at least one full term of 3 years before his superannuation in his parent department/agency.

9.	Selection Committee	The Selection Committee for appointment to the posts of Campus Directors shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) Two members of the Executive Council nominated by it. (v) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
10.	Remarks	a. Appointment to the post of Campus Director will be made for a tenure of 3 years initially. b. Eligible for 2 extensions up to 3 years at a time subject to satisfactory performance reviewed by a committee constituted as per Clause 9 above. c. Even though a Campus Director may be initially appointed to a particular Campus, he shall be liable for transfer to any other Campus within India. d. If an employee of an erstwhile legacy institute is appointed as Campus Director, the relevant age of superannuation will apply. e. In case of deputationists, the age of superannuation in the relevant parent organization will apply. f. For direct recruits to IMU, the age of superannuation shall be sixty five years. g. The tenure of appointment indicated in (a) and (b) above will be subject to the age of superannuation specified in (d) to (f) above. h. Sailing experience is to be reckoned from the entries based on sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. For eligibility purposes in clause 6.3.2(a), the sailing duration as per CDC entries will be multiplied by 2. For example, 6 months of total sailing duration as per CDC entries will be counted as 12 months (6x2) of service for calculating overall service. i. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. j. The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. k. The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee. l. Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable.

Ordinance 34 of 2015

[EC 2015-31-42 dated 26-06-2015. Amended vide EC 2016-36-28 dated 28-09-2016 and EC 2017-38-31 dated 28-03-2017]

"Ordinance prescribing the Recruitment Rules for the post of Registrar

1.	Name of the post	Registrar
2.	Number of Posts	1

3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band 4 - Rs. 37400-67000 with GP of Rs. 10000
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Selection post
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 57 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Registrar	*Category 1: From Professors or Scientist G* (a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales; (b) At least a Professor or Scientist G in any Central or State University/ IIT/ NIT/IIM/ Research Organisation or equivalent. [OR] *Category 2: From University Officers* (a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales; (b) As Registrar or Controller of Examinations in any Central or State University/IIT/NIT/IIM (or) as an officer with at least 15 years' administrative experience in the institutions specified above as Assistant Registrar/Deputy Registrar out of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar. [OR] *Category 3: From Major Ports or PSUs* *"From Major Ports or PSUs* (a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales; (b) An officer who is working as Traffic Manager or Chief Engineer or Chief mechanical Engineer or Deputy Conservator in any Major Port (or) a person working as Senior Executive (E-7 level or above) in a Central Public Sector Enterprise or in an equivalent rank in a State PSU. [OR] *Category 4: From Mariners* (a) Master (Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; (b) Sailing experience of minimum of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above]; (ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;

		(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society; (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company. [OR] *Category 5: From Group A officers of Central / State Governments* Serving or retired Group A officer of Central/State Governments not below the rank of Additional Secretary in State Governments or Director in Central Government.
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	*Age limit*: Yes. *Educational qualifications*: Yes, except in the case of Category 5.
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only.
10.	Method of recruitment.	Direct Recruitment [or] Deputation of a person holding an analogous post on regular basis.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	Selection Committee will consist of: (a) The Vice-Chancellor as Chairperson. (b) Two members of the Executive Council nominated by it. (c) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (d) One person nominated by the Visitor. (e) One person nominated by the Court.
12.	Remarks	1. Appointment to the post of Registrar will be for a tenure of 5 years initially. Eligible for only one extension up to a maximum of 5 years subject to satisfactory performance. 2. Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years. 3. A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) at the Master's Degree level will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. 5. IMU's decision as to whether a post is equivalent or not is final. 6. If a candidate's experience spans more than one Category/sub-Category, the same will be added to arrive at his eligibility.

Ordinance 80 of 2015

[EC 2015-33-27 dated 23-12-2015. Amended vide EC 2016-36-18 dated 28-09-2016 and EC 2017-38-22 dated 28-03-2017]

"Performance-based Reward for students of IMU Campuses

1. The 'Performance-based Reward' Scheme is applicable to students of IMU Campuses only, and is aimed at motivating the students to continue to perform meritoriously from semester to semester; to maintain discipline and good conduct; and to reduce the bank loan burden of meritorious students.
2. As it is a reward, it will be based purely on *academic performance* and will *not* be linked to economic means.
3. As it is a reward for pure merit, it will not be a bar to a student getting any scholarship/freeship/studentship/ fellowship, etc. from any other source.
4. It will be *for a semester only,* based on the academic performance in the immediate previous semester examination. It follows that the reward will not be given in the first semester of any programme; it will be given from the second semester onwards.
5. It will apply only to UG and PG *Degree* programmes of duration 2 years or more. Thus 1-year Diploma programmes Diploma in Nautical Science (DNS) and Post Graduate Diploma in Marine Engineering (PGDME) will not be covered by it.
6. To be eligible for this reward, the student must have secured at least 75% marks overall in the immediate previous semester examination.
7. At the time of grant, the student should not have any arrear papers relating to the immediate previous semester examination or the earlier semester examinations.
8. Any student who has suffered any punishment for ragging or examination malpractices or has indulged in any act of gross indiscipline or misconduct, shall be permanently ineligible for this reward. A 'NOC' from the Campus Directors shall be obtained in this regard.
9. Based on the results of the immediate previous semester examination, the *top rankers* in each batch in all UG as well as PG Degree Programmes will get a 'Performance-based Reward' of Rs.1 lakh per head.
10. Provided however that in respect of BBA (Logistics, Retailing & E-Commerce), M.Sc (Commercial Shipping & Logistics) and M.Tech (Marine Technology & Management), the *top rankers* in each batch will get a 'Performance-based Reward' of Rs.40,000/- , Rs.50,000/- and Rs.1 lakh respectively per head.
11. The total number of candidates in the order of merit who will get a 'Performance-based Reward' of Rs.75,000/- per head in each batch in each programme, and who will get a 'Performance-based Reward' of Rs.50,000/- per head in each batch in each programme, will be as per the Table below:

Table - 1

Sl. No.	*Name of the Programme*	*Duration (Years)*	*No. of Semesters for which Performance-based Reward will be given*	*Total No. of Students who will be given* ***Rs.75,000/-*** *Performance-based Reward in each Batch*	*Total No. of Students who will be given* ***Rs.50,000/-*** *Performance-based Reward in each Batch*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UG Programmes					
1	B.Tech (Marine Engineering)	4	7	30	30
2	B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	4	7	4	4
3	B.Sc (Nautical Science)	3	5	16	16
4	B.Sc (Maritime Science)	3	5	2	2

5	B.Sc (Ship Building and Repair)	3	5	2	2
Total				54	54
PG Programmes					
1	M.Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering) and M.Tech (Dredging & Harbour Engineering)	2	3	2	2
2	MBA (Port and Shipping Management) and MBA (International Transportation and Logistics)	2	3	7	7
Total				9	9
Grand Total				63	63

12. Provided however that in respect of BBA (Logistics, Retailing & E-Commerce), M.Sc (Commercial Shipping & Logistics) and M.Tech (Marine Technology & Management), the total number of candidates in the order of merit (other than 'toppers') who will get 'Performance-based Rewards' in each batch in each programme and the amount of reward per head, will be as per the Table below:

Table - 2

Sl. No.	*Name of the Programme*	*Duration (Years)*	*No. of Semesters for which Performance-based Reward will be given*	*Rewards for 'other than Toppers'*			
				Number	*Amount (Rs.)*	*Number*	*Amount (Rs.)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce)	3	5	3	30,000	3	20,000
2.	M.Sc (Commercial Shipping & Logistics)	2	3	1	37,500	1	25,000
3.	M.Tech (Marine Technology & Management)	2	3	1	75,000	1	50,000

13. For all the three types of 'Performance-based Rewards', the two MBA programmes in Table 1, which have a large number of common papers, will be treated as a single 'programme'; so also the two M.Tech programmes in Table 1.

14. For determining the 'toppers' and the other rewardees, the University as a whole shall be treated as the unit; not the individual Campuses.

15. In the event of a 'tie' for 'topper', all the students will get the reward. In the event of a 'tie' for the other 2 types of Performance-based Reward, the 'tie' shall be resolved by arranging the students in the descending order of the *total external examination marks for Theory papers* of the particular semester. If there is still a 'tie' the same shall be resolved by arranging the students in the descending order of *percentage of attendance* for that semester.

16. The student is not entitled to set off his eligible 'Performance-based Reward amount' against his semester fees and other dues payable to IMU. However IMU reserves the right to recover any of its dues from the student out of his 'Performance-based reward'."

Ordinance 07 of 2017

[EC 2017-38-20 dated 28.03.2017]

"Ordinance Governing the Control and Appeal of the

Employees of the University

PART – I GENERAL

1. (1) This Ordinance replaces "Chapter 3 - Ordinances Governing the Control and Appeal of the Employees of the University" that was notified in the Official Gazette No. 76 on 12.05.2009.

(2) It shall be deemed to have come into force from 14th November 2008.

2. In this Ordinance unless the context otherwise requires:-

(a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointments.

(b) "Disciplinary Authority" in relation to the imposition of penalty on an employee means the authority as such competent under this Ordinance to impose on him any of the penalties specified in para 6.

(c) "Employee" means any teacher or non-teaching staff of the University who has been appointed by the University or who stood transferred to the University by virtue of Section 49 of the IMU Act 2008 and includes deputationists of the University.

3. This Ordinance shall apply to all the employees of the University except persons on daily wages/consolidated pay.

If any doubt arises as to whether this Ordinance applies to any person, the matter shall be referred to the Executive Council which shall decide the same.

4. Nothing in this Ordinance shall operate to deprive any employee of any right or privilege to which he is entitled by the terms of any agreement subsisting between any such person and the University on the commencement of this Ordinance.

"**PART – II SUSPENSION**

5. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered by the Executive Council in that behalf may place an employee under suspension –

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial:

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

Note: The Registrar shall be the competent authority to suspend non-teaching employees of Group 'B' and Group 'C'; the Vice Chancellor shall be the competent authority to suspend teaching as well as non-teaching employees of Group 'A'; while the suspension of the Pro-Vice Chancellor, Registrar, Controller of Examinations, Finance Officer and Campus Directors shall be done by the Executive Council.

(2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority:-

(a) with effect from the date of this detention if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours.

(b) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation: The period of forty-eight hours referred to in para 5(2)(b) shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service, imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under this Ordinance and the case is remitted for further enquiry or action or with any direction, the orders of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date for the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold further enquiry against him on the allegation which the penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders:

Provided that no such further enquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(d) An order of suspension made or deemed to have been made shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before the expiry of one hundred and eighty days from the effective date of suspension and pass orders either extending or revoking the suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under para 5(2), if the employee continues to be under suspension at the time of completion of one hundred and eighty days of suspension and the one hundred eighty days period in such case will count from the date the employee detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later.

PART – III PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

6. The following penalties may for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee namely:-

Minor Penalties

(i) Censure
(ii) Withholding of promotion
(iii) Recovery from the pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the University by negligence or breach of laws of the University or directions of superior authorities.

(iv) Withholding of increments of pay. Provided that where such an order cannot be given effect to for any reason, the monetary value equivalent to the amount of increments ordered to be withheld can be recovered from pay to the extent necessary.

Major Penalties

(v) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay.

(vi) Reduction to a lower time-scale of pay, grade or post or service shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time-scale of pay grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which such reduction has been made.

(vii) Compulsory retirement

(viii) Removal from service.

(ix) Dismissal from service

Explanation: The following shall not amount to a penalty within the meaning of this para, namely:-

(a) Stoppage of an employee at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar.

(b) Non promotion of an employee whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case for promotion to a grade or post to which the employee is eligible;

(c) Reversion of an employee appointed on probation to any other grade or post, to his permanent grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the laws and orders governing such probation.

(d) Reversion of an employee officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, on the ground that the employee is considered to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with the conduct.

(e) Replacement of the services of an employee, whose services had been borrowed from outside authority, at the disposal of such authority.

(f) Compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement.

(g) Termination of the services :-

i. of an employee appointed on probation during or at the end of the period of his probation on grounds of unsatisfactory performance or gross indiscipline or grave misconduct; or

ii. of a temporary employee in accordance with the terms of appointment; or

iii. of an employee employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

7. (1) The Executive Council may impose any of the penalties specified in para 6 on any employee except the imposition of a Major Penalty on a deputationist or a deemed deputationist which must be referred to the concerned appointing authority.

(2) The Vice-Chancellor may impose on any employee any of the Minor Penalties specified in clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of para 6.

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(3) The Registrar may impose on any non-teaching employee of Group 'B' or Group 'C' any of the Minor Penalties specified in clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of para 6.

Provided that an appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any penalty.

8. (1) The Executive Council or any other authority empowered by it by general or special order may –

(a) Institute disciplinary proceedings against any employee;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under this Ordinance any of the penalties specified in para 6.

(2) A disciplinary authority competent under this Ordinance to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of para 6 may institute disciplinary proceedings against any employee for the imposition of any of the penalties specified in clause (v) to (ix) of para 6 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under those rules to impose any of the latter penalties, and shall make a report to the Executive Council along with its recommendations."

PART – IV PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

9. (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 shall be made except after an enquiry held as may be, in the manner provided in this para and para 11.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for enquiry into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against any employee. It may itself enquire into, or appoint under this para an authority to enquire into the truth thereof.

Explanation: Where the disciplinary authority itself holds the enquiry, any reference in sub-para (7) to sub-para (20) (22) to the enquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an enquiry against an employee under this para and para 11, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up:

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge which shall contain:

(a) A statement of all relevant facts including any admission or confessions made by the employee.

(b) A list of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained, and shall require the employee to submit within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5)(a) On receipt of the written statement of defence the disciplinary authority may itself enquire into such of the articles of charge as are not admitted, or if it considers it necessary to do so, appoint under sub-para (2) an Inquiring authority for the purpose and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Para 10.

(b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-para (2) an Inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an Inquiring authority for holding an Inquiry into such charge, it may by an order, appoint an employee to be known as the "presenting officer" to present on its behalf the case in support to the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority forward to the Inquiring authority.

(i) a copy of the articles of charge and statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub para (3);

(i) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-para (3) to them;
(ii) a copy of the order appointing the Presenting Officer.

(7) The employee shall appear in person before the enquiring authority on such day and at such time within fifteen working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour as the Inquiring authority may, by a notice in writing specify in this behalf, or within such further time, not exceeding fifteen days, as the inquiring authority may allow.

(8) The employee may take the assistance of any other employee to present the case on his behalf but shall not engage a legal practitioner for the purpose.

(9) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence, appears before the Inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead guilty, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that employee may for the purpose of preparing his evidence;

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-para (3)

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf.

Note: If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statement of witnesses mentioned in the list referred to in sub-para (2) the inquiring authority shall furnish to the employee with such copies as early as possible and in any case not less than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

(iii) Give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as an inquiring authority may allow, the production of any documents which are in possession of the University but not mentioned, in the list referred to in sub-para 3.

Note: The employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be produced by the University.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the production of documents forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition.

Provided that, the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case or not in the best interests of the University.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-para (12) every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that, if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents could be against the public interest of the University, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicated the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witness shall be examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross examined. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, may in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee, or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witnesses and in such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for at least three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice.

Note:New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case of the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in the own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority.

(18) The inquiring authority may, after the employee closes his case, and shall if the employee has not examined himself generally question him on the circumstances appearing against the employee in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the employee to whom the copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of the defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this para, the inquiring authority may hold the inquiry *ex-parte*.

(21) (a)Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of para 6 but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of the para has itself enquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 should be imposed on the employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with this Ordinance.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by itself.

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as herein before provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, report shall be prepared and it shall contain –

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the employee in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge.

(d) the findings on each article of charge and reasons therefor.

Explanation:

If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of the charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such articles of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include –

(a) The report prepared by it under clause (i)

(b) The written statement of defence, if any submitted by the employee;

(c) The oral and documentary evidence produced in the course of the enquiry.

(d) Written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry and

(e) The order, if any made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

10. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of para 9 as far as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clause (i) to (iv) of para 6 should be imposed on the employee, it shall notwithstanding anything contained in para 11, make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 should be imposed on the University employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the University employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

11. (1) Subject to the provision of sub-para (3) of para 10, no order imposing on an employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of para 6 shall be made except after –

(a) informing the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-paras (3) to (23) of para 9 in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary.

(c) Taking the representation if any, submitted by the employee under clause (a) and the record of inquiry, if any, held, under clause (b) into consideration, and

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour;

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-para (1) if in a case it is proposed, after considering the representation, if any, made by the employee under clause (a) of that sub-para to withhold increments of pay

and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-para (3) to (23) of para 9, before making any order imposing on the employee any such penalty.

(3) The record of the proceedings in such cases shall include –

(a) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him;

(b) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(c) his representation, if any,

(d) the evidence produced during inquiry;

(e) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(f) the orders on the case together with the reasons thereof.

12. Orders passed by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings, on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him.

13. (1) Where two or more employees are concerned in any case, the Executive Council or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

(2) Subject to the provisions of sub-para (2) of para 7 any such order shall specify

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings;

(ii) the penalties specified in para 6 such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in para 9 and para 10 or para 11 shall be followed in the proceedings

14. Notwithstanding anything contained in para 9 to para 13 –

(1) where any penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has led to this conviction on a criminal charge, or

(2) where the disciplinary authority is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in this Ordinance the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

15. (1) Where the services of an employee are lent to an outside authority (hereinafter in this para referred to as the 'borrowing authority') the borrowing authority shall have the power of the appointing authority for the purpose of placing such employee under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceedings against him;

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the University which lent the services of the employee of the circumstances leads to the order of suspension of such employee or the commencement of disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against an employee

(i) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of para 6 should be imposed on the employee, it may after consultation with the University, make such orders on the case as it deems necessary;

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the University, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the University.

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 should be imposed on the employee it shall replace his services at the disposal of the University and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the University may pass such orders thereon as it may deem necessary;

Provided that, before passing any such order, the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-para (3) and (4) of para 10.

Explanation : The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with para 9.

16. (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an employee whose services have been borrowed from an outside authority lending his services (herein after in this para referred to as "the lending authority"), the lending authority shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of the suspension of the employee or of the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) If, in the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the employee, the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of para 6 should be imposed on him, it may, subject to the provisions of sub-para (3) of para 10, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary:

(i) Provided that in the event of a difference of opinion between the University and the lending authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority for further action. Provided further that this shall not be applicable to the case of deemed deputationists who stood transferred permanently to the University under Section 49(i) of the IMU Act 2008. In the case of deemed deputationists, in the event of a difference of opinion between the University and the Director-General of Shipping, the matter shall be referred to the Ministry of Shipping whose decision shall be final.

(ii) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 should be imposed on the employee it shall transmit the proceedings of the inquiry to the lending authority for such action as it may deem necessary.

PART – V APPEAL

17. Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against –

(i) any order made by the Executive Council ;

(ii) any order of an interlocutory nature other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under para 9.

18. Subject to the provisions of para 17, an employee may prefer and appeal against all or any of the following orders, namely :-

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under para 5.

(ii) an order imposing any of the penalties specified in para 6 whether made by the disciplinary authority or by an appellate authority;

(iii) an order enhancing any penalty imposed under para 6;

(iv) an order which -

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service, as regulated by rules or by agreement; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement;

(v) An order –

(a) stopping him at the efficiency bar in the-time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the paras;

(c) reverting him, while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post otherwise than as a penalty;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowances;

i. for the period of suspension ; or

ii. for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post, or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement, or reduction to a lower grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purposes.

Explanation: In this para, the expression 'employee' includes a person who has ceased to be in the service of the University.

The expression 'pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefits.

19. (1) An employee, including a person who has ceased to be in the service of the University, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in para 18 to the Executive Council or the Appointing Authority concerned.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-para (1) –

(a) An appeal against an order in common proceeding held under para 13 will lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purposes of that proceeding is immediately subordinate.

(b) Where the person who made the order appealed against becomes by virtue, of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

20. No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of sixty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

21. (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records, to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

22.(1)In the case of an appeal against an order of suspension the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of para 5 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in para 6 or enhancing any penalty impose under the said para the appellate authority shall consider-

(a) Whether the procedure laid down in this Ordinance has been complied with:

(b) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) Whether the penalty or the enhanced penalty impose is adequate or inadequate, or severe and pass orders-

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that –

(i) if such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 and an inquiry under para 9 has not already been held in the case, the appellate authority shall subject to the provisions of para 14 itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of para 9 and thereafter on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of sub-para (4) of para 10 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit.

(ii) No order imposing an enhanced penalty shall be made in any case unless the appellant has been given a reasonable opportunity as far as may be, in accordance with the provisions of para 11 of making a representation against such enhanced penalty.

(iii) In an appeal against any other order specified in para 18, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

23. The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

PART – VI REVISION AND REVIEW

24. (A) (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance:-

(i) The Executive Council; or

(ii) The appellate authority, within six months of the date of the orders proposed to be revised, may, at any time, either on its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under this Ordinance from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred and may –

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by a revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of para 6 or enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in para 9 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the enquiry.

(2) No proceeding for revision be commenced until after –

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under this Ordinance.

(B) (1) Subject to other provisions of this Ordinance, the Executive Council has the power to review any order made by it if the order is found to contain any mistake of fact or mistake of law or arithmetical mistake or clerical mistake or any other mistake apparent on the face of the record. Such a review may be done only once, and on the basis of a petition filed by the affected party within thirty days from the date of receipt of the order.

(2) The power to review must be exercised only in the rarest of rare cases, and only after the Executive Council is satisfied that the material error has resulted in a wrong order. There shall be no reopening of the case except for a reconsideration of its previous decision by the Executive Council based on the records already available and in the light of the points raised in the review petition.

PART VII MISCELLANEOUS

25. Every order, notice and other process made or issued under this Ordinance shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post and/or e-mail and such mode of delivery shall be deemed to be a proper service.

26. Save as otherwise expressly provided in this Ordinance, the authority competent under this Ordinance to make an order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in this Ordinance or condone any delay.

27. If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of this Ordinance, the matter shall be referred to the Executive Council which shall decide the same and its decision shall be final."

Note: *The Notification published at Chapter 3 of the Ordinances Governing Administrative Matters of Gazette of India No. 76, dated 12th May 2009 is hereby repealed.*

Ordinance 08 of 2017

[EC 2017-38-32 dated 28.03.2017]

Recruitment Rules for the post of Pro-Vice Chancellor

(1)	Name of post	Pro-Vice Chancellor
(2)	No. of posts	1 (at IMU Headquarters, Chennai)
(3)	Classification	Group A
(4)	Scale of Pay	Of a Professor of a Central University. [currently Pay Band of Rs.37400-67000 with AGP of Rs.10,000/12,000]. [with the approval of the Visitor].
(5)	Whether Selection post or Non- selection post	Selection Post
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 60 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Should be a Professor in IMU or qualified to be appointed as a Professor in any one of the Schools of Studies in IMU.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Yes.
(9)	Method of Recruitment	By Direct Recruitment [or] by Lateral Transfer [or] by

		Deputation of a person holding an analogous post on regular basis.
(10)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	Not applicable. As per Statute 4(1), the Pro-Vice Chancellor is appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice Chancellor.
(11)	Term of office	Such as may be decided by the Executive Council but it shall not in any case exceed 5 years or until the expiration of the term of office of the Vice Chancellor, whichever is earlier. Provided that a Pro-Vice Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for reappointment. Provided further that in any case, a Pro-Vice Chancellor shall retire on attaining the age of 65 years. Provided also that the Pro-Vice Chancellor shall while discharging the duties of the Vice Chancellor under clause (6) of Statute 2, continue in office notwithstanding the expiration of his term of office as Pro-Vice Chancellor, until a new Vice Chancellor or the Vice Chancellor as the case may be assumes office.

Ordinance 09 of 2017

[EC 2017-39-04 dated 14-06-2017]

"**Ordinance prescribing the Procedure to be followed by**

Selection Committee in making recommendations

1. *Composition*: The composition of the Selection Committees for recruitment to a particular post shall be as prescribed in Statute 21(2) or as per the Ordinance prescribing the Recruitment Rules for that post.

2. *Tenure of Nominees in the Selection Committee*: The tenure of the nominees to the Selection Committees shall be for a period of 3 years.

3. *Convening a Meeting:* The meeting of a Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor or in his absence by the Pro-Vice-Chancellor [as per Statute 21(4)].

4. *Notice for the Meeting:* The Registrar shall issue a notice of the meeting to all the members of the Selection Committee by giving at least seven days' time ordinarily.

5. *Venue of the Meeting*: The Selection Committee for various posts shall ordinarily meet at IMU Headquarters in Chennai or at any of its Campuses. In special cases, at the discretion of the Vice Chancellor, the Selection Committee may meet at any other place in India or abroad.

6. *Presiding at the Meeting:* The Vice-Chancellor, or in his absence, the Pro-Vice-Chancellor shall preside at the meetings of a Selection Committee [as per Statute 21(3)].

7. *Quorum:*

   a. A meeting of Selection Committee shall be held valid only if either Vice Chancellor or the Pro-Vice Chancellor is present.

   b. For the posts mentioned in the Statute 21(2), the proceedings of the Selection Committee shall not be held valid unless:

      i. Where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and

      ii. Where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.

c. For all other posts, the Quorum shall be N-2, where N is the number of members in the Selection Committee for that particular post.

8. *Shortlisting of Applications*:

a. Scrutiny of applications shall be done by a 'Screening Committee' appointed by the Vice Chancellor. Shortlisting of candidates shall be done as per the Ordinance Prescribing the Recruitment Rules for the particular post.

b. In cases where large number of candidates have to be called for Personal Interview, the 'Screening Committee' as defined in Para 8(a) above shall be authorized to use a fair method to shortlist candidates based on their academic performance and/or work experience and/or any other criteria as he may deem fit.

c. The decision of the Vice Chancellor regarding the eligibility of a candidate to a particular post shall be final.

9. *Evaluation and Recommendation of Names*:

a. The Selection Committee may devise a fair, rational and objective method to evaluate a candidate's academic profile, work experience and/or his performance in the Written Test and/or Presentation and/or Personal Interview for making recommendations to the Executive Council.

b. In case of deserving candidates, the Screening Committee may recommend to the Executive Council for providing upto 5 increments to such candidates

c. The Minutes of the meeting of the Selection Committee shall be placed before the Executive Council for its consideration and recommendation.

d. Appointment orders shall be issued only after the approval of the Executive Council. Such approvals may also be taken in-circulation, if situation warrants.

e. The Selection Committee may also recommend suitable number of names to be placed in the waiting list in the order of merit. In case, any of the person(s) in the main list declines to join, appointment order may be issued to be next person(s) in the waiting list, which shall be valid for one year from date of the approval of the Executive Council.

10. The Vice Chancellor shall have the power to lay down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Statute or in this Ordinance."

Ordinance 10 of 2017

[EC 2017-39-09 dated 14-06-2017]

"**Ordinance prescribing the Roles, Duties, and Responsibilities**

of the various Authorities responsible for conduct

of the University Examination

1. *Authorities*: The authorities for the conduct of the University Examinations shall be as follows:

a. Question Paper Setters
b. Moderators
c. Zonal Coordinators
d. Evaluators
e. Chief Superintendents
f. Invigilators
g. Observers
h. Flying Squads

2. *Appointments, Roles and Responsibilities of the various authorities*:

a. Question Paper Setters

i. The Question Paper Setters shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. Any person who is working as a permanent/contract/visiting Faculty in any of the IMU Campuses or from among the top 5 ranked Affiliated Institutes atleast for a semester, shall be eligible to be appointed as a Question Paper Setters.

iii. The 'Question Paper Setter' will be responsible for setting the question papers and answer keys for the various examinations complying with the syllabus. The detailed instructions issued by the Controller of Examinations to the 'Question Paper Setter' regarding the setting of the question papers and answer keys must be strictly complied with.

b. Moderators

i. The Moderators shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. Any person who is working as a permanent/contract/visiting Faculty in any of the IMU Campuses or from among the top 5 ranked Affiliated Institutes atleast for a semester, shall be eligible to be appointed as a Moderator.

iii. The Moderator will be responsible for moderating the Question Papers and Answer Key keeping the following in mind (a)degree of difficulty, (b) Correction in language and (c) Whether marks allocated to the question commensurate with the difficulty level of the questions.

c. Zonal Coordinators

i. The evaluation shall be carried out in IMU Campuses under the supervision of a 'Zonal Coordinator'.

ii. The 'Zonal Coordinators' shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

iii. It shall be the responsibility of the Zonal Coordinator to distribute the Answer Scripts to the Evaluators and to ensure that the evaluation is done in a free and unbiased manner, and within the stipulated time. The detailed instructions issued by the Controller of Examinations to the 'Zonal Coordinator' regarding the evaluation of the question papers must be strictly complied with.

d. Evaluators

i. The Evaluators shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. Any person who is working as a permanent/contract/visiting Faculty in any of the IMU Campuses or from among the top 5 ranked Affiliated Institutes atleast for a semester, shall be eligible to be appointed as an Evaluator.

iii. The Evaluators will be responsible for the fair evaluation of the Answer Scripts.

e. Chief Superintendents

i. The Chief Superintendents shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. The 'Chief Superintendent' shall generally be any Associate Professor or a higher officer in IMU Campuses/ Principal of the Affiliated Institute. If for any reason the Principal is not available, the next senior most faculty shall be given the charge of the 'Chief Superintendent'. However, this option shall be invoked rarely and not as a matter of routine.

iii. The 'Chief Superintendent' shall be responsible for the smooth and fair conduct of the examination. He shall be responsible to report all cases of malpractice to the Controller of Examination in writing. He shall be responsible for the despatch of the Answer Scripts after each examination without any delay.

iv. The detailed instructions issued by the Controller of Examinations with regard to the duties and responsibilities of the 'Chief Superintendent' must be strictly complied with.

v. The Chief Superintendent shall be responsible for the appointment of the 'Hall Superintendent' or 'Invigilators' for the examinations. The Hall Superintendent' or 'Invigilator' shall be responsible to make the students aware of the rules to be followed while writing their exams, ensure sufficient distance between the students and to curb any form of malpractice.

vi. The 'Hall Superintendent' or 'Invigilators' may be remunerated as per the latest Ordinance No. 19 of 2015 prescribing the Fees and Remunerations for Examinations, Convocation and for various other purposes.

f. Hall Superintendents (Invigilators)

i. 'Hall Superintendent' (Invigilators) shall be appointed by the Chief Superintendent for individual halls of the examination centre.

ii. The Hall Superintendents shall be responsible to make the students aware of the rules to be followed while writing their exams, ensure sufficient distance between the students and to curb any form of malpractice.

g. Observers

i. University Observers shall be appointed by Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. They will be selected from among the Faculty or Academic Support Staff of the IMU Campuses or top 5 ranked Affiliated Institutes.

iii. The Observers shall be responsible for overseeing the fair and smooth conduct of examinations in Affiliated Institutes as per the guidelines and regulations issued by the University from time to time.

h. **Flying Squads**

i. Flying Squads shall be appointed by the Controller of Examinations from a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

ii. The members of the Flying Squads will be drawn from among the Group A Officers and Faculty of the University.

iii. The constitution of the flying squads will be kept confidential and members will be informed at short notice.

iv. The members of the Flying Squads shall make their own arrangements for travel and shall not reveal details of their visits to anyone except their fellow members on the squad and Controller of Examinations.

3. Any person [*appointed as one of the above authorities*] not complying with the instructions issued by the Controller of Examinations or commits any form of malpractice shall be debarred from all examination related duties for a duration as specified by the Vice Chancellor and shall also be liable for disciplinary action as per IMU's Statute and Ordinances.

4. The remuneration and allowances payable to the various authorities shall be as per the Ordinance prescribing the Fees and Remunerations for Examinations, Convocation and for various other purposes, amended from time to time.

5. The Vice Chancellor shall have the power to lay down the procedure in respect of any matter not mentioned in this Ordinance.

Note: Chapter XVI of the Ordinance governing Academic Matters dealing with the Examiners is hereby repealed

Ordinance 11 of 2017

[EC 2017-39-10 dated 14-06-2017]

"**Examination Committee**

1. There shall be an Examination Committee in the University, consisting of the following persons:
   i. The Vice-Chancellor or his nominee – Chairman
   ii. One senior most Faculty from each of the Schools
   iii. Three Principals of affiliated colleges/institutions to be nominated by the Vice-Chancellor
   iv. Two persons appointed by the Academic Council
   v. The Controller of Examinations -Member Secretary (Ex-Officio)
2. The nominated members and the members appointed by the Academic council shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment.
3. One-third of the members shall form quorum for a meeting of the Committee.
4. The Committee shall consider & approve the consolidated results and arrange for the declaration of all examination results in the University.
5. The Committee shall have power to award grace marks. Provided that no student shall be awarded a more than a maximum of 5 grace marks in a semester for all subjects put together.
6. It shall perform such other duties and functions as may be assigned to it by the Academic Council:

Provided that the Examination Committee may delegate any or all of its powers mentioned above to any officer of the University."

Note: Chapter XVII of the Ordinance governing Academic Matters dealing with the Examiners is hereby repealed.

Ordinance 12 of 2017

[EC 2017-40-16 dated 15.09.2017]

"Ordinance prescribing the Ph.D Regulations

1. **Preamble**

The Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) shall be awarded to a candidate who, as per the regulations of the Indian Maritime University set out hereunder, has submitted a thesis based on original and independent research in any particular discipline or more than one discipline (inter-disciplinary), that makes a contribution to the advancement of knowledge in maritime sector, and which is approved by a constituted Board of Examiners.

2. **Areas of Research**

The University shall provide facilities for research in the following areas:

a) Marine Engineering
b) Nautical Science
c) Naval Architecture and Ship Building
d) Dredging and Harbour Engineering
e) Off-shore Support Services
f) Inland Waterways, Coastal Shipping and River-Sea Shipping
g) Port and Shipping Management
h) Logistics and Supply Chain Management
i) Maritime Security and Piracy
j) Maritime related areas
k) Inter-disciplinary areas

The above list is only illustrative and not exhaustive.

3. Eligibility

a. The eligibility criteria for admission to the Ph.D programme shall be:

(i) A Post Graduate (P.G) degree in the respective 'areas of research' as listed out in para 2 above or a relevant discipline with at least 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA). For SC/ST candidates, the minimum marks shall be 50% (or equivalent CGPA).

(ii) A M.S (By Research) or M.Phil degree in the respective 'areas of research' as listed out in para 2 above or a relevant discipline.

(iii) To encourage Faculty members of IMU, Affiliated Institutes and DG (S) approved institutes to enhance their Qualifications, Mariners with Master/ MEO Class I Certificates of Competencies or PGDMOM qualifications with 2 years of teaching experience at degree level shall be eligible.

b. The Board of Research Studies shall decide whether a particular discipline is relevant to the particular 'area of research' or not.

4. **Admissions Process**

a. Admissions to the Ph.D programme shall be done twice in a year i.e. in January and July.

b. A candidate can submit his application for admission to the Ph.D programme anytime during the year through online mode on payment of prescribed fee for the admission test.

c. A candidate submitting his application between 1st July and 31st October shall be considered for admission to the January batch of the following year. A candidate submitting his application between 1st January and 30th April shall be considered for admission to the July batch of the same year.

d. Admission of students to the Ph.D programme shall be based on the performance in:

(i) 'Written Test' to be administered in Multiple Choice Questions (MCQ) format which would test a candidate's General Mental Ability, his knowledge of the Maritime sector, and his knowledge of the relevant discipline/'area of research' in which he proposes to do his Ph.D. The 'Written Test' shall have 50% weightage,

(ii) 'Essay Writing Test' on a general topic having 35% weightage, and

(iii) Personal Interview which shall have a 15% weightage.

e. Candidate who is shortlisted based on the 'Written Test', will be administered the 'Essay Writing Test' on the date of his interview.

f. The Controller of Examinations, IMU shall administer the 'Written Test' and the 'Essay Writing Test'.

g. The Interview shall be conducted by the 'Departmental Committee', which shall be constituted by the Vice Chancellor.

5. Application for Registration

a. Within two weeks from the date of selection of a candidate, the 'Departmental Committee' shall identify the Guide for the selected candidate from the list of Guides empanelled by the Board of Research Studies. For inter-disciplinary research, the Departmental Committee shall identify the two co-Guides. Occasionally, a co-Guide may be necessary even where the research is not inter-disciplinary.

b. Within a month thereafter, the candidates should submit their application for Registration to the Ph.D programme on payment of the prescribed course fee/semester fee. The letter of Registration shall be issued by the Controller of Examinations.

c. A proposal under inter-disciplinary research should be submitted as per the prescribed format which must be duly approved by the Departmental Committee.

6. Doctoral Committee

a. Within one month from the date of 'Provisional Registration', a Doctoral Committee shall be constituted by the Vice Chancellor to aid and monitor the academic progress of the Ph.D scholar on a periodic basis.

b. The Doctoral Committee shall consist of (i) a Guide, (ii) co-Guide (where applicable) and (iii) at least two experts to be nominated by the Vice Chancellor from a panel of six experts submitted by the Guide. There shall be at least one external expert and at least one member with Ph.D qualification on the Doctoral Committee.

c. The Doctoral Committee shall have the following functions:

(i) To discuss, advise and recommend on all matters connected with the Ph.D scholar from provisional registration till award of the degree.

(ii) To suggest a suitable subject [in the 'relevant area of research'] to be taken up by the Ph.D scholar as part of his course work.

(iii) To monitor the work of the Ph.D scholar periodically and to submit progress reports, once in six months, in prescribed format.

(iv) To supervise the submission of synopsis and thesis by the Ph.D scholar to the University.

7. Registration and Duration of Research: A candidate can register for the Ph.D programme either as a Full-time scholar or a Part-time scholar.

Full-time Scholar

a. A Full-time Ph.D scholar will have to be a resident within the city limits of the IMU Campus to which he has been admitted and should not be working full-time anywhere during the period of his Ph.D candidature unless he has prior sanction of leave. He will have to follow the attendance rules as applicable.

b. A Full-time Ph.D scholar will have to submit the thesis on completion of three years from the date of 'Provisional Registration'. The Doctoral Committee may extend the tenure for a further period of two years, granting the extension for not more than one year at a time, under intimation to the Controller of Examinations. The Vice Chancellor, at his discretion, may give a further extension of one year. In case a Full-time Ph.D scholar fails to submit his thesis within the maximum period of six years, his registration shall stand cancelled, and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

c. The Doctoral Committee shall review the progress of Full-time Ph.D scholar every six months and intimate the same to the Controller of Examinations. In case of unsatisfactory performance, the Doctoral Committee shall issue a 'warning notice' at the time of review. If three such warning notices are issued to a Full-time Ph.D scholar, his registration shall be liable to be cancelled by the Controller of Examinations and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

Part-time Scholar

a. A Part-time Ph.D scholar can be a resident of any place in India and can be working full-time. He will have to follow the attendance rules as applicable.

b. A Part-time Ph.D scholar will have to be present in the Campus [where he had registered for the programme] for a period of at least one month every year for face-to-face interaction in person with his Guide. However, during the first semester when he is required to do 'course work', there shall be face-to-face interaction in person for a minimum period of at least one month on continuous basis. Thereafter, the one month period of face-to-face interaction in person can be in several intervals, but the minimum duration of each interval has to be five continuous working days. Subject to the above, interaction by way of video-conference between the Ph.D scholar and the Guide/Co-Guide is permissible.

c. A Part-time scholar will have to submit the thesis on completion of four years from the date of 'Provisional Registration'. The Doctoral Committee may extend the tenure for a further period of two years, granting the extension for not more than one year at a time, under intimation to the Controller of Examinations. The Vice Chancellor, at his discretion, may give a further extension of one year. In case a Part-time Ph.D scholar fails to submit his thesis within the maximum period of seven years, his registration shall stand cancelled, and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

d. The Doctoral Committee shall review the progress of Part-time Ph.D scholar every year and intimate the same to the Controller of Examinations. In case of unsatisfactory performance, the Doctoral Committee shall issue a 'warning notice' at the time of review. If three such notices are issued to a Part-time Ph.D scholar, his registration shall be liable to be cancelled by the Controller of Examinations and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

Internal Candidates

a. Internal Candidates (regular Faculty/Staff of IMU) can also register as Part-time Ph.D scholar.

b. All fees relating to the Ph.D programme will be waived off for Internal Candidates provided they give an undertaking to serve IMU for 3 years after obtaining the Ph.D degree else will have to pay back the entire fee which was waived off.

c. Internal candidates who fail to complete the Ph.D degree within the stipulated time will also have to pay back the entire fee which was waived off.

Conversion of Full-time Registration into Part-time and Vice-Versa

a. Notwithstanding anything prescribed in these regulations, the Vice Chancellor may permit conversion from Full-time research to Part-time research and vice-versa for valid reasons and subject to satisfying the norms in force.

b. The period put in by a Ph.D scholar shall be worked out in the ratio of 2:3 for research put in before and after such conversion. For example, a Full-time Ph.D scholar seeking conversion after two years shall be deemed to have completed three years on Part-time basis.

8. Supervision of Research

a. Every Ph.D. scholar shall work under the continuous supervision of recognized Guide(s).

b. The empanelment of Guides shall be done by the 'Board of Research Studies'.

c. There shall be three categories of Guides:

(i) IMU Faculty with Ph.D degree who have published at least one paper, article or book of repute.

(ii) Faculty from other Central/State University, Autonomous Educational/Research institution, IIT, NIT, IIM or IMU's Affiliated Institutes, having a Ph.D degree who have published at least one paper, article or book of repute. Such Faculty shall necessarily be resident within the city limits of the particular IMU Campus with which they are associated.

(iii) Industry professionals with a Ph.D degree. The requirement of Ph.D degree may be waived in case of an eminent Industry professional who has published papers, articles or books of repute. They shall be empanelled with due care by the 'Board of Research Studies' and designated as 'Adjunct Faculty' members. The 'Adjunct Faculty' shall necessarily be resident within the city limits of the particular IMU Campus with which they are associated. The decision regarding the renewal/termination of 'Adjunct Faculty' shall be reviewed after every five years.

(iv) In case of Co-Guides coming from Categories 8 c. (ii) and 8 c. (iii) above, the requirement of them being - 'a resident within the city limits of particular IMU campus with which they are associated' – shall not apply.

d. In case of IMU Faculty members, Assistant Professors may be considered for appointment as Guides only after the completion of two years of service in IMU. However, this period may be reduced/waived by the Board of Research Studies if the Assistant Professor has published papers, articles or books of repute.

e. The maximum number of Ph.D scholars who can work under an individual Guide shall be as below:

(i) Professor - 8
(ii) Associate Professor - 6
(iii) Assistant Professor - 4
(iv) Adjunct Faculty with Ph.D - 6
(v) Adjunct Faculty without Ph.D – 4

In case of Guides from other Central/State University, Autonomous Educational/Research institution, IIT, NIT, IIM or IMU's Affiliated Institutes these numbers shall include the Ph.D scholars outside IMU that they may be guiding.

f. For inter-disciplinary research, a Ph.D scholar should have a co-Guide.

g. A Guide shall not supervise his immediate or close relative and to this effect he shall furnish a declaration to this effect.

h. If a Guide is found to have been involved in plagiarism, moral turpitude, corruption, fraudulent academic accomplishments and other such activities prejudicial to the reputation of the University, etc., his Guideship is liable to be terminated after giving a show-cause notice for at least seven days. The Vice Chancellor shall have the right to pass orders in this regard. An appeal against the Vice Chancellor's order shall lie with the Board of Research Studies whose decision shall be final.

i. A Guide who wishes to avail himself of leave/lien/deputation for a period not exceeding six months shall nominate one of the other member of the Doctoral Committee as the Guide during the period of his absence. There shall be change of Guide if the period exceeds six months.

j. Change of Guides for other valid reasons shall be allowed subject to the approval of the Vice Chancellor.

9. Course Work

a. Every Ph.D scholar shall be required to undertake the following course-work:

- Paper I - Research Methodology – 4 credits
- Minimum of 1 and Maximum of 3 papers of 4 credits each in the relevant area prescribed by the Doctoral Committee.

b. The syllabus for Paper I (Research Methodology) paper will be framed by the Board of Research Studies. All other papers shall be picked from the courses offered in any of the P.G level programmes within IMU Campuses.

c. All course work must be completed within 18 months from the date of Provisional Registration. If a Ph.D scholar fails to clear all the course-work related assignments and exams within the prescribed time, his Provisional Registration shall stand cancelled and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

10. Seminar, Synopsis and Thesis Submission

a. A comprehensive viva voce shall be conducted by the Department with a committee comprising the members of the Doctoral Committee and the experts drawn from the Department and outside (full committee not less than 6 members). The candidate is expected to demonstrate his depth of knowledge in the topic of research. The committee after satisfying may permit the candidate to move to the next stage. Other wise the candidate shall repeat the Comprehensive Viva-Voce after three month gap.

b. Before submission of the synopsis, a Ph.D scholar should give at least one seminar presentation on his data/findings. The seminar presentation shall be evaluated by the Doctoral Committee. If the Doctoral Committee is not satisfied with the seminar presentation, the Ph.D scholar will be required to deliver another presentation. If the Ph.D scholar fails to deliver a satisfactory seminar presentation in three attempts his 'Provisional Registration' shall be liable to be cancelled and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

c. A Ph.D scholar candidate shall submit to the University a synopsis of around 10-20 pages (5 *hard copies*) of the proposed thesis along with the title, which is approved and duly certified by the Doctoral Committee. The synopsis shall also be submitted in the soft copy form in CD. No change of title or area of research shall be permitted after the approval of the synopsis.

d. A Ph.D scholar should publish at least one research paper in refereed journals as a first author and present a full paper in a reputed conference and should produce evidence for the same while submitting the Synopsis. The journal must be in the approved list of UGC/IMU.

e. Thereafter, within six months from the date of submission of the synopsis, the Ph.D scholar shall submit the thesis (*5 hard copies*) which shall be checked for plagiarism and duly certified by the Guide and forwarded to the Controller of Examinations for adjudication. The thesis shall also be submitted in the form of soft copy in CD.

f. The title page of the thesis, cover, format, etc., should strictly conform to the prescribed format and all copies of the thesis should carry a declaration by the Ph.D scholar in the prescribed format and certificate duly signed and issued by the Guide in the prescribed format.

11. Adjudication of Ph.D Thesis

a. The Dean shall appoint a Board of Examiners for adjudicating the thesis of a Ph.D scholar.

b. The Board of Examiners shall comprise the Guide, the co-Guide (where applicable) and two other external examiners to be nominated by the Dean from a panel of at least four members (two from India and two from abroad) suggested by the Doctoral Committee. The Dean will normally select one from each category. The two external examiners must necessarily possess Ph.D.

c. In case of difficulty in finding an external examiner from abroad, the Dean may appoint an Indian examiner and vice versa. In case of difficulty in appointing external examiners from the panel suggested by the Doctoral Committee, the Dean may appoint an external examiner from outside this panel.

d. The Board of Examiners so appointed shall evaluate the thesis and give a detailed report in his letterhead in the format prescribed by the University. An Examiner may recommend one of the following:

(i) Thesis is highly commended

[OR]

(ii) Thesis is commended

[OR]

(iii) Thesis is commended and the degree may be awarded subject to the candidate's furnishing satisfactory clarification to my queries during the Public Viva Voce examination.

[OR]

(iv) Thesis is commended and the degree may be awarded subject to the condition that the corrections/modifications suggested by me are carried out in the thesis and duly certified by the Guide before the public viva-voce examination.

[OR]

(v) Thesis needs to be resubmitted after revision for revaluation.

[OR]

(vi) Thesis is not commended and the degree may not be awarded.

e. If the Thesis is reverted under clause (v) above, the revaluation will be done by the same Board of Examiners.

f. The two external examiners shall send their individual reports to the Controller of Examinations as well as to the Guide in both hard copy and scanned soft copy form.

g. The Guide shall then send a consolidated report which shall include his own report and the salient points made in the individual reports of the external examiners.

h. If any one of the external examiners suggests a course of action as indicated in d (iii), d (iv) or d (v) above, the Ph.D scholar shall comply with such suggestion.

i. If any one of the external examiners does not recommend the thesis for the award of the Ph.D degree [as in d (vi) above], the Dean shall then refer the thesis to a third external examiner for evaluation.

j. The remarks made by the external examiner who has not recommended the thesis, shall be provided to the Guide so as to enable him to advise the Ph.D scholar to carry out any corrections / additions / alterations / modifications, if needed.

k. The third external examiner shall not be provided with the reports of the other examiners. If the third external examiner recommends the thesis for the award of the degree, the candidate shall be asked to appear for a viva-voce examination.

l. If the third external examiner also does not recommend the thesis for award of Ph.D degree, the degree shall not be awarded to the Ph.D scholar.

m. A candidate whose thesis has not been recommended for the award of the degree may be permitted to re-submit his thesis within a period of one year. In case his thesis is not recommended again he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

12. Public defense and award of Ph.D degree

a. Once the submitted thesis is approved, a Ph.D scholar shall defend his Thesis in the form of viva-voce in an open forum with an external examiner, who shall be nominated by the Dean from a panel of 3 examiners suggested by the Doctoral Committee.

b. The external examiner who would be administering the viva voce examination must compulsorily possess a Ph.D degree. He shall ordinarily be one of the examiners to whom the thesis was sent for adjudication.

c. A candidate who is successful at the viva-voce examination shall be declared to have qualified for the award of Ph.D degree by the University. The Ph.D degree certificate shall be awarded as per the format prescribed.

d. A candidate, who is not successful at the Viva-Voce examination, may be permitted to take the same on two more occasions. If he is not successful even in the third attempt, the degree shall not be awarded to him and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

e. If for any reason the 'external examiner' is unable to conduct the viva-voce examination even two months after his appointment, the Dean may make alternative arrangements for the conduct of the Viva-Voce examination.

13. **Publication of the Thesis:**

a. A thesis, whether approved or not, shall not be published without the permission of the University.

b. Permission for publication of the thesis should be sought after award of the degree. The University may grant permission for the publication of the thesis under such conditions as it may deem fit.

c. Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree, an electronic copy of the Ph. D. thesis shall be submitted for hosting in the INFLIBNET.

14. Plagiarism

a. In case it is found that a Ph.D scholar has copied a research work/dissertation/thesis and submitted the same as his own work for a Ph.D degree, then his thesis shall be cancelled and he shall be rusticated from the University for a period ranging from one year to five years.

b. For the abetment of such an act as mentioned above, the recognition of his Guide shall be withdrawn and he may be liable for such action as prescribed.

c. In cases of detection of Plagiarism against an ex-student, IMU shall have the right to withdraw the degree awarded by it and initiate action against the Guide as per para 14(b).

15. Removal of Difficulties

Without prejudice to the generality of the aforesaid regulations, the Board of Research Studies shall have the power, for a period of five years from the date of this amended Ordinance, to remove any difficulties that may arise either in the course of the transition from the previous Regulations to these revised Regulations or in the course of implementing the revised Regulations.

Note: In these Regulations, the word 'He' shall include 'She'.

Ordinance 13 of 2017

[EC 2017-37-08 dated 22.12.2016. Amended vide EC 2017-40-38 dated 15.09.2017 EC 2017-41-17 dated 22.12.2017]

Ordinance prescribing the procedure of Internal Assessment of Practical and Theory papers for the various programmes conducted by IMU

1. There will be no minimum pass mark for Internal Assessment for all programmes.

2. For all U.G programmes:

   a. The maximum marks for each theory paper will be 100 marks, out of which 30 marks will be for Internal Assessment and 70 marks for University Examination.

   b. The maximum marks for each practical paper will be 100 marks, out of which 50 marks will be for Internal Assessment and 50 marks for University Examination.

3. For all P.G programmes:

   a. The maximum marks for each theory paper will be 100 marks, out of which 40 marks will be for Internal Assessment and 60 marks for University Examination.
   b. The maximum marks for each practical paper will be 100 marks, out of which 50 marks will be for Internal Assessment and 50 marks for University Examination.

4. The above break-up will not apply to Project Work, Dissertation, Summer Internship and Shipboard Structured Training Programme (SSTP).

5. The component-wise breakup of the 'Internal Assessment' for the Theory papers of U.G and P.G programmes shall be as follows:

U.G Programmes

S.No.	***Component***	***Marks***
1	Teachers Assessment which may include parameters such assignments/behavior in class, responses/attentiveness in class etc.	10
2	Class Tests - 2 per semester	20
	Total	**30**

P.G Programmes

S.No.	***Component***	***Marks***
1	Teachers Assessment which may include parameters such assignments/behavior in class, responses/attentiveness in class etc.	10
2	Class Tests - 2 per semester	30
	Total	**40**

6. The component-wise breakup of the 'Internal Assessment' for the Practical papers of U.G and P.G programmes shall be as follows:

U.G Programmes

S.No.	***Component***	***Marks***
1	Teachers Assessment which may include parameters such assignments/behavior in class, responses/attentiveness in class etc.	10
2	Lab work records	40
	Total	**50**

P.G Programmes

S.No.	***Component***	***Marks***
1	Teachers Assessment which may include parameters such assignments/behavior in class, responses/attentiveness in class etc.	10
2	Lab work records	40
	Total	**50**

7. The IMU Campus/Affiliated Institute must preferably notify the schedule of the various components of Internal Assessment, especially Class test, well in advance. If one or more students are absent for a particular component of Internal Assessment, he should be awarded to zero marks for that component.

   Provided that if one or more students were to miss a Class Test or a Project Review or Lab/Workshop classes owing to illness or accident or participation in any national event, the IMU Campus/Affiliated Institute may conduct a special Class Test or Project Review or Lab/Workshop classes for such student(s) within the same semester as decided by the HoD, but no student shall claim any right in this regard.

8. The finally compiled Internal Assessment marks of all the papers should be displayed in the common Notice Board of the IMU Campus/ Affiliated Institute for the information of the students at least 14 days before the date of commencement of the end-semester examinations. Where representations are received from the students about mistakes in Internal Assessment marks due to wrongful data entry or otherwise, such requests should be given due consideration and the mistakes should be corrected in IMU's records. Such editing of the Internal Assessment marks should be completed at least 7 days before the end-semester examinations, after which they shall be frozen. No requests for change in the Internal Assessment marks on any ground whatsoever will be entertained thereafter.

9. The IMU Campus/ Affiliated Institute will be required to make online entries in IMU's website / submit to the office of COE the Internal Assessment marks, before the commencement of the practical examinations.

10. The Vice Chancellor shall have the power to order a random sample verification of the original records relating to the award of Internal Assessment marks by an IMU Campus or Affiliated Institute for a particular paper or papers at any point of time. In the event of non-production of records, an adverse inference shall be drawn and the Vice Chancellor shall have the right to order that the Internal Assessment marks for that paper or papers or component or components for which records have not been produced as zero. The defaulting Affiliated Institute shall also be liable for disaffiliation from IMU.

11. This amendment Ordinance shall take effect from December/January 2017-End Semester Examinations for the students joined in Academic Year 2017-18. Internal Assessment Marks of students of the Academic Year prior to 2017-18 will continue to be recorded as per the regulations/ Ordinances pertaining to their batch. "

Ordinance 14 of 2017

[EC 2017-38-07 dated 28.03.2017]

"Ordinance prescribing Regulations for M.S (By Research) Programme

1. **Preamble**

The M.S (By Research) programme shall be awarded to a candidate who, as per the regulations of the Indian Maritime University set out hereunder, has submitted a thesis based on original and independent research in any particular discipline that makes a contribution to the advancement of knowledge in maritime sector, and which is approved by a constituted Board of Examiners.

2. **Areas of Research**

The University shall provide facilities for research in the following areas:

a) Marine Engineering
b) Nautical Science
c) Naval Architecture and Ship Building
d) Dredging and Harbour Engineering
e) Off-shore Support Services
f) Inland Waterways, Coastal Shipping and River-Sea Shipping
g) Port and Shipping Management
h) Logistics and Supply Chain Management
i) Maritime Security and Piracy
j) Maritime related areas
k) Inter-disciplinary areas

The above list is only illustrative and not exhaustive.

3. Eligibility

a. The eligibility criteria for admission to the M.S (By Research) programme shall be an Under Graduate (U.G) degree in a relevant discipline with at least 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA), except in the case of Mariners for whom a Master/MEO Class I Certificate of Competency would suffice. For SC/ST candidates, the minimum marks shall be 50% (or equivalent CGPA).

b. The Board of Research Studies shall decide whether a particular discipline is relevant to the particular 'area of research' or not.

4. **Admissions Process**

a. Admissions to the M.S (By Research) programme shall be done once in a year i.e. in January.

b. A candidate can submit his application for admission to the M.S (By Research) programme anytime during the calendar year up to 31st October through online mode on payment of prescribed fee for the admission test.

c. Admission of students to the M.S (By Research) programme shall be based on the performance in:

i. 'Written Test' to be administered in Multiple Choice Questions (MCQ) format which would test a candidate's General Mental Ability, his knowledge of the Maritime sector, and his knowledge of the relevant discipline/'area of research' in which he proposes to do his M.S (By Research). The 'Written Test' shall have 50% weightage,

ii. 'Essay Writing Test' on a general topic having 35% weightage, and

iii. Personal Interview which shall have a 15% weightage.

d. Candidate who is shortlisted based on the 'Written Test', will be administered the 'Essay Writing Test' on the date of his interview.

e. The Controller of Examinations, IMU shall administer the 'Written Test' and the 'Essay Writing Test'.

f. The Interview shall be conducted by the 'Departmental Committee', which shall be constituted by the Vice Chancellor.

g. However, the regular Faculty of IMU Campuses who were duly recruited following all-India advertisements and a rigorous selection process will be eligible for direct admission into the M.S (By Research) programme.

5. Appointment of Guide

Within two weeks from the date of selection of a candidate, the 'Departmental Committee' shall identify the Guide for the selected candidate from the list of Guides empanelled by the Board of Research Studies.

6. Monitoring Committee

a. Within one month from the date of admission, a 'Monitoring Committee' shall be constituted by the Vice Chancellor to aid and monitor the academic progress of the M.S student on a periodic basis.

b. The Monitoring Committee shall consist of (i) a Guide, (ii) one senior Faculty member and (iii) at least one expert to be nominated by the Vice Chancellor from a panel of three experts submitted by the Guide.

c. The Monitoring Committee shall have the following functions:

i. To discuss, advise and recommend on all matters connected with the M.S student from admission till award of the degree.

ii. To suggest suitable subjects [in the 'relevant area of research'] to be taken up by the M.S. scholar as part of his course work.

iii. To monitor the work of the M.S student periodically and to submit progress reports, once in six months, in prescribed format.

iv. To supervise the submission of synopsis and thesis by the M.S. student to the University.

7. Registration and Duration of Research: A candidate can register for the M.S programme either as a Full-time student or a Part-time student.

Full-time Student

a. A Full-time M.S student will have to be a resident within the city limits of the IMU Campus to which he has been admitted and should not be working full-time anywhere during the period of his M.S candidature unless he has prior sanction of leave. He will have to follow the attendance rules as applicable.

b. A Full-time M.S student will have to submit the thesis on completion of two years from the date of admission. The Monitoring Committee may extend the tenure for one more year, under intimation to the Controller of Examinations. In case a Full-time M.S student fails to submit his thesis within the maximum period of three years, his registration shall stand cancelled, and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

c. The Monitoring Committee shall review the progress of Full-time M.S student every six months and intimate the same to the Controller of Examinations. In case of unsatisfactory performance, the Monitoring Committee shall issue a 'warning notice' at the time of review. If two such warning notices are issued to a Full-time M.S student, his registration shall be liable to be cancelled by the Controller of Examinations and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

Part-time Student

a. A Part-time M.S student can be a resident of any place in India and can be working full-time. He will have to follow the attendance rules as applicable.

b. A Part-time M.S student will have to submit the thesis on completion of three years from the date of admission. The Monitoring Committee may extend the tenure for one more year, under intimation to the Controller of Examinations. In case a Part-time M.S student fails to submit his thesis within the maximum period of four years, his registration shall stand cancelled, and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

c. A Part-time M.S student will have to be present in the Campus [where he had registered for the programme] for a period of at least one month in the first semester on continuous basis, and two weeks thereafter in every semester on continuous basis for face-to-face interaction in person with his Guide. Subject to the above, interaction by way of video-conference between the M.S student and the Guide is permissible.

d. The Monitoring Committee shall review the progress of Part-time M.S student every six months and intimate the same to the Controller of Examinations. In case of unsatisfactory performance, the Monitoring Committee shall issue a 'warning notice' at the time of review. If two such warning notices are issued to a Part-time M.S student, his registration shall be liable to be cancelled by the Controller of Examinations and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

Conversion of Full-time Registration into Part-time and Vice-Versa

a. Notwithstanding anything prescribed in these regulations, the Vice Chancellor may permit conversion from Full-time research to Part-time research and vice-versa for valid reasons and subject to satisfying the norms in force.

b. The period put in by a M.S student shall be worked out in the ratio of 2:3 for research put in before and after such conversion. For example, a Full-time M.S student seeking conversion after two years shall be deemed to have completed three years on Part-time basis.

8. Supervision of Research

a. Every M.S student shall work under the continuous supervision of recognized Guide(s).

b. The empanelment of Guides shall be done by the 'Board of Research Studies'.

c. There shall be three categories of Guides:

i. IMU Faculty with P.G degree who have published at least one paper, article or book of repute. In the case of Mariners, the IMU Faculty must be a holder of Master/MEO Class I Certificate of Competency and should have published at least one paper, article or book of repute.

ii. Faculty from other Central/State University or Autonomous Educational/ Research institution, IIT, NIT, IIM or IMU's Affiliated Institutes, having a P.G degree who have published at least one paper, article or book of repute. Such Faculty shall necessarily be resident within the city limits of the particular IMU Campus with which they are associated.

iii. Eminent industry experts with a P.G degree and who have published papers, articles or books of repute. They shall be empanelled with due care by the 'Board of Research Studies' and designated as 'Adjunct Faculty' members. The 'Adjunct Faculty' shall necessarily be a resident within the city limits of the particular IMU Campus with which he is associated. The decision regarding the renewal/termination of 'Adjunct Faculty' shall be reviewed after every five years.

d. In case of IMU Faculty members, Assistant Professors may be considered for appointment as Guides only after the completion of two years of service in IMU. However, this period may be reduced/waived by the Board of Research Studies if the Assistant Professor has published papers, articles or books of repute.

e. The maximum number of M.S students who can work under an individual Guide shall be as below:

i. Professor - 8
ii. Associate Professor - 6
iii. Assistant Professor - 4
iv. Adjunct Faculty with Ph.D - 6
v. Adjunct Faculty without Ph.D – 4

These numbers are over and above the number of Ph.D scholars who may be working under the Guide.

f. A Guide shall not supervise his immediate or close relative and to this effect, he shall furnish a declaration to this effect.

g. If a Guide is found to have been involved in plagiarism, moral turpitude, corruption, fraudulent academic accomplishments and other such activities prejudicial to the reputation of the University, etc., his Guideship is liable to be terminated after giving a show-cause notice for at least seven days. The Vice Chancellor shall have the right to pass orders in this regard. An appeal against the Vice Chancellor's order shall lie with the Board of Research Studies whose decision shall be final.

h. A Guide who wishes to avail himself of leave/lien/deputation for a period not exceeding six months shall nominate one of the other member of the Monitoring Committee as the Guide during the period of his absence. There shall be change of Guide if the period exceeds six months.

i. Change of Guides for other valid reasons shall be allowed subject to the approval of the Vice Chancellor.

9. Course Work

a. Every M.S student shall be required to complete the following course-work:

1. Paper I - Research Methodology, and
2. Paper II - on relevant discipline related to his M.S programme
3. Paper III - on relevant discipline related to his M.S programme
4. Paper IV - on relevant discipline related to his M.S programme
5. Paper V - on relevant discipline related to his M.S programme

Papers II to V shall be chosen by the Monitoring Committee from the basket of courses offered under the regular P.G programmes in IMU.

b. There shall be one assignment for 25 marks and a comprehensive written test of three hours duration carrying 75 marks in each of the papers [(25+75) x 5 = 500 marks in all]. The assignments shall be administered by the Monitoring Committee and the tests shall be administered by the Controller of Examinations. A M.S student should secure at least 60% in each paper.

c. A M.S student will be given one additional attempt to pass all the course-work related assignments and tests subject to the condition that all such assignments and tests must be passed within 12 months from the date of admission in case of Full-time student and within 24 months from the date of admission in case of Part-time student. If a M.S. student fails to clear all the course-work related assignments and tests in 2 attempts or within 12 months in case of Full-time student and 24 months in case of Part-time student, his admission shall stand

cancelled and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again. The Controller of Examinations shall issue the letter regarding the cancellation of admission.

10. Seminar, Synopsis and Thesis Submission

a. Before submission of the synopsis, a M.S student should give at least one seminar presentation on his data/findings. The seminar presentation shall be evaluated by the Monitoring Committee. If the Monitoring Committee is not satisfied with the seminar presentation, the M.S student will be required to deliver another presentation. If the M.S student fails to deliver a satisfactory seminar presentation in two attempts his admission shall be liable to be cancelled and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

b. A M.S student shall submit to the University a synopsis of around 10 pages (5 hard copies) containing the proposed thesis along with the title, which is approved and duly certified by the Monitoring Committee. The synopsis shall also be submitted in the soft copy form in CD. No change of title or area of research shall be permitted after the submission of the synopsis.

c. Thereafter, within three months from the date of submission of the synopsis, the M.S student shall submit the thesis which shall be checked for plagiarism and duly certified by the Guide and forwarded to the Controller of Examinations for adjudication. The thesis shall also be submitted in the form of soft copy in CD.

d. The title page of the thesis, cover, format, etc., should strictly conform to the prescribed format and all copies of the thesis should carry a declaration by the M.S student in the prescribed format and certificate duly signed and issued by the Guide in the prescribed format.

11. Adjudication of M.S Thesis

a. The Vice-Chancellor shall appoint a Board of Examiners for adjudicating/ evaluating the thesis of a M.S student.

b. The Board of Examiners shall comprise the Guide and one external examiner to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of at least three reputed experts suggested by the Monitoring Committee.

c. The Board of Examiners so appointed shall evaluate the thesis and may recommended one of the following:

(i) Thesis is highly commended

[OR]

(ii) Thesis is commended

[OR]

(iii) Thesis is commended and the degree may be awarded subject to the candidate's furnishing satisfactory clarification to my queries during the Public Viva Voce examination.

[OR]

(iv) Thesis is commended and the degree may be awarded subject to the condition that the corrections/modifications suggested by me are carried out in the thesis and duly certified by the Guide before the public viva-voce examination.

[OR]

(v) Thesis needs to be resubmitted after revision for revaluation.

[OR]

(vi) Thesis is not commended and the degree may not be awarded.

d. If the external examiner suggests a course of action as indicated in c (iii), c (iv) or c (v) above, the M.S. student shall comply with such suggestion.

e. If the external examiner does not recommend the thesis [as in c (vi) above], the Vice-Chancellor shall then refer the thesis to a second external examiner for evaluation.

f. The remarks made by the external examiner who has not recommended the thesis, shall be provided to the Guide so as to enable him to advise the M.S student to carry out any corrections / additions / alterations / modifications, if needed.

g. The second external examiner shall not be provided with the reports of the other examiners. If the second external examiner recommends the thesis for the award of degree, the candidate shall be asked to appear for a Viva-Voce examination.

h. If the second external examiner also does not recommend the thesis for award of M.S degree, the degree shall not be awarded to the M.S student .

i. A candidate whose thesis has not been recommended for the award of the degree may be permitted to re-submit his thesis within a period of 6 months. In case his thesis is not recommended again he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

12. Viva-Voce examination and award of M.S degree

a. Once the submitted thesis is approved, a M.S student shall appear for a Viva Voce examination to be administered by an external examiner, who shall be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of 3 examiners suggested by the Monitoring Committee.

b. The external examiner who would be administering the Viva Voce shall ordinarily be one of the examiners to whom the thesis was sent for adjudication.

c. A candidate who is successful at the Viva-Voce examination shall be declared to have qualified for the award of M.S degree by the University. The M.S degree certificate shall be awarded as per the format prescribed.

d. A candidate, who is not successful at the Viva Voce examination, may be permitted to take the same on one more occasion. If he is not successful even in the second attempt, the degree shall not be awarded to him and he will have to re-register as a fresh candidate but without having to go through the admission process again.

e. If for any reason the external examiner is unable to conduct the Viva Voce examination even two months after his appointment, the Vice Chancellor may make alternative arrangements for the conduct of the Viva Voce examination.

13. **Publication of the Thesis:**

a. A thesis, whether approved or not, shall not be published without the permission of the University.

b. Permission for publication of the thesis should be sought after award of the degree. The University may grant permission for the publication of the thesis under such conditions as it may deem fit.

14. Plagiarism

a. In case it is found that a M.S student has copied a research work/dissertation/thesis and submitted the same as his own work for a M.S degree, then his thesis shall be cancelled and he shall be rusticated from the University for a period ranging from one year to five years.

b. For abetment to such an act of plagiarism as mentioned above, the recognition of Guide shall be withdrawn and he may be liable for such action as prescribed.

c. In cases of detection of Plagiarism against an ex-student, IMU shall have the right to withdraw the degree awarded by it and initiate action against the Guide as per para 14(b).

15. Removal of Difficulties

Without prejudice to the generality of the aforesaid regulations, the Board of Research Studies shall have the power for a period of five years from the date of implementation of these revised M.S Regulations to remove any difficulties that may arise either in the course of the transition from the previous Regulations to these revised Regulations or in the course of implementing the revised Regulations.

Note: In these Regulations the word ‘He’ shall include ‘She’.

Ordinance 01 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	12
3.	Specialization	Marine Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Category 1 Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC/IMU norms. c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) recognized training institutes. Category 2 Essential: a) B.E/B.Tech degree in Marine Engineering with at least 55% marks or an equivalent grade and M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade [OR] B.E/B.Tech degree with at least 55% marks or an equivalent grade along with PGDME/GME course approved by Directorate General (Shipping) with at least 55% marks or an equivalent grade and M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade b) Sailing experience for a minimum period of six months at any levelwithin the meaning of STCW Convention in force; Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) approved training institutes.

9.	Period of Probation	2 years.
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 25 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 02 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	8
3.	Specialization	Mechanical Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post

7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 02 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 03 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	2
3.	Specialization	Electrical Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant

		Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 04 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 04 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	14
3.	Specialization	Marine Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	*Category 1: Mariners without Ph.D* Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A minimum of six years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause c), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. ii. Teaching Marine Engineering in a Directorate General (Shipping) recognised maritime institution/ university iii. Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society or equivalent. iv. Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing Company or equivalent. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.

		Category 2: Mariners with Ph.D Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A Ph.D. Degree in relevant discipline. d) A minimum of two years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (c) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause d), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. ii. Teaching Marine Engineering in a Directorate General (Shipping) recoginsed maritime institution/ university iii. Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society or equivalent. iv. Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company or equivalent. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars. *Category 3: From Assistant Professors with Ph.D* Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. b) A Ph.D. Degree in relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor

		(ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 26 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 05 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	4
3.	Specialization	Mechanical Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline.

		b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. d) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. e) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 03 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 06 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	2
3.	Specialization	Electrical Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical

		Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 05 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 07 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Marine Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of post	7
3.	Specialization	Marine Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.10,000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	*Category 1: Mariners with Ph.D* Essential: a) Directorate General (Shipping) recognised MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A Ph.D. Degree in relevant discipline. d) A minimum of seven years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause d), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. **ii.** Teaching Marine Engineering in a Directorate General (Shipping) recoginsed maritime institution iii. Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society **iv.** Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.

		b) Experience of guiding Ph.D scholars. *Category 2: Associate Professors with Ph.D* Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. b) A Ph.D. Degree in relevant discipline. c) A minimum of ten years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least five years should be at the level of Associate Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	As per IMU Statutes.
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 27 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 08 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology.

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Mechanical Engineering
4.	Classification	Academic Post

5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.10,000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of ten years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least five years should be at the level of Associate Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	As per IMU Statutes.
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 09 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	8
3.	Specialization	Nautical Science

4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized Master (Foreign Going) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) approved training institutes.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications

		will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 22 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 10 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electronics and Communications) in the School of Nautical Studies.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	3
3.	Specialization	Electronics and Communications Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable.

		b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 06 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 11 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mathematics) in the School of Nautical Studies.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	5
3.	Specialization	Mathematics
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: 1. Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. 2. Ph.D in a relevant discipline. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years.
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).

11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. d) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. e) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 07 of 2016 in Gazette 441 dated 02-12-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 12 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	14
3.	Specialization	Nautical Science
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	*Category 1: Mariners without Ph.D* Essential: a) Directorate General (Shipping) recognised Master (Foreign Going) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A minimum of six years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause c), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. ii. Teaching Nautical Science in a Directorate General (Shipping) recoginsed maritime institution

		iii. Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society iv. Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company v. Pilot in Major Port. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms. *Category 2: Mariners with Ph.D* Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized Master (Foreign Going) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A Ph.D. Degree in relevant discipline. d) A minimum of two years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause d), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. ii. Teaching Nautical Science in a Directorate General (Shipping) recoginsed maritime institution iii. Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society iv. Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing Company. v. Pilot in Major Port. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars. *Category 3: From Assistant Professors with Ph.D* Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. b) A Ph.D. Degree in relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/ research/ industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy

		papers as per the UGC norms b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 23 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 13 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Nautical Science) in the School of Nautical Studies.

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	7
3.	Specialization	Nautical Science
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.10000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post

7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	*Category 1: Mariners with Ph.D* Essential: a) Directorate General (Shipping) recognised Master (Foreign Going) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; c) A Ph.D. Degree in relevant discipline. d) A minimum of seven years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: i. Sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above. For the purpose of calculation of total work experience (for clause d), the sailing experience at Management level beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) shall be multiplied by a factor of two. ii. Teaching Nautical Science in a Directorate General (Shipping) recoginsed maritime institution iii. Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society iv. Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company. v. Pilot in Major Port. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars. *Category 2: Associate Professors with Ph.D* Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. b) A Ph.D. Degree in relevant discipline. c) A minimum of ten years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least five years should be at the level of Associate Professor in a University, College or Research Organization. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	As per IMU Statutes.
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and

		conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 24 of 2015 in Gazette 305 dated 03-09-2015 is hereby repealed.*

Ordinance 14 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	2
3.	Specialization	Naval Architecture
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned.

		(v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 69 of 2015 in Gazette 298 dated 20-07-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 15 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Ocean Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/research papers/policy

		papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 16 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Mechanical Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50

8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.
9.	Period of Probation	2 years
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 17 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Assistant Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Marine Engineering

4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	50
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Category 1 Essential: a) Directorate General (Shipping) recognized MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC/IMU norms. c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) recognized training institutes. Category 2 Essential: a) B.E/B.Tech degree in Marine Engineering with at least 55% marks or an equivalent grade and M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade [OR] B.E/B.Tech degree with at least 55% marks or an equivalent grade along with PGDME/GME course approved by Directorate General (Shipping) with at least 55% marks or an equivalent grade and M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade b) Sailing experience for a minimum period of six months at any level within the meaning of STCW Convention in force; Desirable: a) Ph.D in a relevant discipline. b) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) approved training institutes.
9.	Period of Probation	2 years.
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by

		the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 years.
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 18 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	2
3.	Specialization	Naval Architecture
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms.

		b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 70 of 2015 in Gazette 298 dated 20-07-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 19 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Ocean Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post

7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 20 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Dredging and Harbour Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Dredging and Harbour Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies/industrial exposure/sailing/research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable.

		b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 21 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Naval Architecture) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Naval Architecture
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.10,000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of ten years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least five years should be at the level of Associate Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	As per IMU Statutes.
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.

12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be a preferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 71 of 2015 in Gazette 298 dated 20-07-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 22 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Ocean Engineering) in the School of Naval Architecture and Ocean Engineering.

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Ocean Engineering
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.10,000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. b) Ph.D. Degree in a relevant discipline. c) A minimum of ten years of teaching/ research/industry experience in a relevant area of which at least five years should be at the level of Associate Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection	As per IMU Statutes.

	Committee	
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) For disciplines in which formal U.G degree is available it would be preferable under clause 8 (a). For example, for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering), a U.G degree in Mechanical Engineering shall be apreferable qualification. d) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. e) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. f) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 23 of 2018

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018]

Recruitment Rules for the post of

Associate Professor (Logistics & Supply Chain Management/ Port & Shipping Management) in the School of Maritime Management

1.	Name of the post	Associate Professor
2.	No. of posts	2
3.	Specialization	Logistics & Supply Chain Management/ Port &Shipping Management
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
6.	Whether Selection post or Non-selection post	Selection Post
7.	Age limit	60
8.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant discipline. OR Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at UG level and professionally qualified Charted Accountant / Cost and Management Accountant.

		b) Ph.D in relevant discipline. c) A minimum of eight years of teaching/research/industry experience in a relevant area of which at least four years should be at the level of Assistant Professor in a University, College or Research Organisation. Desirable: a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as per the UGC norms. b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection Committee	The Selection Committee shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor will be concerned. Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for 6 months of special leave that could be used for the purposes of higher studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable. b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. c) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. d) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases. e) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Note: *The Notification published vide Ordinance 76 of 2015 in Gazette 298 dated 20-07-2016 is hereby repealed.*

Ordinance 24 of 2018

[EC 2014-28-12 dated 26.06.2014]

Ordinance prescribing the Affiliation Fees

(i) *Initial Affiliation fee* to be collected as an one-time fee at the time of grant of provisional affiliation for a course at the rates indicated below:

(a) *For DNS course leading to B.Sc (Nautical)*:

Sanctioned strength of students	**Initial Affiliation Fee** (in Rupees)
Up to 80	2,00,000
81 – 160	4,25,000
161 – 240	6,75,000
241 and above	9,50,000

(b) *For other U.G Degree courses* (per course):

Sanctioned strength of students	**Initial Affiliation Fee** (in Rupees)
Up to 40	1,50,000
41 – 80	3,25,000
81 - 120	5,25,000
121 and above	7,50,000

(c) *For P.G Courses* (per course):

Sanctioned strength of students	**Initial Affiliation Fee** (in Rupees)
Upto 20	3,00,000
21 - 40	6,00,000

(ii) Provisional Affiliation will be granted initially for a period of 3 years, and later extended for a period of 3 years at a time. There will be a flat *Continuation Fee* of Rs.50,000 (irrespective of sanctioned strength) to be paid every 3 years at the time of extension/continuation of provisional affiliation.

(iii) At the end of 9 years an Affiliated Institute should be eligible *to apply for* permanent affiliation, but the earliest an Affiliated Institute can get *Permanent Affiliation* is when it completes 10 years, the period being counted from the date of affiliation of the Institute to IMU.

(iv) For permanent affiliation, the Institute must pay a flat *Permanent Affiliation Fee* of Rs.10,00,000 per course for *all courses* (DNS, U.G, P.G). When an Institute gets permanent affiliation, there will be no further Continuation Fees.

(v) An Affiliated Institute will be eligible to apply for *Autonomous Status* only after it gets permanent affiliation.

The Notification published under Para 4.23 and the section Affiliation Fees of Annexure XII of the Chapter 1 of Additional Academic Ordinances published in the Gazette 38 dated 01.02.2010 is hereby repealed

Amended Statute 18 - Schools of Studies and Departments

[EC 2017-38-08 dated 28.03.2017]

18 (1) The University shall have such Schools of Studies as may be specified by the Ordinances.

(2) Each School shall consist of one or more Departments as may be assigned to it by the Ordinances.

Provided that the Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council, establish Centres of Studies to which may be assigned such teachers of the University as the Executive Council may consider necessary.

(3) Each Department shall consist of the following members, namely:

(i) Teachers of the Department,

(ii) Persons conducting research in the Department,

(iii) Dean of the School,

(iv) Honorary Professors, if any, attached to the Department; and

(v) Such other persons as may be members of the Department in accordance with the provisions of the Ordinances.

(4) Each School shall have a School Board. The constitution of the School Board, the term of office of its members, the conduct of its meetings and the quorum required therefor, and its powers shall be prescribed by the Ordinances.

(5) The functions of the School Board shall be to recommend to the Academic Council –

(a) the courses of Under-Graduate and Post-Graduate studies, and their curricula, syllabi and regulations;

(b) all matters pertaining to the equivalence/recognition of courses offered by other Universities/Institutes;

(c) measures for the improvement of the standard of teaching of the Under-Graduate and Post-Graduate courses;

(d) such other functions as may be prescribed by the Ordinance.

Amended Statute 19 - Board of Research Studies

[EC 2017-38-08 dated 28.03.2017]

19 (1) The University shall have a Board of Research Studies.

(2) The constitution of the Board of Research Studies, the term of office of its members, the conduct of its meetings and the quorum required therefor, and its powers shall be prescribed by the Ordinance.

(3) The functions of the Board of Research Studies shall be –

(a) recommend to the Academic Council guidelines and regulations for all matters connected with Ph.D and other research programmes;

(b) recommend to the Academic Council all matters pertaining to the equivalence/recognition of Ph.D and other research degrees offered by other Universities/ Institutes.

(c) appoint supervisors of research;

(d) prepare a perspective plan for major thrust areas for research in the disciplines under the purview of the University;

(e) review the current status of research in each department;

(f) such other functions as may be prescribed by the Ordinance."

Amended Statute 11(1)(l) – Composition of Executive Council

[EC 2017-41-04 dated 21.12.2017]

11 (1) (l) One Vice Chancellor, present or former, of any technical University or one Director, present or former, of any Indian Institute of Technology or National Institute of Technology to be nominated by the Executive Council.

A K PALUSKAR, Registrar

[ADVT. III/4/Exty./150/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.30 15:11:26 +05'30'